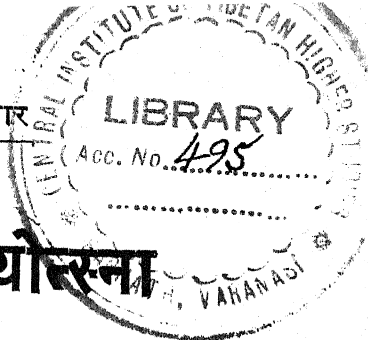
जूनियर हाईस्कूल के नवीन पाठ्यक्रमानुसार



व्याकरण ज्योत्स्ना

द्वितीय किरण

(सातवीं कक्षा के छात्रों के लिए)



करुणापति त्रिपाठी
एम० ए०, बी० टी०, व्याकरणाचार्य, साहित्यशास्त्री
आचार्य
संस्कृत विश्वविद्यालय ट्रेनिंग कॉलेज,
वाराणसी

प्राप्तिस्थान
हिन्दी प्रचारक प्रतिष्ठान
सी० के० ३८।८ आदिविश्वनाथ
वाराणसी–१

[मूल्य । १ रु० २५ पै०

प्रकाशक :
हिन्दी प्रचारक पुस्तकालय
वाराणसी–१
फोन : २६४८

मुद्रक :
निर्मल प्रेस
मानमंदिर, वाराणसी

वक्तव्य

प्रस्तुत व्याकरण की पुस्तिका उत्तर प्रदेश की सातवीं कक्षा तथा आंध्र के तेलगू भाषी ग्यारहवीं कक्षा के छात्रों को ध्यान में रखकर लिखी गई है। प्रयत्न यह किया है कि विषय अधिक से अधिक रुचिकर हो सके। उक्त कक्षा के विद्यार्थियों की बोधशक्ति, कल्पना, बुद्धि और ज्ञान सीमा के अनुकूल विषय-निरूपण किया गया है। विषय को सरल एवं सुबोध बनाने के प्रयत्न में सिद्धान्तों की परंपरायुक्त शैली से हटकर मनोवैज्ञानिक सारणी पर भी चलना पड़ा है। आशा है प्रस्तुत पुस्तिका द्वारा छात्रों की अभिरुचि व्याकरण की ओर बढ़ेगी और उनका प्रारंभिक परिचय भी विषय के साथ हो जायगा।

—लेखक

विषय-सूची

: १ :

विषय-प्रवेश

बच्चों, पिछले साल हम व्याकरण के बारे में सामान्य परिचय पा चुके हैं। इस साल हम उन्हीं बातों की कुछ विस्तार के साथ पढ़ेंगे।

हम लोगों ने पिछले साल यह जानने का प्रयत्न किया था कि व्याकरण किसे कहते हैं और व्याकरण का पढ़ना क्यों आवश्यक होता है।

पिछले साल यह बताया गया था कि—भाषा के जानकार और विद्वान् लोग जिस प्रकार की भाषा बोलते या लिखते हैं, उसे शुद्ध भाषा कहते हैं। इस शुद्ध भाषा के विरुद्ध जो भाषा बोली या लिखी जाती है, उसे अशुद्ध भाषा कहते हैं।

बालकों, तुम पूछ सकते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि कौन भाषा के जानकार हैं, कौन भाषा के विद्वान् और मर्मज्ञ हैं तथा किन की भाषा शुद्ध और किन की भाषा अशुद्ध है।

तुम्हारे लिये यह जानना अवश्य कठिन होगा कि कौन भाषा का जानकार है और कौन भाषा का जानकार नहीं है। जब तक तुम नहीं जानते कि कौन भाषा का जानकार है तब तक तुम शुद्ध भाषा नहीं पहचान सकते।

व्याकरण इसी बात को बताता है। भाषा को ठीक-ठीक और शुद्ध बोलने-लिखनेवाले लोगों की भाषा कैसे होती है—इस बात का परिचय व्याकरण के द्वारा मिलता है।

शुद्ध-शुद्ध भाषा बोलने और लिखने वाले लोग भाषा-विज्ञ कहे जाते हैं। व्याकरण तैयार करने वाले पुरुष भाषा-विज्ञों की भाषा का अध्ययन करते हैं।

ध्यानपूर्वक भाषा का अध्ययन करके वे भाषा-व्याकरण तैयार करते हैं। वे यह देखते हैं कि भाषा विज्ञों की भाषा के बोलने और लिखने के क्या नियम हैं, क्या सिद्धान्त हैं। इस भाँति वे शुद्ध भाषा बोलने और लिखने के सम्पूर्ण नियमों को एकत्र कर हमारे सामने रखते हैं। इसी विद्या को "व्याकरण" कहते हैं।

ऊपर जो कुछ बताया गया है, उसका सारांश नीचे दिया जा रहा है—

(१) भाषाविज्ञ सावधानी के साथ जैसी भाषा बोलते और लिखते हैं, उसे ही शुद्ध भाषा कहते हैं। भाषा विज्ञों की भाषा से भिन्न और उसके विरुद्ध जो भाषा होती है, उसे गलत या अशुद्ध भाषा कहते हैं।

(२) भाषा-विज्ञ लोग जैसी भाषा बोलते और लिखते हैं, व्याकरण द्वारा हमें उसका ज्ञान प्राप्त होता है।

(३) व्याकरण उस शास्त्र या विद्या को कहते हैं, जिसके द्वारा हमें शुद्ध भाषा बोलने और लिखने का ज्ञान प्राप्त होता है। व्याकरण पढ़कर भाषा की शुद्धि और अशुद्धि को हम समझ सकते हैं। शुद्धाशुद्ध भाषा का ज्ञान प्राप्त कर हम बोलने और लिखने में शुद्ध भाषा प्रयोग करते हैं और अशुद्ध भाषा का बहिष्कार करते हैं।

अब यह पूछा जा सकता है कि शुद्ध भाषा बोलने की आवश्यकता ही क्या है ? बच्चों, बोलकर या लिखकर हम अपने मन की बात दूसरों से कहना या उन्हें बताना चाहते हैं। सुनने या पढ़ने वाले हमारी बात का ठीक-ठीक और आशय तभी समझ सकेंगे, जब हम शुद्ध भाषा का व्यवहार करेंगे। अब तुम लोगों ने समझ लिया होगा कि शुद्ध भाषा का व्यवहार या प्रयोग करना क्यों आवश्यक है।

अभ्यास

(१) भाषा-वज्ञ कैस भाषा का व्यवहार करते हैं ?
(२) व्याकरण किसे कहते हैं ?
(३) शुद्ध भाषा का परिचय हमें कैसे मिलता है ?
(४) शुद्ध भाषा का व्यवहार क्यों आवश्यक है ?

●

: २ :

भाषा का परिचय

बच्चों, हम लोगों ने व्याकरण का परिचय प्राप्त करते हुए भाषा के बारे में अनेक बार चर्चा की। अब तुम यह जानना चाहते होगे कि 'भाषा' किसे कहते हैं ?

लड़कों, भाषा का ठीक-ठीक परिचय पाने के लिए यह आवश्यक है कि भाषा के बारे में तुम्हें कुछ बातें बताई जायँ।

हम यहाँ जिस भाषा के बारे में बातचीत कर रहे हैं कि वह मनुष्यों की भाषा है। इस भू-मण्डल पर मनुष्य अन्य सभी प्राणियों और जन्तुओं से भिन्न प्रकार का एक प्राणी है वह सोचने विचारने की शक्ति से सम्पन्न है। साथ ही वह समाज में व्यवस्थित ढंग से रहता है। वह अपने भाव या विचार को अपने परिवार या समाज के लोगों पर प्रकट करना चाहता है और प्रकट करता है। इसलिए मनुष्य को विचारशील सामाजिक प्राणी कहते हैं।

मनुष्य के मन में जब कोई भाव उठता है या विचार आता है, तब भाषा के द्वारा वह अपनी बात प्रकट करता है। अपने मन की बात प्रकट करने के लिए वह बोलता है और कभी लिखता है। सुनने या पढ़ने वाले लोग भाषा द्वारा

दूसरों के मन के विचार या भाव समझ लेते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि भाषा ही वह वस्तु है जिसकी सहायता से वक्ता (बोलने वाला) या लेखक (लिखने वाला) अपने मन के विचार आदि पूरी तौर से प्रकट करते हैं। उसी के द्वारा श्रोता (सुनने वाला) या पाठक (पढ़ने वाला) दूसरे के मन की बात सुनता, पढ़ता और समझता है। अतः भाषा की परिचयात्मक परिभाषा नीचे दी जा रही है—

भाषा वह साधन है, जिसके द्वारा मनुष्य अपनी बात (विचार और भाव) दूसरे मनुष्यों पर पूर्णता से प्रकट करता है और जिसके द्वारा श्रोता या पाठक दूसरों की बात पूर्णता के साथ जानते और समझते हैं।

भाषा और संकेत

बच्चों, यहाँ यह बता देना आवश्यक है कि अपनी बात प्रकट करने के दूसरे भी उपाय होते हैं। हाथ, मुख आदि की चेष्टाओं और संकेतों से भी मन की बात सूचित की जाती है। मुख आदि को देखकर किसी के मन का क्रोध या उसकी नाराजगी का पता चल जाता है। इस पर इशारों या चेष्टाओं से जो बातें प्रकट होती हैं उनमें और अस्पष्टता रहती है। पर मन की बात को अधिक पूर्णता या स्पष्टता के साथ प्रकट करने में भाषा ही सबसे अधिक सफल और सहायक होती है। कभी-कभी मौन रहकर और विशेष प्रकार की मुद्रा से भी मन की बात प्रकट की जाती है। पर मन के विचारों और भावों को प्रकट करने का सबसे अच्छा और सरल साधन भाषा ही है।

उच्चरित और लिखित भाषा

सामने या समीप रहने पर जिस भाषा द्वारा बात कही या समझी जाती है, उसे बोली हुई या उच्चारित भाषा कहते हैं। पर दूर या परोक्ष में रहनेवालों तक मन की बात पहुँचाने के लिए लिखी हुई (या लिखित) भाषा की

सहायता ली जाती है । बोलने में अनेक ध्वनियों का उच्चारण किया जाता है । इन्हीं ध्वनियों का बोध कराने के लिये लिखित (या मुद्रित) भाषा में लिपियों की कल्पना कर ली गयी है । ये लिपियाँ वस्तुत: ऐसे चिन्ह हैं, जिनको देखते ही ध्वनियों का स्मरण हो आता है । इन लिपियों को हम वर्णमाला में देखते हैं । उच्चारित भाषा ध्वनियों से प्रकट की जाती है और लिखित (और मुद्रित) भाषा लिपियों से ।

भाषा और बोली

बालकों, घरों में जिस प्रकार हम प्राय: बातचीत करते हैं वह भी ध्वनिबद्ध भाषा का ही एक स्वरूप है, किन्तु उसे बोली कहा जाता है । बोली का रूप थोड़ी-थोड़ी दूर पर बदलता चलता है । स्थान-स्थान की बोली प्राय: अलग-अलग होती है । पर उसकी अपेक्षा भाषा बहुत दूर-दूर तक फैली रहती है ।

जो भाषा हम बहुधा स्कूलों में बोलते हैं, जिसमें हमारी पाठ्य-पुस्तकें रची जाती हैं, जिसमें अखबार आदि छपते हैं जिसमें तुम लोग प्रश्नों का उत्तर लिखते हो उसे भाषा कहते हैं । हमारे देश में बोलियाँ तो बहुत सी हैं ही, भाषाएँ भी अनेक हैं । हमारी भाषा हिन्दी है । इसके अतिरिक्त तमिल, तेलुगू, मलयालम्, कन्नड़, मराठी, गुजराती, बँगला, उड़िया, आसामी, पंजाबी आदि कुछ प्रमुख भाषाएँ हैं । भाषाओं के लिखित व्याकरण होते हैं, बोलियों के लिखित व्याकरण प्राय: नहीं मिलते ।

बच्चों, ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका सारांश यह है—

(१) विचारों और भावों को अधिक पूर्णता और स्पष्टता के साथ प्रकट करने के साधन को भाषा कहते हैं ।

(२) भाषा के प्रमुख दो भेद हैं—उच्चरित (ध्वन्यात्मक) और लिखित (लिपिबद्ध)

(३) थोड़ी-थोड़ी दूर में बदलने वाली घरेलू या स्थानीय भाषा को बोली कहते हैं और दूर-दूर तक व्यवहार में प्रयुक्त होने वाले साधन को भाषा कहते हैं ।

अभ्यास

(१) भाषा का परिचय बताओ।
(२) लिखित और उच्चरित भाषा का अन्तर क्या है ?
(३) उदाहरण देकर भाषा और बोली का भेद बताओ।

●

: ३ :

मनुष्यों की भाषा

बच्चो, तुम जानते हो कि भाषा के द्वारा मनुष्य अपने मन की बात प्रकट करता है। अपनी बात दूसरों तक पहुँचाने के लिए वह बोलता या लिखता है। बोलने में वह ध्वनि-समूह की सहायता लेता है। इसलिए उच्चरित भाषा ध्वन्यात्मक होती है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि भाषा का मूल स्वरूप ध्वन्यात्मक है। ध्वनि-समूहों से भाषा बनती है।

यहाँ पर यह याद रखना अत्यन्त आवश्यक है कि सभी प्रकार की ध्वनियों से या ध्वनि-समूहों से भाषा नहीं बनती। बाजे बजते हैं तो उनसे भी ध्वनियाँ उत्पन्न होती हैं। सितार या बाँसुरी अथवा तबला आदि जब बजता है, तब भी ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। नदी हरहराती हुई बहती है तब भी आवाज होती है, हवा के सरसर चलने में भी ध्वनि होती है और जानवरों के बोलने से भी ध्वनि होती है। पर इन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते।

यह पूछा जा सकता है कि ध्वनि-समूहों या ध्वनियों के रहने पर भी हम इन्हें भाषा क्यों नहीं कहते हैं।

वाक्य, शब्द और ध्वनियाँ

इसका कारण यह है कि उसी ध्वनि-समूह को भाषा कहते हैं, जिसमें सार्थक वाक्यों का प्रयोग हुआ रहता है। हम अपने मन की बातों को प्रकट करने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। इन वाक्यों के अर्थ होते हैं। इसी से इन्हें सार्थक कहते हैं। सार्थक वाक्य-समूहों से भी भाषा बनती है। वाक्य के सम्बन्ध में हम आगे विचार करेंगे।

छात्रों, यह ऊपर बताया जा चुका है कि भाषा में ध्वनियाँ होती हैं और साथ ही सार्थक वाक्यों द्वारा भाषा बनती है। पर इन बातों में कोई विरोध नहीं समझना चाहिए।

इसलिए यहाँ यह भी समझ लेना आवश्यक है कि वाक्य कैसे बनते हैं।

मनुष्य अपने मन के भाव को वाक्य द्वारा प्रकट करता है। उसके वाक्य में अनेक शब्द होते है। पूर्ण वाक्य अनेक शब्दों से बनता है। वाक्य की सामान्य परिभाषा और उसके भेद आगे बताए जायँगे। यह भी बताया जायगा कि किस प्रकार के अनेक शब्दों के प्रयोग से कैसे वाक्य बनते हैं। यहाँ इतना जानना आवश्यक है कि—अनेक सार्थक शब्दों से वाक्य बनता है।

जो शब्द बोले या लिखे जाते हैं, उनके भी खण्ड किए जा सकते हैं। हम जब वाक्य में अनेक सार्थक शब्दों का उच्चारण करते हैं, तब जिन शब्दों का उच्चारण किया जाता है उनमें अनेक ध्वनियाँ सुनाई पड़ती हैं। इसका निष्कर्ष यह हुआ कि अनेक ध्वनियों से शब्द बनते हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ध्वनियों से शब्द बनते हैं, शब्दों से वाक्य बनते हैं और वाक्यों से भाषा बनती है। इसी कारण उच्चरित भाषा ध्वन्यात्मक होती है। जब ध्वनियाँ को लिपियों के द्वारा प्रकट किया जाता है, तब लिखित या मुद्रित भाषा लिपिबद्ध होती है। किन्तु ध्वनियों द्वारा शब्दों के बनने से और शब्दों द्वारा वाक्यों के बनने से सार्थक वाक्य-समूह को भाषा कहते हैं।

हिन्दी का व्याकरण

व्याकरण के द्वारा हमें भाषा की ध्वनियों, शब्दों और वाक्य-रचना की शुद्धि और अशुद्धि का ज्ञान होता है।

पर चूँकि प्रत्येक भाषा की ध्वनियाँ भिन्न होती हैं, शब्द भिन्न होते हैं और वाक्य-रचना का ढंग भिन्न होता है, इसलिए प्रत्येक भाषा का व्याकरण भी भिन्न होता है। जिस भाषा के बोलने और लिखने शुद्धि और अशुद्धि का हम ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, उस भाषा का व्याकरण पढ़ना आवश्यक होता है।

हमारी भाषा हिन्दी है। हम शुद्ध 'हिन्दी' का रूप जानना चाहते हैं, इसलिए हमें हिन्दी भाषा का व्याकरण पढ़ना आवश्यक होता है।

हिन्दी भाषा के व्याकरण द्वारा हमें हिन्दी की ध्वनियों (और लिपियों), शब्दों तथा वाक्य-रचना संबंधी शुद्धि-अशुद्धि का ज्ञान प्राप्त होता है। हिन्दी व्याकरण का पढ़ना हमारे लिए आवश्यक इसलिए होता है, जिसमें हम हिन्दी भाषा के शुद्ध रूपों का प्रयोग कर सकें और अशुद्ध रूपों का बहिष्कार कर सकें।

आगे के पाठों में हम हिन्दी की ध्वनियों (और लिपियों), शब्दों और वाक्य-रचना के विषय में सामान्य जानकारी की बातें पढ़ेंगे।

ऊपर जिन बातों की चर्चा की गई है, उनका सारांश नीचे दिया जा रहा है—

(१) हम जिस भाषा की जिन ध्वनियों के विषय में चर्चा करते हैं, ये ध्वनियाँ सार्थक वाक्यों से सम्बन्ध रखती हैं।

(२) सार्थक वाक्यों से हमारी भाषा बनती है। सार्थक शब्दों से सार्थक वाक्य बनते हैं और व्यक्त ध्वनियों (या लिपियों) से सार्थक शब्द बनते हैं।

(३) प्रत्येक भाषा का व्याकरण भिन्न होता है। यहाँ हिन्दी भाषा के व्याकरण का अर्थात् हिन्दी की ध्वनियों, उसके शब्दों और उसकी वाक्य-रचना-शैली का सामान्य परिचय हम प्राप्त करेंगे।

अभ्यास

(१) भाषा की ध्वनियों तथा अन्य ध्वनियों का अन्तर समझाओ।
(२) वाक्य और शब्द के खण्डों का वर्णन करो।
(३) एक भाषा का व्याकरण दूसरी भाषा के व्याकरण से क्यों भिन्न है ?

●

: ४ :

ध्वनि, वर्ण और अक्षर

बच्चों, आज हम तुम्हें ध्वनियों और वर्णों के बारे में कुछ बातें बतायेंगे।

बचपन में जब तुम लोगों ने पढ़ना आरम्भ किया, तभी से तुम 'वर्णमाला' का नाम सुनते आ रहे हो। 'वर्णमाला' शब्द दो शब्दों के योग से बना है। 'वर्ण' और 'माला'। इसका अर्थ होता है, 'वर्णों की माला'। अतः तुम्हारे लिए वर्ण शब्द का ठीक-ठीक अर्थ जानना आवश्यक है।

इसी तरह 'अक्षर' शब्द भी तुम सुनते आ रहे हो। बहुधा बोलचाल में वर्ण और अक्षर—दोनों शब्द पर्याय के रूप में समान अर्थ का बोध कराने के लिए प्रयुक्त होते हैं। 'ध्वनि' शब्द भी बोलचाल या व्यवहार में अक्षर या वर्ण के पर्याय के रूप में ही प्रयुक्त होता है। किन्तु व्याकरण में इन शब्दों के प्रयोग में जिस अन्तर की बारीकी का बोध कराया जाता है या कुछ विद्वानों ने इनके अर्थ में जो भेद मान लिया है, हम उसे यहाँ बताने जा रहे हैं।

पहले यह कहा जा चुका है कि साधारण व्यवहार में ध्वनि शब्द से सभी प्रकार के शब्द या सब तरह की आवाज का अर्थ लिया जाता है। चाहे वह पशु-पक्षी की बोली हो, बाजे की आवाज हो या मनुष्य की भाषा हो।

किन्तु व्याकरण में ध्वनि उस आवाज को कहते हैं, जो सार्थक शब्दों के अखण्ड के रूप में सुनाई देती है। उदाहरण से यह बात स्पष्ट हो जायगी।

कोई व्यक्ति किसी को बुलाने के लिए 'आओ' शब्द का उच्चारण करता है। इस सार्थक शब्द में स्पष्ट रूप से दो ध्वनियाँ आ और ओ सुनाई देती हैं। इन्हीं बोले और सुने जानेवाले शब्द के खण्डों को ध्वनि कहते हैं।

ये ही ध्वनियाँ जब लिखी जाती हैं, तब उन्हें 'लिपि' कहते हैं। इन्हीं ध्वनियों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण शब्द का अर्थ बहुधा ध्वनियों के लिखित रूप के लिए, अर्थात् लिपि के लिए होता है। पर साधारण रूप से भाषा का उच्चरित मूल ध्वनियों को भी तथा उनके लिखित चिन्हों अर्थात् लिपियों को भी वर्ण कहते हैं। अ, क् ख् आदि ध्वनियों के उच्चरित रूप मूल ध्वनियाँ हैं। इन्हें भी वर्ण कहते हैं तथा इनके लिखित लिपि रूप को भी वर्ण कहते हैं। वर्णमाला में किसी भाषा के वर्णों का वर्णन किया जाता है।

बच्चों, तुम पूछना चाहोगे कि वर्ण और अक्षर में क्या भेद है? हम ऊपर बता चुके हैं कि साधारण व्यवहार में इनका प्रयोग समान अर्थ में ही होता है, पर व्याकरण में इनके अर्थ में थोड़ा अन्तर मान लिया गया है।

शब्दों के बोलने में जितने अंश का उच्चारण एक साथ होता है—उसे अक्षर कहते हैं। जैसे जब हम 'मनुष्य' शब्द का उच्चारण करते हैं, तब इसमें ध्वनियाँ सात हैं—म्+अ+न्+उ+ष्+य्+अ। इनके लिए सात लिपिचिन्ह अर्थात् सात वर्ण ऊपर अलग-अलग दिखाए गए हैं। पर इनमें अक्षर तीन ही म+नु+ष्य हैं।

इसलिए ओम (ॐ) को भी एक ही अक्षर कहा जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि एक ही ध्वनि या वर्ण का अक्षर होता है, जैसे आओ। इनमें आ ध्वनि या वर्ण भी है और अक्षर भी है, इसी भाँति ओ भी वर्ण तथा अक्षर दोनों है।

ऊपर जो कुछ कहा गया है, उसका सारांश यह है—

(१) वर्ण उस मूलध्वनि को कहते हैं, जिसके खंड न हो सकें।

(२) शब्दों के बोलने में जितने अंश का उच्चारण एक साथ होता है—व्याकरण में उसे ही अक्षर कहा जाता है।

अभ्यास

(१) वर्णमाला में कितने शब्द हैं। वर्णमाला का क्या अर्थ है?
(२) वर्ण और अक्षर में क्या भेद है?
(३) किन्हीं तीन शब्दों को लेकर उनमें प्रयुक्त वर्णों और अक्षरों का परिचय दो।

●

: ५ :

हिन्दी की वर्णमाला

बच्चों, ऊपर 'वर्ण' शब्द का परिचय दिया जा चुका है। हिन्दी में प्रयुक्त होने वाली मूल ध्वनियों को एकत्र करने से हिन्दी की वर्णमाला बन जाती है।

स्वर और व्यंजन

वर्णमाला में दो प्रकार की मूल ध्वनियाँ मिलती हैं। एक मूल ध्वनियाँ तो वे होती हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता लिए, स्वतन्त्रतापूर्वक होता है—जैसे, अ, इ, उ, ए आदि। इन ध्वनियों को स्वर कहते हैं। हिन्दी में मुख्यत: ग्यारह स्वर हैं—अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ।

इन स्वरों में कुछ ऐसे स्वर होते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। इस प्रकार के स्वरों को एक मात्रा वाले स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरे प्रकार के स्वर वे हैं, जिनमें पूर्वोक्त स्वरों के उच्चारण काल की अपेक्षा अधिक समय लगता है इन्हें दो मात्रा के स्वर या दीर्घ स्वर कहते हैं।

अ, इ, उ, ऋ—ये चारों हिन्दी के ह्रस्व स्वर हैं। आ, ई, ऊ—ये तीनों क्रमशः अ, इ, ऊ–के दीर्घ रूप (दीर्घ स्वर) हैं। हिन्दीं में ऋ का दीर्घ रूप नहीं होता है।

ए, ऐ, ओ औ—इन चारों स्वरों के उच्चारण में दो मात्रा का समय लगता है, अर्थात् अधिक समय लगता है—अतः ये दीर्घ स्वर है। हिन्दी में इनके ह्रस्व रूप नहीं होते हैं।

अतः हिन्दी में अ, इ, उ, ऋ—ये चार ह्रस्व हैं तथा—

आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ—ये सात दीर्घ स्वर हैं।

स्वरों का एक प्लुत रूप भी होता है। इन प्लुत स्वरों के बोलने में दो मात्रा वाले दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय (तीन मात्रा का समय) लगता है। किसी को पुकारने के लिए सम्बोधन आदि में प्लुत स्वर का उपयोग होता है। हिन्दी में प्लुत को लिखने के लिए कोई स्वतन्त्र लिपि चिन्ह नहीं है। स्वर के आगे ऊपर की ओर ३ लिख कर प्लुत का उच्चारण प्रकट किया जाता है, जैसे—हे महेश ३, ओ रंजन ३, आदि।

हमारी वर्णमाला में दूसरे प्रकार के वर्ण वे हैं, जिनका उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता के नहीं होता है, जैसे—र, घ, क आदि। व्याकरण में इन्हें व्यंजन कहते हैं। हिन्दी में मुख्यतः पैंतीस व्यंजन कहे जाते हैं, जो नीचे दिये जा रहे हैं—

क, ख, ग, घ, ङ (कवर्ग)

च, छ, ज, झ, ञ (चवर्ग)

ट, ठ, ड, ढ, ण (टवर्ग)

त, थ, द, ध, न (तवर्ग)

प, फ, ब, भ, म (पवर्ग)
य, र, ल, व (अन्तस्थ)
श, ष, स, ह (ऊष्म)

व्यञ्जन की विशेषता

बच्चों, ऊपर हम बता चुके हैं कि व्यञ्जनों का ठीक-ठीक उच्चारण स्वतन्त्रतापूर्वक नहीं होता, वरन् इनके उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता ली जाती है। प्रायः स्वरों की सहायता से ही व्यञ्जनों का उच्चारण होता है। इसलिए हमारी वर्णमाला में, बोलने की सुविधा के लिए, व्यञ्जनों के साथ (अ) स्वर मिला रहता है, जैसे क=क्+अ। अ के रहने से वर्णमाला के व्यञ्जन ठीक-ठीक उच्चरित हो जाते हैं। ऊपर जो व्यञ्जन दिए गए हैं, उनमें भी अ मिला हुआ है। बिना अ के शुद्ध व्यञ्जनों को जब लिखना होता है, तब उन्हें 'क्, ख्, ग्, घ् आदि के रूप में लिखते हैं अर्थात् जब स्वर के बिना केवल व्यञ्जनों का लिखना समझना रहता है, तब व्यञ्जन के नीचे तिरछी रेखा लगा दी जाती हैं, जैसे—क्, ख्, ग् आदि। बोलचाल में इस तरह लिखे व्यञ्जनों को 'हल्' व्यञ्जन कहते हैं।

अपनी बात को हम उदाहरण द्वारा स्पष्ट करते हैं। आम शब्द में आ पहला स्वर या पहला अक्षर है, जो बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता से स्वतन्त्रता के साथ उच्चरित होता है। पर 'म' (म+अ) अक्षर ऐसा व्यञ्जन है, जिसमें 'म्' व्यञ्जन के उच्चारण के लिए 'अ' की सहायता ली जाती है। म् शुद्ध व्यञ्जन या हल् व्यञ्जन है।

नोट—(१) ऋ स्वर का हिन्दी में शुद्ध स्वर के रूप में प्रायः प्रयोग नहीं होता। वह र्+ई=री के समान हो जाता है।

(२) क़, ग़, ज़ आदि व्यञ्जनों के नीचे बिन्दी लगाकर भी हिन्दी में कुछ वर्ण और लिखे जाते हैं। पर वे व्यञ्जन हिन्दी की ध्वनियाँ नहीं हैं, वरन् उर्दू-फारसी भाषा से हिन्दी में आ गई हैं। क़, ख़, ग़ आदि उनका रूप होता है।

(३) क्ष, त्र, ज्ञ—ये तीन वर्ण भी हिन्दी की वर्णमाला में मिलते हैं। ये संयुक्त व्यञ्जन हैं। इनके बारे में आगे बताया जायगा।

(४) व्यञ्जनों में दो वर्ण और भी कहे जाते हैं—जिन्हें अनुस्वार और विसर्ग कहते हैं। अनुस्वार का चिह्न लिखने के लिए स्वर के ऊपर बिन्दी लगती है, जैसे—गंगा, घंटा आदि। विसर्ग को लिखने के लिए स्वर के बाद दो बिन्दियाँ लगाई जाती हैं, जैसे—पुनः, प्रातः, छिः, छिः आदि। यहाँ यह याद रखना चाहिये कि व्यञ्जनों के समान इनके उच्चारण में स्वरों की आवश्यकता पड़ती है। बिना स्वरों के इनका भी उच्चारण नहीं होता। इसी से इन्हें भी व्यञ्जन कहा गया है।

अभ्यास

(१) स्वर और व्यञ्जन की परिभाषाएँ लिखो।
(२) ह्रस्व और दीर्घ स्वरों के भेद बताओ।
(३) अनुस्वार क्यों व्यञ्जन है।

●

: ६ :

वर्णों की मिलावट और मात्राएँ

बच्चों, तुम्हें यह बताया जा चुका है कि भाषा के दो रूप होते हैं, प्रथम बोली जानेवाली (उच्चरित) भाषा और दूसरी लिखी या छापी जानेवाली (लिखित और मुद्रित) भाषा। यह भी तुम्हें बताया जा चुका है कि मूलतः भाषा उच्चरित ही होती है, उन्हीं ध्वनियों को लिपि चिन्हों के द्वारा सूचित करने के लिए लिखित भाषा का व्यवहार होता है।

बालको, कारण यह है कि बोली हुई भाषा को सुनने वालों की संख्या बहुत कम होती है। क्योंकि बोलनेवाला (वक्ता) जिस समय बोलता है उस समय वे ही लोग उसकी बात सुन सकते हैं, जो वक्ता के समीप हों। साथ ही वक्ता की बात उसी काल में सुनी जा सकती है, जबकि वक्ता बोल रहा है।

इस प्रकार वक्ता की बात को सुननेवालों (श्रोताओं) की संख्या अपेक्षाकृत कम होती है। वक्ता की बात सुनने वाले श्रोताओं की संख्या बढ़ाने के लिए, उसकी बात का प्रचार अधिक दूर तक करने के लिए मनुष्य ने भाषा के लिखित रूप का आविष्कार किया। भाषा के लिख या छाप दिए जाने पर दूर-दूर तक के लोग बहुत दिनों तक वक्ता या लेखक के भावों, विचारों और उसकी विद्या बुद्धि की बातों का ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं।

इस प्रकार भाषा के द्वारा प्रकट की गई बात को अधिक व्यापक और चिरस्थायी बनाने के लिए लिपियों की सहायता आवश्यक हो गई है।

जो वर्ण या ध्वनियाँ हमारी उच्चरित भाषा में प्रयुक्त होती हैं, उनके लिए भाषा में लिपि-चिन्ह मान लिये गए हैं। इन लिपि-चिन्हों द्वारा उच्चारण की जाने वाली ध्वनियों का बोध होता है।

लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो लिपि-चिन्ह मान लिए गए हैं, उन्हें भी वर्ण कहते हैं और उनके समूह को वर्णमाला।

जिस रूप में इन वर्णों को जिस भाषा में लिखा जाता है, उन रूपों को लिपि-चिन्ह कहते हैं।

हमारी हिन्दी भाषा जिस लिपि में लिखी जाती है, उसे

हिन्दी-लिपि (हिन्दी-वर्णमाला या देवनागरी अथवा नागरी-लिपी भी) कहते हैं।

बच्चों, हमारी हिन्दी की वर्णमाला के व्यंजनों में क्ष, त्र, ज्ञ–ये तीन व्यंजन और मिलते हैं–यह ऊपर बताया जा चुका है। पर वस्तुत: ये व्यंजन नहीं हैं, संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर हैं। ये मूल ध्वनियाँ या वर्ण नहीं हैं। इसका परिचय नीचे दिया जा रहा है—

क्ष्=क्+ष् (संयुक्त व्यंजन)

क्ष=क्+ष्+अ (संयुक्ताक्षर)

त्र्=त्+र् संयुक्त (व्यंजन)

त्र=त्+र्+अ (संयुक्ताक्षर)

ज्ञ्=ज्+ञ् (संयुक्त व्यंजन)

ज्ञ=ज्+ञ्+अ (संयुक्ताक्षर)

बच्चों, तुम पूछ सकते हो कि संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन तो और भी होते हैं, जैसे—'प्रकार', में 'प्र', विद्या' में 'द्य' या 'श्री' आदि। किन्तु ये सब तो वर्णों की माला में नहीं दिए गए हैं, किन्तु 'क्ष', 'त्र', 'ज्ञ'—ये तीन ही क्यों 'वर्णमाला' के वर्णों में गिना दिए जाते हैं। बालकों, तुम्हारा प्रश्न सही है। इनको भी नहीं गिनाना चाहिये।

किन्तु हमारी वर्णमाला में इन तीनों संयुक्ताक्षरों या संयुक्त व्यंजन के लिये विशेष लिपि-चिह्नों का व्यवहार बहुत दिनों से होता आ रहा है। इसीसे वर्णमाला के लिखित लिपि-रूपों में इनके रूप भी दे दिये जाते हैं। पर यह स्मरण रखना चाहिये कि 'क्ष', त्र, ज्ञ, हिन्दी की मूल ध्वनियाँ नहीं हैं।

अन्य संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर जब लिखे जाते हैं, तब उनकी लिखावट में अलग लिपि-चिह्न का प्रयोग नहीं होता है। इसी से वर्णमाला में उनको स्थान नहीं दिया गया है।

बच्चो, यहाँ यह याद रखना जरूरी है कि हिन्दी में कुछ व्यंजन ऐसे अवश्य हैं, जिनके संयुक्ताक्षर या संयुक्त व्यंजन की लिखावट में कुछ विशेषता दिखाई देती है। इन व्यंजनों की मिलावट का रूप कुछ विशेष प्रकार से लिखा जाता है। कुछ संयुक्त व्यंजनों की लिखावट में साधारणत: या तो आधे व्यंजन लिखे जाते हैं, जैसे क्य, त्य, व्य, च्छ, स्थ्य, क्ख, ख्या (व्याख्या) आदि और कुछ की लिखावट में पूरे-पूरे से लिपि-चिह्न मिले दिखाई देते हैं, जैसे—गड्ढा, चट्टी, भट्ठी, गङ्गा, मट्ठा आदि।

'र' से संयुक्त अक्षरों की लिखावट कुछ भिन्न या विचित्र दिखाई देती है। यदि संयुक्त व्यंजन में पहला 'र' रहता है तो वह वर्ण के ऊपर लगाया जाता है, जैसे—वर्ण, कर्म, सूर्य, धर्म, अर्थ, सर्प आदि में। जब 'र्' किसी व्यंजन के बाद आता है, तब प्राय: तिरछी लकीर लगाकर उसका बोध कराया जाता है, जैसे—प्रकार, श्री, व्रत, व्रज आदि में। कभी-कभी व्यंजन के नीचे भी (‸) रेफ का बोधक चिह्न लगता है, जैसे—उष्ट्र ट्रेनिंग आदि में।

इसी प्रकार द्+य=द्य (विद्या) क्+त=क्त (वक्ता) आदि लिखे जाते हैं, लिखित रूपों में कभी-कभी 'दूसरे रूप भी मिल' जाते हैं।

नोट—कहीं-कहीं दक्षिण में 'क्ष' 'क्ष' के रूप में, 'त्र' 'त्र' के रूप में और 'ज्ञ', 'ज्ञ' या 'ज्ञ' के रूप में लिखा जाता है। इसी भाँति संयुक्त व्यंजन के प्रथम अथवा प्रथम और द्वितीय व्यंजन को 'हल' और दूसरे-तीसरे को सस्वर लिखकर भी संयुक्त व्यंजन लिखने की परिपाटी भी प्रचलित है, जैसे—गड्ढा, विद्‌या, पथ्‌य आदि में। इनके अतिरिक्त आजकल बेसिक रीडरों आदि में एक नई प्रणाली चल रही है, जिसको तुम भली-भाँति जानते होगे। इस पद्धति में प्राय: पहला व्यंजन आधा और दूसरा पूरा लिखा है, जैसे—'प्रकार' का 'प्र'—'प्र' के रूप में या श्री=श्री के रूप में। पर यह पद्धति अभी पूरी तौर से प्रचलित नहीं हो सकी है। इसका काफी विरोध भी हो रहा है। शायद इसे छोड़ना भी पड़े।

बालकों, यह कहा जा चुका है कि व्यंजनों का उच्चारण बिना स्वरों के नहीं होता है। अतः ऊपर बताये हुए ग्यारह स्वरों में से किसी न किसी स्वर की सहायता से ही व्यंजनों या संयुक्त व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है। स्वर या स्वरान्त व्यंजन को अक्षर कहते हैं। स्वरों के भिन्न-भिन्न रूपों में व्यंजनों का उच्चारण होता है। (साधारण बोलचाल में इसे ककहरा कहा जाता है)।

स्वर जब बिना व्यंजनों के केवल स्वर के रूप में रहते हैं, तब तो उनकी लिखावट उस रूप में रहती है, जो ऊपर बताई जा चुकी है। परन्तु जब वे व्यंजनों के साथ मिलाकर लिखे जाते हैं, तब मूल स्वरों के स्थान पर वे भिन्न-भिन्न चिह्नों के द्वारा सूचित किये जाते हैं। इन्हीं स्वर-सूचक चिह्नों को हिन्दी में मात्रा या मात्रा चिह्न कहते हैं।

स्वर मूल रूप में आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ—उनके मात्रा-चिह्न—ा, ि, ी, ु, ू, ृ, े, ै, ो, ौ।

नोट—'अ' की मात्रा सूचित करने के लिए किसी विशेष चिह्न आवश्यकता नहीं होती जब व्यंजन में किसी अन्य स्वर का की सूचक चिह्न अथवा 'हल्' बोधक चिह्न नहीं रहता, तब 'अ' की मात्रा का बोध हो जाता है।

अभ्यास

(१) हमारी भाषा की लिपि को किन नामों से कहा जाता है ?
(२) संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं ?
(३) 'र' की संयुक्त व्यंजनों में मिलावट कितने प्रकार से होती है ?
(४) 'त्' में 'त्' के मिलने पर कैसा लिखित रूप होता है ?
(५) भाषा के लिखित रूप की क्या आवश्यकता होती है ?
(६) 'मात्रा' किसे कहते हैं ?
(७) 'अ' की मात्रा को कैसे प्रकट करते हैं ?

वर्णों के उच्चारण

बच्चों, तुमने वर्णमाला पढ़ते समय 'श्' 'स्' 'ष्' तीन ध्वनियों को पढ़ा होगा। यह भी तुम सुनते आये होगे कि एक को तालव्य 'श्' कहते हैं, दूसरे को दन्त्य 'स्' कहते हैं और तीसरे को मूर्धन्य 'ष्' कहा जाता है। किस आधार पर इनके ये भिन्न-भिन्न नाम होते हैं? तुम इसे जानना चाहते होगे।

इस बारे में हम तुम्हें आज कुछ सामान्य बातें बताना चाहते हैं।

भिन्न-भिन्न वर्णों का उच्चारण मुख के भिन्न-भिन्न स्थानों से होता है। उच्चारण-स्थानों के प्रभाव से ध्वनि का स्वरूप अनेक प्रकार के वर्णों के रूप में प्रकट होता है। भाषा के जानकार लोगों ने बड़े यत्न के द्वारा यह पता लगाया कि किस ध्वनि का उच्चारण मुख के किस भाग या स्थान से होता है। उक्त स्थानों के नामों के अनुसार वर्णों के नाम भी पड़ जाते हैं।

जिस श् को हम तालव्य श् कहते हैं, उसका उच्चारण-स्थान तालु है, जिस स् को हम दन्त्य स् कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान दंत (या दाँत) है और जिसे हम मूर्धन्य ष् कहते हैं, उसका उच्चारण स्थान मूर्धा है। अतः सारांश यह कि तालु या दन्त या मूर्धा स्थान से उच्चरित होने से ये वर्ण तालव्य या दन्त या मूर्धन्य नाम पाते हैं।

उच्चारण करने के स्थान के अनुसार वर्णों के नीचे लिखे वर्ग या विभाग होते हैं।

वर्ण	उच्चारण स्थान का नाम	वर्ण का स्थान के अनुसार नाम
अ, आ, क्, ख्, ग्, घ्, ङ्, ह, और विसर्ग	कंठ	कंठ्य
इ, ई च्, छ्, ज्, ञ्, य्, श्,	तालु	तालव्य
ऋ, ट्, ठ्, ड्, ढ्, ण् र्, ष्, ड़्, ढ़्,	मूर्धा	मूर्धन्य

त्, थ्, द्, ध्, न्, ल्' स्,	दंत	दंत्य
उ, ऊ, प्, फ्, ब्, भ्, म्,	ओष्ठ	ओष्ठ्य
ङ्, ञ्, ण्, न्, म्, और अनुस्वार	नासिका (भी)	आनुनासिक

[नोट—इनके उच्चारण में 'नासिका' का भी योग रहता है ।]

ए, ऐ	कंठ और तालु	कंठतालव्य
ओ, औ	कंठ और ओष्ठ	कंठोष्ठ्य
व्	दंत और ओष्ठ	दंतौष्ठ्य

बालकों, एक बात तुम्हें विशेष रूप से याद रखनी चाहिए । उच्चारण के अनुसार स्वरों के भी दो भेद किए जाते हैं—निरनुनासिक और सानुनासिक । साँस के मुँह से पूरा-पूरा निकलने पर तो उस स्वर को निरनुनासिक कहते हैं और यदि साँस का कुछ हिस्सा मुँह से निकलने के साथ-साथ नाक से भी निकलता है, तब उसे सानुनासिक या अनुनासिक कहते हैं । 'पाँव', 'गाँव', 'में' आदि में क्रमशः 'आँ' 'आँ' 'एँ' के उच्चारण सूचित करने के लिए बहुधा चन्द्रविन्दु लगाया जाता है, जैसे—गाँव, ठाँव आदि में ।

[नोट—अध्यापकों को चाहिए कि प्रत्येक अक्षर का स्वयं स्पष्ट उच्चारण करें तथा छात्रों से भी व्यक्तिशः और समवेत रूप में उच्चारण का खूब अभ्यास कराएँ । इसी के साथ-साथ वर्णों के स्थान का परिचय देकर उन्हें याद करा दें ।]

अभ्यास

(१) 'पवर्ग' का उच्चारण-स्थान बताओ ।
(२) तालव्य ध्वनियाँ कौन-कौन हैं ?
(३) 'ष्' को मूर्धन्य क्यों कहते हैं ?
(४) निरनुनासिक स्वर किसे कहते हैं ?
(५) 'ल्' का स्थान के अनुसार क्या नाम है ?

पहला पाठ

वाक्य-विचार

[१] वाक्य और वाक्यांश

बच्चों, तुम यह जानते हो कि सार्थक वाक्यों के समूह को ही भाषा कहा जाता है। तुम यह भी जान चुके हो कि सार्थक शब्दों के समूह से वाक्य बनते हैं।

यदि कोई पागल व्यक्ति अनेक शब्दों को असंबद्ध रूप में उच्चारण करता है, जैसे—गाय तुम पुस्तक घोड़े पर कानून भांडार नहीं जलता है—तो इस प्रकार के शब्द-समूह से वाक्य नहीं बनते। मनुष्य वाक्य का उच्चारण करता है या लिखता है, अपने मन की बात प्रकट करने के लिए। यही वाक्य के प्रयोग का उद्देश्य है।

जब वक्ता ऐसे शब्द समूह का उच्चारण करता है, जिसके द्वारा उसके मन की बात का पूरा आशय प्रकट हो जाय, तब उसके शब्दों से वाक्य बनता है; अतः वाक्य का साधारण लक्षण होगा—

सार्थक शब्दों के ऐसे समूह को वाक्य कहते हैं, जो शब्द परस्पर मिलकर पूरी-पूरी बात या पूरा आशय प्रकट करते हैं।

ऊपर कही हुई परिभाषा को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण-स्वरूप कुछ वाक्य नीचे दिए जा रहे हैं—

(१) सोहन पानी पीता है।
(२) मोहन हरिद्वार गया है।
(३) श्यामलाल पुस्तक पढ़ेगा।
(४) फूल खिल रहे हैं।

बालकों, ऊपर के उदाहरणों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और उनकी विशेषताओं पर ध्यान दो। ऊपर के इन उदाहरण-भूत वाक्यों की रचना अनेक शब्दों से

हुई है। इन वाक्यों में शब्दों के समूह प्रयुक्त हैं। इनमें प्रयोग किए हुए शब्दों द्वारा अर्थों का बोध होता है, जो अर्थ परस्पर मिलकर वक्ता के आशय को प्रकट करते हैं।

(१) पहले उदाहरण में सोहन शब्द से उस नाम के व्यक्ति का बोध होता है, पानी शब्द से विशेष वस्तु का ज्ञान होता है, पीता है द्वारा रामू के पानी पीने का ज्ञान होता है। सब मिलकर वक्ता के पूरे आशय को प्रकट करते हैं। अतः यह एक पूर्ण वाक्य है।

(२) द्वितीय उदाहरण में मोहन शब्द से व्यक्ति-विशेष का बोध होता है, हरिद्वार शब्द से स्थान-विशेष का परिचय मिलता है, गया है अंश द्वारा मोहन के जाने का ज्ञान होता है। सब अंश मिलकर वक्ता का पूरा-पूरा आशय प्रकट करते हैं। अतः यह एक पूर्ण वाक्य है।

(३) तृतीय वाक्य में श्यामलाल शब्द से उस नाम के व्यक्ति-विशेष का बोध होता है, पुस्तक शब्द से किसी भी साधारण किताब का अर्थ प्रकट होता है, पढ़ेगा से भविष्य में श्यामलाल के पढ़ने की सूचना मिलती है। सब अर्थ परस्पर मिलकर वक्ता के अभिप्राय को प्रकट करते हैं। अतः ऐसे शब्द समूह को वाक्य कहते हैं।

(४) चतुर्थ उदाहरण में 'फूल' शब्द से किसी फूल या पुष्प का अर्थ सूचित होता है, खिल रहे हैं द्वारा फूल का खिलना प्रकट होता है। दोनों अंशों के मिलने से वक्ता के मन की वह बात, जिसे वह सूचित करना चाहता है, हमें मालूम होती है। अतः यह भी पूर्ण वाक्य है।

बच्चों, ऊपर के उदाहरणों को देखो और समझकर पागल द्वारा बोले हुए शब्दों के समूह को क्यों वाक्य नहीं कहा जाता—यह अब तुम जान गए होगे। उक्त शब्द-समूह के शब्द यद्यपि ऐसे सार्थक हैं, जिनका हमारे वाक्यों में प्रयोग होता है, तथापि पागल के उन शब्दों के अर्थों का परस्पर मेल नहीं होता उन अर्थों का परस्पर अन्वय (सम्बन्ध) नहीं होता, इसी से वक्ता के

किसी पूरे अभिप्राय का भी उनसे बोध नहीं होता। अतः वे शब्द वाक्य नहीं कहे जा सकते।

बालकों, अब तुम भलीभाँति समझ गए होगे कि वक्ता के सार्थक शब्दों का ही वाक्यों में प्रयोग होता है और उन शब्दों का परस्पर अन्वय भी रहता है। वाक्य के सार्थक शब्दों के लिए, परस्पर अन्वित होकर वक्ता के पूरे-पूरे आशय को सूचित करना आवश्यक होता है। क्योंकि वक्ता जब वाक्य में शब्दों का प्रयोग करता है, तब उसका कुछ उद्देश्य होता है। साथ ही ऐसे शब्दों के अर्थ परस्पर मिलकर (अन्वित होकर ही) पूरी बात का ज्ञान करते हैं। उन्हें ही 'वाक्य' कहा जाता है।

वाक्य में प्रयुक्त जिन शब्दों से वाक्य बनता है, वे ही शब्द वाक्य के अंश होते हैं। अतः वाक्यांश ऐसे शब्द या शब्द-समूह को कहते हैं, जिससे या जिनसे वक्ता की बात या उसके भाव अथवा विचार का कुछ अंश तो प्रकट होता है, परन्तु पूरा-पूरा आशय नहीं सूचित होता है। शब्द या उसके ऐसे समूह को जिसके द्वारा एक भावना प्रकट होती है, वाक्यांश कहते हैं। ऊपर के वाक्यों में सोहन, मोहन, श्यामलाल, फूल, पीता है, पढ़ेगा, खिल रहे हैं—आदि वाक्यांश हैं। इनमें मोहन, आदि कुछ अंश एक शब्द के हैं और पीता है, खिल रहे हैं आदि कुछ अंश अनेक शब्द के हैं। सारांश यह कि वाक्यांश में एक या अनेक शब्द रहते हैं।

उदाहरण—(१) आग लगने से घर का घर जल गया।
(२) रामू तीन वर्षों के बाद कलकत्ते से आया।
(३) सत्य कभी न कभी अवश्य प्रकट होगा।

ऊपर लिखे इन वाक्यों में रेखांकित अंश (शब्द समूह) से पूरी एक बात तो प्रकट नहीं होती, पर एक-एक भावना प्रकट होती है। अतः इनको भी वाक्यांश कहते हैं।

अभ्यास

(१) वाक्य की परिभाषा बताओ और अपनी पाठ्य-पुस्तक में से पाँच वाक्यों को लेकर उदाहरण दो।

(२) उदाहरण देकर बताओ कि वाक्यांश वाक्य के कैसे खण्डों को कहते हैं ?

(३) शब्द-समूह शब्दों का परस्पर अन्वय न रहने पर वाक्य क्यों नहीं बनता—इसे उदाहरण देकर स्पष्ट करो।

(२) उद्देश्य विधेय

[साधारण वाक्य में]

बच्चों,

वाक्यांश के बारे में यहाँ एक और आवश्यक बात जान लेना आवश्यक है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो—

(१) मनुष्य विचारशील प्राणी है।

(२) मोटर दौड़ रही है।

(३) कृष्ण ने कंस को मारा।

इन वाक्यों को ध्यान से यदि देखोगे तो इसमें दो तरह के अंश दिखाई देंगे। एक तरह के अंश वे हैं, जिनके विषय में कुछ कहा गया है। दूसरी प्रकार के अंश वे हैं, जिनके द्वारा पहले प्रकार के अंश के बारे में कुछ बताया गया है, कुछ विधान किया गया है।

(१) ऊपर के वाक्यों में 'मनुष्य', मोटर और कृष्ण ने ऐसे वाक्यांश हैं, जिनके विषय में कुछ कहा गया है जिनके बारे में कुछ विधान किया गया

है। इन अंशों को उद्देश्य कहते हैं। सारांश यह कि वाक्य के जिस अंश के विषय में कुछ विधान किया जाता है, उसे सूचित करने वाले शब्द या शब्दों का (उस अंश को) उद्देश्य कहते हैं।

(२) ऊपर के वाक्यों में विचारशील है, दौड़ रही है और कंस को मारा ऐसे अंश हैं। जिनके द्वारा उद्देश्य के विषय में कुछ विधान किया गया है, कुछ बताया गया है। प्रथम वाक्यांश के द्वारा मनुष्य को विचारशील बताया गया है, दूसरे वाक्यांश द्वारा मोटर के बारे में दौड़ते हुए होने का विधान है और तीसरे वाक्यांश में 'कृष्ण' रूप उद्देश्य द्वारा कंस को मारे जाने की बात बताई गई है। इन अंशों को विधेय कहते हैं सारांश यह कि वाक्य में उस अंश को विधेय कहते हैं जिसके द्वारा उद्देश्यांश के विषय में विधान किया जाता है।

बालको ऊपर कुछ कहा गया है, उसका सारांश यह है कि व्याकरण के अनुसार वाक्य के दो अंश होते हैं—(१) उद्देश्य और (२) विधेय। इसी कारण कभी-कभी वाक्य का लक्षण बताते हुए कहा जाता है—उद्देश्यांश और विधेयांश युक्त पदसमूह वाक्य होता है। व्याकरणनुसारी सामान्य वाक्यों में प्राय: पहले उद्देश्य अंश का प्रयोग किया जाता है और बाद में विधेय अंश का। ऊपर के वाक्यों की रचना इसी प्रकार की है।

नोट—(१) पर यह सिद्धान्त सर्वदा काम में नहीं आता। कभी-कभी इससे भिन्न भी वाक्य-रचना होती है, जैसे—आया था मैं। किसी के पूछने पर कि क्या तुम नहीं आए थे—वक्ता कभी-कभी उक्त रूप में उत्तर देता है, जहाँ विधेय ही पहले है और उद्देश्य बाद में है। अध्यापकों को चाहिए कि अन्य उदाहरणों द्वारा इस तथ्य को भलीभाँति छात्रों को समझा दें।

(२) यही अध्यापकों को चाहिए कि यह बात भी छात्रों को समझा दें कि कभी-कभी ऐसे वाक्य भी बोले या लिखे जाते हैं, जिनमें उद्देश्यांश का प्रयोग उच्चारित या लिखित नहीं रहता जब गुरुजी छात्र से कहते हैं, 'पढ़ो' तब यहाँ 'पढ़ो' के पहले 'तुम' अप्रयुक्त है। परन्तु

'तुम' का प्रयोग न होने पर भी वह समझ लिया जाता है इसी प्रकार 'खाता हूँ' कहने पर 'मैं' प्रयुक्त नहीं रहता, पर उसका आशय वक्ता के विधेयांश के साथ समझ लिया जाता है। यहाँ विधेय के अंश के साथ उद्देश्यांश का अर्थ छिपा रहता है—यह बात छात्रों को भली प्रकार समझा देनी चाहिए।

(३) अध्यापक को यह भी छात्रों को समझा देना चाहिए कि 'उद्देश्यांश' और 'विधेयांश' दोनों में विशेषण, क्रियाविशेषण आदि जोड़कर उनका विस्तार किया जा सकता है।

अभ्यास

(क) (१) वाक्यों के व्याकरणानुसारी कितने अंश होते हैं ?

(२) उदाहरण और लक्षण देकर उद्देश्य और विधेय का अन्तर बताओ।

(३) अपनी पाठ्य-पुस्तक में से छोटे-छोटे पाँच वाक्य लिखकर उनमें उद्देश्यांशों और विधेयांशों को बताओ।

(ख) नीचे लिखे वाक्यों को उद्देश्यांशों को लिखकर पूरा करो।

(१)............खेलता है।

(२)............दूध पीता है।

(३)............सबसे आगे दौड़ता है।

(४)............स्कूल गये।

(५)............कपड़ा सीती है।

(ग) विधेयांशों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो—

(१) मनुष्य लोग.........।

(२) बुद्धिमान विद्यार्थी.........।

(३) बलवान मनुष्य.........।

(४) परीश्रमी मजदूर.........।

(५) मीठा आम.........।

(३) वाक्य के भेद

बच्चो,

वाक्यों के अर्थानुसार अनेक भेद होते हैं। उनमें कुछ प्रमुख भेद हिन्दी व्याकरण में प्रचलित हैं। उसके विषय में यहाँ बताया जायगा। उन भेदों को ठीक-ठीक से समझने के लिए नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो—

(१) (क) विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं। (ख) पाठशाला जाते हैं।

(२) (क) परिश्रम के बिना सफलता नहीं मिलती। (ख) बिना आज्ञा यहाँ से न जाना।

(३) (क) घर चलो। (ख) माता-पिता की सेवा करो। (ग) पानी लाओ।

(४) (क) यहाँ कौन आया ? (ख) वह किसका छाता है ?

(५) (क) यह कैसा विचित्र घर है ! (ख) अरे, किताब गायब हो गई !

(६) (क) मोहन आता होगा। (ख) सम्भवतः सेठ जी चंदा दे दें।

(७) (क) तुम्हारा कल्याण होवे। (ख) सबका मंगल हो। (ग) सभी सुखी हों।

(८) (क) यदि रामू पढ़ता तो वह फेल क्यों होता। (ख) यदि मैं गाँव जाता तो आम खाने को मिलता।

इन वाक्यों पर सावधानी के साथ विचार करने पर वाक्य की अर्थ-बोधकता में जो विविधता दिखाई देती है उनका परिज्ञान नीचे दिए विवेचन से मिल जायगा—

विधि-सूचक—अंश (१) के वाक्यों द्वारा किसी घटना या काम का होना सूचित होता है। ऐसे वाक्यों को विधि-सूचक वाक्य कहते हैं।

निषेध-सूचक—अंश (२) के वाक्य से किसी वस्तु का अभाव सूचित होता है। ऐसे वाक्यों को निषेध-सूचक वाक्य कहते हैं।

आज्ञा-सूचक—अंश (३) के वाक्यों से आज्ञा का आदेश अथवा उपदेश सूचित होता है। ऐसे वाक्यों को आज्ञा-सूचक वाक्य कहते हैं।

प्रश्न-सूचक—अंश (४) के वाक्य से प्रश्न सूचित होता है। अतः इन्हें प्रश्न-सूचक वाक्य कहते हैं।

विस्मयादि-सूचक—अंश (५) के वाक्यों से आश्चर्य, विस्मय कौतूहल आदि सूचित होता है। ऐसे वाक्यों को विस्मयादि-बोधक वाक्य कहते हैं।

संभावना-सूचक—अंश (६) के वाक्य संभावना सूचित करते हैं। अतः ऐसे वाक्यों को संभावना-सूचक कहते हैं।

आशंसा-सूचक—अंश (७) के वाक्य आशंसा या कामना सूचित करते हैं। ऐसे वाक्यों को आशंसा-सूचक कहते हैं।

संकेत-सूचक—अंश (८) के वाक्य संकेत शर्त सूचित करते हैं। अतः इन्हें संकेत सूचक कहते हैं।

इस भाँति ऊपर बताए गए वाक्य के अर्थानुसार भेद आठ प्रकार के होते हैं—

(१) विधि-सूचक (२) निषेध-सूचक
(३) आज्ञा सूचक (४) प्रश्न-वाचक
(५) विस्मयादि-सूचक (६) सम्भावना-सूचक
(७) आशंसा-सूचक (८) संकेत-सूचक

[यहाँ यह भी स्मरण रखना चाहिए कि इसी प्रकार वाच्य के विचार से वाक्य तीन प्रकार के होते हैं—

(क) कर्त्तृवाच्य-वाक्य—जिस वाक्य की क्रिया कर्त्तृवाच्य की हो।

(ख) कर्मवाच्य-वाक्य—जिस वाक्य की क्रिया कर्मवाच्य की हो।

(ग) भाव-वाच्य-वाक्य—जिस वाक्य की क्रिया भाववाच्य की हो।]

अभ्यास

(१) अर्थानुसार वाक्य के भेद बताओ।
(२) आशंसा-सूचक किसे कहते हैं।
(३) कर्त्तृवाच्य के वाक्य लिखो।

●

दूसरा पाठ

शब्द-विचार

[१]

[तत्सम, तद्भव, देशी, विदेशी शब्द]

बच्चो,

हमारे बोल-चाल और व्यवहार की शिष्ट भाषा हिन्दी है। इस हिन्दी भाषा का जन्म संस्कृत से हुआ है। पर यह सीधे संस्कृत से नहीं निकली है। संस्कृत से प्राकृत भाषा और प्राकृत भाषा से अपभ्रंश भाषा और अपभ्रंश भाषा से हिन्दी के प्राचीन रूप का विकास हुआ है। पर जो शब्द हमारी हिन्दी में आए और प्रचलित हुए, उनमें से बहुत से सीधे संस्कृत से आए हैं और बहुत से शब्द प्राकृत और अपभ्रंश आदि भाषाओं से चल कर पहुँचे हैं।

संस्कृत के जो शब्द बिना बिगड़े या बिना विकसित हुए अपने शुद्ध रूप में बोले या लिखे जाते हैं उन्हें हिन्दी के व्याकरण में 'तत्सम' शब्द कहते हैं, जैसे—मनुष्य, बालक, छात्र, शिष्य, गुरु, देवता, वृक्ष, पर्वत, पुत्र, सूर्य, चन्द्र, तारा, लता, नदी; रुचि, ज्ञान, गृह, आनन्द, रोग, भय छल, कपट, सुख, प्रशंसा निद्रा, नेत्र, केश, चरण आदि।

वे शब्द जो संस्कृत से चलकर प्राकृत और अपभ्रंश आदि से होते हुए हमारी हिन्दी में पहुँचे हैं और उनका रूप बदल गया है, उन्हें 'तद्भव' शब्द कहते हैं। तद्भव शब्द का अर्थ है, मूल संस्कृत भाषा से विकसित होकर बदले हुए रूप के शब्द जैसे—पान (सं० पर्ण), आग (सं० अग्नि), दूध (सं० दुग्ध), दही (सं० दधि), दिया (सं० दीप), आज (सं० अद्य), कुआँ (सं० कूप), जीभ (सं० जिह्वा), घर (सं० गृह), पत्ता (स० पत्र), गाय (सं० गो), घोड़ा (सं० घोटक), घड़ा (सं० घट), गदहा (सं० गर्दभ), धुआँ (सं० धूम), हाथ (सं० हस्त), पाँव (सं० पाद), नाक (सं० नासिका), कान (सं० कर्ण), हाथी (सं० हस्ती) आदि।

बालको, हिन्दी भाषा के स्वरूप को यदि हम देखें तो हमारी भाषा में ऊपर बताए गए तत्सम और तद्भव शब्दों के अलावा भी अनेक तरह के शब्द प्रयुक्त होते हैं। इनमें बहुत से शब्द तो ऐसे होते हैं जो भिन्न-भिन्न देशों में प्रयुक्त होने वाले हैं, उनके बारे में यह नहीं पता चलता कि वे तत्सम हैं या तद्भव। किन्तु साथ ही ऐसा जान पड़ता है कि वे हमारे देश के शब्द हैं अथवा देश में शताब्दियों से बोल रहे हैं। ऐसे शब्दों को 'देशी' शब्द कहते हैं, जैसे—लड़ाई, झगड़ा, आदि।

इस तरह भाषा में मुख्यतः तीन प्रकार के शब्द हैं—तत्सम, तद्भव और देशी। किन्तु इसके अतिरिक्त अनेक भाषाओं के विदेशी शब्द भी आज हिन्दी में ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण आकर मिल गए हैं। इनमें अरबी, फारसी, और अंग्रेजी, इन भाषाओं के शब्द मुख्य हैं। कुछ फारसी शब्द—

कालीन, कागज, कमर, खुदा, खैर, खैरियत, खुश, गुलाब, चश्मा, जमीन, आग, तलवार, दाग, फर्श, शहद ताज।

कुछ अरबी शब्द—

आदम, आदमी, इल्म, उस्ताद, कत्ल, किताब, जुल्म, जख्म, जलसा, माकूल, मालूम, हुक्म, हाकिम, हुजूर, आदि।

कुछ अंग्रेजी शब्द—

आफिस, अफसर, कप्तान, कंट्रोल, कांग्रेस, कालेज, कान्फरेन्स, कलक्टर, कान्स्टेबुल, टेबुल, ट्रेन, मास्टर, रेलवे स्कूल, स्टूल, स्टेशन, होटल, होस्टल, हेडमास्टर आदि।

नोट—विदेशी शब्द बहुधा जिस भाषा में प्रयुक्त होते हैं; उसी के अनुसार विदेशी भाषा की ध्वनियों का कुछ रूपान्तर हो जाता है। पर कभी-कभी विदेशी शब्द शुद्ध रूप में भी रहते हैं। जैसे—स्कूल, स्टूल आदि। पर इनमें भी बहुत बारीक भेद होने लगता है।

ऊपर के तीन भेदों के अलावा चौथा भेद विदेशी शब्दों का भी समझना चाहिए। इस प्रकार हमारी भाषा में चार प्रकार के शब्द प्रयुक्त दिखाई पड़ते हैं—तत्सम, तद्भव, देशी और विदेशी।

हिन्दी भाषा में इन सब प्रकार के शब्दों का प्रयोग मिलता है और उन सब के मिले-जुले रूप को हम हिन्दी कहते हैं, पर बच्चो, यह याद रखना चाहिए कि चाहे संस्कृत के शब्द हों या अरबी-फारसी के, हिन्दी में उन्हीं का प्रयोग ठीक है जो बहुत दिनों से हिन्दी में बोले और लिखे जा रहे हैं। साधारण लोग जिन तत्सम या विदेशी शब्दों को समझते-बूझते हैं, उन्हीं का प्रयोग हमें भी करना चाहिए, नहीं तो हमारी भाषा बनावटी और बेढंगी हो जाती है।

अभ्यास

(१) उदाहरण देते हुए तत्सम और तद्भव शब्दों के भेद बताओ।
(२) कुछ ऐसे तद्भव शब्दों को लिखो जिनके तत्सम रूप भी हिन्दी में बोले और लिखे जाते हैं।
(३) देशी शब्द का परिचय दो।

: २ :

शब्द के भेद

[विकारी और अविकारी शब्द तथा रूढ़ योगिक और योगरूढ़ शब्द]

विकारी और अविकारी शब्द

बालको,

ऊपर बताया जा चुका है कि शब्दों से वाक्य बनते हैं और यह भी बताया जा चुका है कि वाक्य के शब्दों का परस्पर सम्बन्ध होना या उनका आपस में अन्वित होना आवश्यक होता है। तभी उनके द्वारा वक्ता के अभिप्रेत अर्थ का बोध होता है।

नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो और विचार करो—

(१) वह छोटा लड़का और उसकी छोटी बहन—दोनों घर पर ताश खेल रहे हैं।

(२) वह बड़ा बालक बड़ी छड़ी लेकर आ रहा है।

(३) कड़ी भूमि में कड़े कंकड़ निकले हुए हैं।

(४) उस मोटी डाल पर मोटा बन्दर बैठा है और उसके नीचे जमीन पर बिल्ली बैठी है।

लड़को, इन वाक्यों को ध्यानपूर्वक मनन करो। तुम देखते हो कि इनमें लड़का-लड़की, छोटा-छोटी, बड़ा-बड़ी, कड़ा-कड़े, बैठा-बैठी आदि ऐसे शब्द हैं जिनके रूप में परिवर्तन या विकार होते हैं। जिन शब्दों के रूप में परिवर्तन या विकार होते हैं, उनको विकारी शब्द कहते हैं।

इन्हीं वाक्यों में और, आदि शब्द ऐसे हैं जिनमें किसी भी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, इन शब्दों को अविकारी शब्द कहते हैं। कभी-कभी इन्हें 'अव्यय' भी कहते हैं। इस प्रकार शब्दों के ये दो भेद, शब्दों में होने-वाले रूप परिवर्तन के विचार से माने जाते हैं।

रूढ़, यौगिक और योगरूढ़ शब्द

बच्चो, शब्दों की व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर भी शब्दों के भेद किए जाते हैं। भाषा में कुछ शब्द तो ऐसे होते हैं जो बहुत दिनों से विशेष प्रकार का अर्थ बताते चले आ रहे हैं। जैसे, वृक्ष शब्द का अर्थ पेड़ होता है या पेड़ का अर्थ जो वस्तु विशेष है बहुत दिनों से पेड़ शब्द उस वस्तु का बोध कराता आ रहा है, ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। रूढ़ का अर्थ होता है, शब्दों की वह शक्ति जिसके द्वारा परम्परा से चले आनेवाले अर्थ का बोध होता है। रूढ़ि के द्वारा अर्थ का बोधन करने वाला शब्द रूढ़ कहा जाता है।

दूसरे प्रकार के शब्द वे होते हैं जिनमें शब्द के खंडों से आये हुए अर्थ का बोध होता है अर्थात् शब्दांशों के योग से आने वाला अर्थ समझा जाता है, जैसे गायक, पाठक, जन-सेवक, परोपकारी आदि।

यहाँ पहले दो उदाहरणों में मूल धातु और प्रत्यय के योग से बने शब्दों में यौगिक अर्थ का ज्ञान होता है। अन्तिम दो उदाहरणों में जिन शब्दों का समास हुआ है, उनके अनुसार अर्थ का बोध होता है

कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं जो अपने अंशों के योगानुसार अर्थ का बोध तो करते हैं किन्तु अर्थ विशेष में ही उनका प्रयोग होता है, सामान्य में नहीं, जैसे—'केशरी' शब्द। केशर शब्द का अर्थ अयाल या गर्दन के बाल हैं। इसलिए गर्दन पर बाल वाले जानवरों को केशरी कहा जा सकता है, किन्तु सिंह के ही अर्थ में उसका प्रयोग होता है, घोड़े आदि के लिए नहीं। इसी तरह पंकज शब्द है। उसका यौगिक अर्थ होगा, कीचड़ में उत्पन्न होने वाला, पर उससे घोंघा या सेवार का बोध न होकर कमल का ही बोध होता है। उसी तरह सरोज शब्द भी है। लम्बोदर शब्द का अर्थ बड़े पेट वाला या तोंदैल होता है किन्तु गणेशजी के लिए यह शब्द योगरूढ़ है। हाथी (सं० हस्ती) भी ऐसा ही है। हाथोंवाला होने पर मनुष्य को हस्ती नहीं कहते। गज को ही हाथी या हस्ती कहते हैं। पुण्डरीकाक्ष का अर्थ कमल की पंखुड़ी के समान बड़ी आँख वाला होने पर भी कृष्ण या

विष्णु के लिए ही इस शब्द का प्रयोग होता है। ऐसे शब्दों को योगरूढ़ कहते हैं।

इस प्रकार बनावट की दृष्टि से अथवा व्युत्पत्ति के अनुसार शब्दों के तीन भेद होते हैं (१) रूढ़—ऐसे शब्द जो कि अपने खण्डों के अनुसार अर्थ का बोध न करा के परम्परागत अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे, कुशल अर्थात् चतुर (कुशल यौ० अर्थ कुश लाने वाला) (२) दूसरे प्रकार के शब्द वे हैं जो अपने शब्दांश या खण्डों अथवा शब्दों के अर्थानुसारी अर्थ का बोध कराते हैं। इन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। ये कभी शब्दांश और प्रत्यय के योग से बनते हैं और कभी-कभी अनेक शब्दों के योग से भी बनते हैं। (३) तीसरे प्रकार के शब्द वे हैं जो यौगिक होकर भी योगानुसारी अर्थ विशेष में ही रूढ़ रहते हैं। इन्हें योगरूढ़ शब्द कहते हैं।

[नोट—इन तीनों प्रकार के शब्दों की सीमा अधिकत: संज्ञा शब्दों और कभी-कभी विशेषणों तक में ही सीमित रहती है।]

अभ्यास

(१) योग रूढ़ और यौगिक शब्दों की परिभाषा बताकर उदाहरण द्वारा इनका अन्तर स्पष्ट करो।

(२) इस पाठ में आए हुए रूढ़ शब्दों के अतिरिक्त अपनी पाठ्य-पुस्तक से पाँच रूढ़ शब्दों को ढूँढ़कर लिखो।

(३) रूढ़ और योगरूढ़ का सोदाहरण अन्तर लिखो।

शब्दांश

बच्चो,

ऊपर 'यौगिक शब्दों के प्रसंग में' शब्दांश की चर्चा हुई है। तुम यह जानना चाहोगे कि शब्दांश किसे कहते हैं। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं इन्हें ध्यानपूर्वक पढ़ो।

(क)

(१) मोहन रेल पर बैठकर कलकत्ता गया।
(२) सोहन कलम से कापी पर लिखता है।

ऊपर के इन वाक्यों में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका अकेले कोई महत्व न होने के कारण उनकी कोई सार्थकता नहीं होती है। जैसे पर, से और पर। रेल, कलम तथा कापी के बाद आने पर अपने पूर्ववर्ती शब्दों के अर्थ से जुड़कर वे अर्थ-बोधक हो जाते हैं। पहले वाक्य में रेल के साथ 'पर' संयुक्त होकर भीतर या ऊपर का अर्थ बताता है। दूसरे वाक्य में 'से' कलम से संयुक्त होकर द्वारा का, और 'पर' कापी से संयुक्त होकर ऊपर का अर्थ-बोधक होता है।

कहने का सारांश यह कि वाक्य में कुछ अंश ऐसे होते हैं जो अन्य शब्दार्थों से संयुक्त होकर ही अर्थ-बोधक होते हैं और अकेले उनका विचार करने पर निरर्थक ज्ञात होते हैं। हिन्दी व्याकरण में ऐसे अंशों को शब्दांश कहा गया है। इन्हें वस्तुतः शब्दांश का एक प्रकार समझना चाहिए।

अतएव ऊपर के वाक्यों में प्रयुक्त पर, से आदि शब्दांश हैं।

(ख)

(१) उदारता और दयालुता मनुष्य के विशेष गुण हैं।
(२) मनुष्य में देवत्व उसकी ऊँचाई का द्योतक है।

इन वाक्यों में उदारता और दयालुता में 'ता' अंश, विशेष अर्थ का द्योतक होता है। अलग रहने पर उसका न तो प्रयोग होता है और न उसकी सार्थकता ही होती है। किन्तु उदार और दयालु शब्दों से जुड़कर वह अंश अर्थ-बोधक हो जाता है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में देवत्व का 'त्व' और ऊँचाई का 'ई' या 'आई'—(दोनों ही अकेले रहने पर निरर्थक से लगने वाले भी) देव और उँचा शब्दों से संयुक्त होकर उन शब्दों के अर्थ की विशेषता बताते हैं। हिन्दी व्याकरण में इन्हें शब्दांश कहा जाता है (संस्कृत व्याकरण में ऐसे अंशों को 'प्रत्यय' कहते हैं और इनके पूर्व जो शब्दरूप अंश हैं, उनको प्रकृति कहते हैं।)

अतएव ता, त्व, आई, ई, अथवा पन, वट या पाठक का अक, गायक का अक आदि भी शब्दांश कहे जाते हैं।

(ग)

(१) गाँधी जी ने अहिंसा द्वारा विजय पाई।
(२) रमेश प्रतिदिन प्रातःकाल अध्ययन करता है।
(३) नेहरू चाचा का प्रभाव विदेशों में छाया हुआ है।

प्रथम वाक्य के 'विजय' में जय के पूर्व लगा हुआ 'वि' अर्थ में विशेषता सूचित करता है। अध्ययन का अधि भी इसी प्रकार विशेष अर्थ का बोध कराता है। दूसरे वाक्य में दिन के पूर्व 'प्रति' नित्यता का अर्थ देता है। तीसरे वाक्य में प्रभाव का 'प्र' भाव में जुड़कर विशेष अर्थ सूचित करता है तथा देश के पहले लगा हुआ 'वि' भी स्वदेश से अतिरिक्त देशों का बोध कराता है। पर शब्दों से अलग यदि ये ही अंश—वि, प्रति, अधि, प्र और वि—अकेले प्रयुक्त होते तो अर्थहीन-से लगते। तात्पर्य यह है कि 'वि' प्रति आदि अंश शब्दों के पहले जुड़कर उनके अर्थों में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। कहीं तो परवर्ती शब्द के अर्थ में प्रकर्ष या उत्कर्ष सूचित करते हैं या उसे अधिक महत्ववाला बना देते हैं, कहीं उनके अर्थों में कोई खास विशेषता उत्पन्न करते हैं, और कहीं दूसरा अर्थ प्रकट करने लगते हैं। हिन्दी

व्याकरण में शब्दों के पूर्व जुड़नेवाले ऐसे अंशों को भी शब्दांश कहते हैं। (इन शब्दांशों को बहुधा संस्कृत-व्याकरण के आधार पर उपसर्ग भी कहा जाता है।)

बालको, ऊपर जो कुछ कहा गया है, ध्यानपूर्वक उसे मनन करने पर यह ज्ञात होता है कि क और ख अंशों में, बताये गए शब्दांश ऐसे हैं जो शब्दों के आगे जुड़ते हैं और फिर अपने पूर्ववर्ती शब्द के अंश बनकर अपने अर्थ को प्रकाशित करते हैं। संस्कृत के व्याकरण के अनुसार दोनों प्रकार के शब्दांशों को प्रत्यय कह सकते हैं। क अंश के शब्दांशों को विभक्ति-प्रत्यय भी कहते हैं। विभक्तियों का परिचय आगे दिया जायगा। ख अंश के शब्दांश सामान्यत: प्रत्यय कहे जाते हैं।

ग अंश के शब्दांश बाद में न जुड़कर शब्दों के पूर्व जुड़ते हैं और परवर्ती शब्दांश के अर्थ में विशेषता, उत्कृष्टता, अपकर्ष अथवा भिन्नता उत्पन्न करते हैं। इनको उपसर्ग कहा जाता है।

अभ्यास

(१) शब्दांश की परिभाषा बताओ।

(२) प्रकृति और प्रत्यय का परिचय दो।

(३) अपनी पाठ्य-पुस्तक में से सात ऐसे शब्द ढूँढ़कर लिखो जिसमें शब्दांश या प्रत्यय बाद में जुड़े हों।

(४) दस ऐसे शब्द लिखो जिनमें प्र, वि, अनु, आ, परा, प्रति उपसर्गों का योग हो।

: ४ :

विकारी और अविकारी शब्दों के भेद

बच्चो,

ऊपर हम बता चुके हैं कि वाक्य बनाने वाले शब्दसमूह में दो प्रकार के शब्द प्रयुक्त होते हैं, एक विकारी और दूसरा अविकारी। यह भी तुम्हें बताया जा चुका है कि वाक्य के विकारी शब्दों के रूप में विकार होता है। इसका तात्पर्य यह है कि वाक्य में संज्ञा के लिंग, वचन और कारक आदि के अनुसार जिन शब्दों के रूप बदल जाते हैं वे विकारी शब्द कहलाते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और कभी-कभी विशेषण तथा क्रिया के रूपों में लिङ्ग, वचन आदि के अनुसार विकार या परिवर्तन होता है। उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायगा।

संज्ञा—लड़का, लड़की, लड़के, लड़कियाँ।
लता, लताएँ।
बच्चा, बच्चे, बच्चों। बच्ची, बच्चियाँ।

सर्वनाम—उसका, उसकी, उसके।
मेरा, हमारा, मेरी, हमारी।
उसे, उन्हें, जिसे, जिन्हें।
तुझे, तुम्हें।
तेरा, तेरी!
तुम्हारा, तुम्हारी।

विशेषण—छोटा, छोटी । बड़ा, बड़ी, बड़ों ।
अच्छा, अच्छी, अच्छे, अच्छों ।
बुरा, बुरी, बुरे आदि ।
था, थी, थे ।
है, हैं, हो, हों ।

नोट—विशेषण में मुख्यतः लिंग और वचन के अनुसार ही परिवर्तन होते हैं ।

अविकारी या अव्यय उस प्रकार के शब्द को कहते हैं जिसके रूप में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात् लिङ्ग, वचन आदि के कारण भी जिनके रूप नहीं बदलते उन शब्दों को अविकारी कहते हैं । जैसे, अब तब, हाँ, नहीं, हाय, यहाँ, वहाँ आदि ।

बालको, ऊपर जो कुछ कहा गया है उसका सारांश यह हुआ कि सार्थक शब्दों के दो भेद होते हैं, विकारी और अविकारी । विकारी शब्द के चार भेद सामान्यतः माने जाते हैं—संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया । अविकारी शब्द का कोई भेद नहीं होता । उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता और उसे अव्यय कहते हैं ।

अभ्यास

(१) विकारी शब्द का अर्थ क्या है ?
(२) क्रिया को विकारी शब्द क्यों कहते हैं ?
(३) पाठ्य-पुस्तक से ढूँढ़कर ऐसे पाँच क्रिया-शब्दों को चुनो, जिनके लिंग—वचनानुसार बदलते हुए अनेक रूप पाठों में प्रयुक्त हुए हों ।
(४) अपनी पाठ्यपुस्तक के किसी एक गद्य-पाठ में से ग्यारह अव्यय शब्दों को ढूँढ़कर लिखो ।

तीसरा पाठ

संज्ञा

बच्चो,

विकारी शब्द के चार भेदों की बात ऊपर कही जा चुकी है। उनमें सबसे पहला भेद संज्ञा-शब्दों को बताया गया है। संज्ञा-शब्द किसे कहते हैं, इसे समझने के लिए नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं :

(१) अध्यापक छात्रों को पढ़ाते हैं। मेढक उछलते हैं।
(२) ज्ञानू आम खाता है। श्यामू गेंद खेलता है।
(३) बुढ़ापे में शक्ति घट जाती है। क्रूरता बाघ का धर्म है।

प्रथम दो वाक्यों में अध्यापक आदि शब्द ऐसे हैं, जो विशेष प्रकार के व्यक्तियों और जन्तु विशेष के नाम हैं। दूसरी पंक्ति के दोनों वाक्यों में ज्ञानू और श्यामू व्यक्तियों के नाम हैं। तीसरी पंक्ति में बुढ़ापा अवस्था विशेष को या विशेष अवस्था के भाव को सूचित करता है और क्रूरता बाघ के गुण को। ये सभी शब्द एक प्रकार के व्यक्ति अथवा जाति या भाव के गुण के नाम हैं। व्याकरण में ऐसे शब्दों को संज्ञा कहते हैं।

संज्ञा—किसी व्यक्ति या वस्तु या पदार्थ (जाति, व्यक्ति या भाव) के नाम को संज्ञा कहते हैं।

[१]

संज्ञा के भेद

(क) आम भारत का प्रसिद्ध फल है।
(ख) नदियाँ बरसात में बढ़ जाती हैं।
(ग) विद्यार्थी पुस्तक पढ़ते हैं।

क वाक्य में आम और फल शब्द ऐसे हैं, जो सभी आमों और फलमात्र का अर्थ प्रकट करते हैं। आम या फल कहने से किसी खास तरह के फल का अर्थ नहीं सूचित होता। ऐसे शब्द जो किसी जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों का बोध कराते हैं, वे ऐसी संज्ञाएं हैं, जिनसे जाति का ज्ञान होता है।

सारांश यह हुआ कि जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग के सभी व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।

[२]

क—काशी पवित्र नगरी है।

ख—पण्डित जवाहरलाल नेहरू भारत के सबसे प्रसिद्ध नेता थे।

ग—गाँधीजी देश के उद्धारक थे।

प्रथम वाक्य में 'काशी' एक विशेष नगरी का नाम है। द्वितीय वाक्य में भी पण्डित जवाहरलाल नेहरू व्यक्ति विशेष का नाम है और तृतीय वाक्य में गाँधीजी शब्द से भी एक विशेष व्यक्ति का बोध होता है। तीनों ही विशेष स्थान या विशेष व्यक्ति के नाम हैं। इन्हें या ऐसे अन्य नामों को व्यक्ति-वाचक संज्ञा कहते हैं।

ऊपर जो कहा गया है, उसका सारांश यह है कि जिस शब्द के द्वारा एक व्यक्ति, एक स्थान या किसी एक विशेष वस्तु का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं।

(१) कुछ जातिवाचक संज्ञाएँ—मनुष्य, पुत्र, माता, पहाड़, पेड़, पशु, पंछी, बिल्ली, कुत्ता, गाय, भैंस, हाथ, पाँव, आँख, विद्यार्थी, अध्यापक, कुर्ता, धोती, घर, नगर, आदि जातिवाचक संज्ञाएँ हैं।

(२) कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ—प्रयाग, कलकत्ता,

बम्बई, हिन्दू विश्वविद्यालय, मोहनदास कर्मचन्द गाँधी, बुद्धदेव, रवीन्द्रनाथ ठाकुर, हिमालय, हिन्दमहासागर, मोहन, सोहन आदि व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ हैं।

[३]

क—भलाई करने वाला मनुष्य मन में सुखी रहता है।

ख—बचपन में खेलना अच्छा लगता है।

ग—वीरों में उत्साह और साहस का होना आवश्यक है।

घ—ठंढक से अपने को बचाना चाहिए।

क अंश में भलाई शब्द गुण विशेष को सूचित करता है। ख अंश का 'बचपन' अवस्था विशेष की वृत्ति को सूचित करता है। ग अंश में उत्साह और साहस द्वारा मनुष्य के गुणों का परिचय मिलता है। घ अंश में ठंढक शब्द विशेष दशा को प्रकट करता है। ये सभी स्थितियाँ या दशाएँ जिस तत्व को सूचित करती हैं व्याकरण में उसे भाव कहा गया है और ऐसे भाव को सूचित करनेवाले नाम शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं।

कहने का अभिप्राय यह कि जिन नाम शब्दों द्वारा गुण या दशा, क्रिया अथवा भाव का अर्थ सूचित होता है, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।

कुछ भाववाचक संज्ञाएँ—सज्जनता, कृपालुता औदार्य, शौर्य, बुढ़ापा, लड़कपन, घबराहट, सजावट, ललाई, सफेदी, चिकनाई, मुटाई, बड़ाई, अशान्ति, क्रोध, मोह, सांझ, रात, मूर्खता, आदि भाववाचक, संज्ञाएँ हैं।

कुछ और अधिक स्पष्ट रूप से यह बताना आवश्यक है कि नीचे लिखी चीजें प्रायः भाववाचक संज्ञाएँ होती हैं।

गुणों के नाम—गुराई, पीलापन, मिठास, कड़वापन, आदि।

मन के भावों के नाम—दया, घृणा, मोह, क्रोध आदि।

व्यापार या क्रिया की स्थिति के नाम—दौड़-धूप, उछल-कूद, रुकावट, बनावट, स्वप्न, निद्रा, जागरण, फैलाव आदि।

विद्याओं के नाम—व्याकरण, दर्शन, गणित, ज्योतिष आदि।

समय के नाम—दिन, रात, जाड़ा, बरसात, सन्ध्या, प्रभात आदि।

रोगों के नाम—सर्दी, बुखार, ज्वर, अतिसार आदि।

बच्चों, भाववाचक संज्ञा का विस्तार बहुत दूर तक होता है। जाति के भावों को बताने वाले नाम भी भाववाचक संज्ञाएँ होती हैं, जैसे, मनुष्य से मनुष्यत्व, पशु से पशुत्व, स्त्री से स्त्रीत्व आदि।

पशु में रहने वाला धर्मविशेष पशुत्व है, जिसके रहने के कारण ही पशुओं को पशु कहा जाता है। मनुष्यत्व भी ऐसा ही धर्म है, जिसके कारण मनुष्य जाति मनुष्य नाम से पुकारी जाती है।

जिस प्रकार जातिवाचक नामों से भाववाचक संज्ञाएँ बन जाती हैं, उसी प्रकार विशेषण और क्रिया वाले शब्दों से भी अनेक भाववाचक संज्ञाएँ बनती हैं।

क्रिया से—चढ़ाई, लड़ाई, बहाव, रुकावट आदि।

विशेषण—मोटाई, छोटाई, अच्छाई, बड़ाई आदि।

बालको, इन उदाहरणों को देखने से प्रतीत होता है कि बहुत-सी भाव-वाचक संज्ञाएँ ऐसी हैं, जो नीचे लिखे हुए प्रत्ययों में से किसी एक के लगने से बनती हैं।

भाववाचक संज्ञा बनाने वाले कुछ प्रत्यय—पन, पा,

वट, हट, ई, आई, त्व, ता आदि। इनके लगने से क्रमशः नीचे लिखे भाववाचक नाम शब्द बनते हैं—

बचपन, बुढ़ापा, सजावट, घबराहट खराबी, भलाई, मनुष्य और दयालुता।

बालको, भाववाचक संज्ञा के प्रसंग में एक बात याद रखना। भाववाचक संज्ञा जब एक ही भाव का बोध कराती है, तब वह भाववाचक संज्ञा रहती है, किन्तु जब एक से अधिक भावों का बोध कराती है, तब वही नाम शब्द जातिवाचक संज्ञा हो जाता है। जैसे—

लड़ाइयों ने राजस्थान के राजाओं को शक्तिहीन कर दिया; रोगों ने नगर को तबाह कर दिया आदि। इन वाक्यों में लड़ाइयों और रोगों—भावावाचक संज्ञाएँ न रहकर जातिवाचक संज्ञाएँ हो जाती हैं।

संज्ञा शब्द के ये ही तीन भेद हैं—(१) जातिवाचक संज्ञा, (२) व्यक्तिवाचक संज्ञा और (३) भाववाचक संज्ञा। परन्तु कुछ विद्वान् इनके अतिरिक्त संज्ञा के दो और भेद भी बताते हैं। (१) द्रव्यवाचक संज्ञा और (२) समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा—सोना, चाँदी पानी, वायु, गेहूँ, पवन आदि शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा के अन्तर्गत रखते हैं। उसके अनुसार द्रव्यवाचक संज्ञा की परिभाषा होती है—

राशि या ढेर के रूप में पाई जाने वाली वस्तु का नाम बतानेवाले शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा होते हैं।

पर ध्यानपूर्वक विचार करने से दिखलाई पड़ता है कि द्रव्यवाचक संज्ञा भी वस्तुतः एक प्रकार की जातिवाचक संज्ञा ही है, क्योंकि द्रव्यों की भी जातियाँ होती हैं। अतः इसके अलग मानने की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है।

समूहवाचक संज्ञा—कुटुम्ब, परिवार, सभा, समिति, संघ, भीड़, झुण्ड आदि शब्द, जिनके द्वारा अलग-अलग प्राणियों अथवा वस्तुओं के नाम न बताकर उनके समूहों का नाम बताया जाता है, उन्हें समूह-वाचक संज्ञा मानते हैं। समूहवाचक संज्ञा उन शब्दों को कहते हैं, जिनके द्वारा प्राणियों, पदार्थों, वस्तुओं के समूह का नाम सूचित होता है।

समूहवाचक संज्ञा भी जातिवाचक संज्ञा का ही एक रूप है, क्योंकि समूहों की भी अनेक जातियाँ होती हैं। अतः इस संज्ञा का भी एक अलग भेद मानना आवश्यक नहीं है।

सारांश यह कि द्रव्यवाचक संज्ञाओं और समूहवाचक संज्ञाओं का समावेश जातिवाचक संज्ञा के ही अन्तर्गत हो जाता है। अतः इन्हें पृथक् भेद के रूप में मानना आवश्यक नहीं जान पड़ता।

बालको, संज्ञा के विभिन्न भेदों के बारे में एक बात याद रखनी चाहिए। जिस वाक्य में जो संज्ञा शब्द जिस प्रकार का अर्थ सूचित करता है, उसी अर्थ के अनुसार उसका नामकरण होता है। कभी-कभी ऐसा देखने में आता है कि जातिवाचक नाम भी व्यक्ति विशेष के लिए विशेष परिस्थिति में प्रयुक्त होते हैं, जैसे—गांधीजी ने अहिंसा का मार्ग प्रशस्त किया, मालवीय जी काशी-विश्वविद्यालय के जन्मदाता थे। इन वाक्यों में गाँधी और मालवीय शब्द उन उपाधि वाले सभी व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं। पर महत्ता और परिस्थिति के कारण गांधीजी शब्द द्वारा मोहनदास कर्मचन्द गाँधी का और मालवीय जी शब्द द्वारा मदनमोहन मालवीय का ही होता है। अतः यहाँ ये जातिवाचक नाम व्यक्तिवाचक हो गए हैं।

कभी-कभी इसी प्रकार परिस्थितिवश और वक्ता के अभिप्राय के कारण व्यक्तिवाचक संज्ञाएँ भी जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त होती हैं। जैसे—परस्पर विरोध के कारण अनेक लोग विभीषण बनकर शत्रुओं के सहायक हो जाते हैं। अथवा भारत के मानसिंहों ने अंग्रेजों को राजा बनाया। यहाँ

विभीषण और मानसिंह शब्द जातिवाचक हो गए हैं। इसी प्रकार और भी बहुत से शब्द जातिवाचक हो जाते हैं। जैसे—पुरी–जगन्नाथ धाम के अर्थ में, 'कंस' कुल संहारक के अर्थ में, गङ्गा—अन्य नदियों के अर्थ में। अतः यह याद रखना चाहिए कि सूचित अर्थ के अनुसार ही संज्ञा शब्दों का भेदों में समावेश होता है।

अभ्यास

(१) व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञाओं की परिभाषा बताओ।

(२) भाववाचक संज्ञाएँ कैसे क्रिया-शब्दों और विशेषण शब्दों से बनती हैं—इसे उदाहरण देकर समझाओ।

(३) इस पाठ में आए हुए शब्दों से भिन्न ऐसे तीन-तीन शब्द लिखो, जिनसे व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के अर्थ में और जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के अर्थ में प्रयोग हुआ हो।

●

[२]

संज्ञाओं के लिंग-भेद

बच्चो,

संज्ञा में होनेवाले विकार या रूपान्तर के सम्बन्ध में तुम्हें बताया गया है। लिंग, वचन आदि के कारण संज्ञा के रूप में विचार होता है। नीचे कुछ वाक्य दिए जा रहे हैं, उन्हें ध्यानपूर्वक देखो।

(१)	(२)
(क) बच्चा चलता है।	(क) बच्ची चलती है।
(ख) श्यामू पढ़ता है।	(ख) श्यामा पढ़ती है।

(ग) दर्जी कपड़ा सीता है। (ग) दर्जिन कपड़ा सीती है।
(घ) माली फूल चुनता है। (घ) मालिन फूल चुनती है।

इन उदाहरणों में अंश (१) के जो वाक्य हैं उनसे पुरुषों के कार्यों का बोध होता है और अंश (२) के वाक्यों से स्त्री जाति के कामों का ज्ञान होता है। अंश (१) के वाक्यों में कर्ता पुंल्लिग के हैं और अंश (२) के वाक्यों में कर्ता स्त्रीलिंग के हैं। इन वाक्यों में क्रियाएँ भी कर्ता के अनुसार पुंल्लिग या स्त्रीलिंग में हैं। क्रिया के लिंग के विषय में बाद में बताया जायगा। यहाँ अभी केवल संज्ञा-पदों के सम्बन्ध में बताया जा रहा है।

संज्ञा पदों के जिस तत्व से पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध होता है, उसे व्याकरण में लिंग कहते हैं।

संस्कृत में पुंल्लिग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग ये तीन लिंग हैं, किन्तु हिन्दी में पुंल्लिग और स्त्रीलिंग—ये दो ही लिंग माने गए हैं।

ऊपर के उदाहरणों में संज्ञा के कुछ रूप पुरुष-जाति का बोध कराते हैं और कुछ रूप स्त्री-जाति के बोधक होते हैं। संज्ञा के जिन रूपों से पुरुष जाति का बोध होता है, उन्हें पुंल्लिग संज्ञा कहते हैं और जिससे स्त्री-जाति का बोध होता है, उन्हें स्त्रीलिंग संज्ञा कहते हैं।

ऊपर के उदाहरणों में अंश (१) की संज्ञाएँ पुंल्लिग में हैं और अंश (२) की संज्ञाएँ स्त्रीलिंग में हैं।

अनेक प्राणिवाचक शब्दों का प्रयोग दोनों लिंगों में होता है। ऐसे बहुत से प्राणिवाचक शब्द हैं, जिनके रूप पुंल्लिग और स्त्रीलिंग दोनों में बनते हैं। जैसे—ऊपर के वाक्यों में लड़का और लड़की, दर्जी और दर्जिन तथा माली और मालिन। इसी तरह और भी बहुत-से शब्दों के रूप, यथा—हाथी से हथिनी, बाघ से बाघिन, हरिण से हरिणी आदि बनते हैं।

पर कुछ प्राणिवाचक शब्द ऐसे भी होते हैं, जो एक ही लिंग में प्रयुक्त होते हैं। जैसे—कोयल (स्त्रीलिंग में), गोजर (पुंलिंग में), चील (स्त्रीलिंग

में), कौवा (पुंल्लिग में)। इन शब्दों का लिंग-बोध कराने के लिए, पुंल्लिग के लिए नर और स्त्रीलिंग के लिए मादा संज्ञा के पूर्व प्रायः जोड़ दिया जाता है।

इसी तरह अप्राणिवाचक शब्दों के प्रयोग भी बहुधा किसी एक ही लिंग में होते हैं। किस शब्द का प्रयोग पुंल्लिग में होता है और किसका स्त्रीलिंग में; यह निर्णय करना कठिन हो जाता है। इसके लिए हिन्दी भाषा के जानकार विद्वानों की रचनाएँ पढ़ते-पढ़ते अथवा उनके भाषण सुनते-सुनते अभ्यास द्वारा ज्ञान प्राप्त करना आवश्यक होता है। विद्वान् लोग जिस शब्द का प्रयोग जिस लिंग में करते हैं, वही शुद्ध और मान्य होता है। उसी के अनुसार तुम्हें भी प्रयोग करने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए।

कुछ पुंल्लिग शब्द—भात, दही, घी, मोती, पानी, हाथी, सूत, दाँत, पवन, शरीर आदि।

कुछ स्त्रीलिंग शब्द—निधि, वस्तु, चमक, हलचल, पुस्तक, प्यास, बात, लात, रहन-सहन, चिड़िया आदि।

[क] पुंल्लिग संज्ञाओं के पहचानने में सहायता पहुँचानेवाली कुछ जानकारी नीचे दी जा रही है—

[१] दिनों और महीनों के नाम, जैसे—रविवार, सोमवार, गुरुवार, माघ, फागुन, अषाढ़ आदि।

[२] प्रायः पहाड़ों के नाम, जैसे—विन्ध्याचल, हिमालय, रामगिरि आदि।

[३] वे भाववाचक संज्ञाएँ, जिनके अन्त में त्व, पा, पन आदि हों। जैसे—मनुष्यत्व, बुढ़ापा, बचपन आदि।

[४] ग्रहों के नाम (पृथ्वी के नामों को छोड़कर) चन्द्र, गुरु, शुक्र आदि।

[५] हिन्दी के अनेक तद्भव आकारान्त शब्द (जो संस्कृत के अकारान्त शब्दों से विकसित हैं)। जैसे—घड़ा, बच्चा, घोड़ा, डण्डा आदि।

[६] प्राय: पेड़ों के नाम (जामुन, खिरनी, लीची, आदि कुछ को छोड़कर) पीपल, बबूल, आम, बेर, अमरूद आदि।

[७] वर्णमाला के अक्षर (इ, ई, और ऋ को छोड़कर)।

(ख) स्त्रीलिङ्ग पहचानने के कुछ उपाय नीचे बताए जा रहे हैं—

(१) नदियों के नाम (ब्रह्मपुत्र, सिन्ध और शोण को छोड़कर जो नद कहे जाते हैं)। जैसे—गंगा, जमुना, नर्मदा, तुङ्गभद्रा, काबेरी, गोदावरी आदि।

(२) प्राय: भाषाओं के नाम। जैसे—हिन्दी, उर्दू, अंगरेजी, अरबी, फारसी आदि।

(३) प्राय: ईकाकारान्त शब्द (पानी, दही, घी, हाथी, मोती आदि को छोड़कर) जैसे—

टोपी, धोती, सुराही, कड़ाही, चींटी, इत्यादि।

(४) कुछ भाववाचक शब्द जिनके अन्त में ता, ई, ति, वट आदि होते हैं। जैसे—मित्रता, जनता, भलाई, अच्छाई, अनुरक्ति, आसक्ति, सजावट, घबराहट, आदि।

बच्चो, पर ये सब नियम अभ्यास के द्वारा और जानकारों को भाषा सुनने-पढ़ने से ही ठीक-ठीक याद रहते हैं। कभी-कभी किसी शब्द का लिंग जानने के लिए विशेषण भी सहायक हो जाते हैं। जैसे—बड़ा उल्लू, चितकबरी तितली, बड़ा चीता, छोटी चील, मीठा दही, चमकता मोती आदि। इन प्रयोगों में विशेषण के द्वारा विशेष्य का ज्ञान हो जाता है।

(१) कुछ पुलिंग शब्दों के स्त्रीलिंग रूप—

पुंल्लिग	स्त्रीलिंग	पुंल्लिग	स्त्रीलिंग
साला	साली	राजा	रानी
पुरुष	स्त्री	पिता	माता
बैल	गाय	पुत्र	पुत्री
वर	वधू	नर	मादा

(२) कुछ आकारान्त पुंल्लिग शब्द, जिनमें 'आ' के स्थान में 'ई' लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है।

पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री०
लड़का	लड़की	नाना	नानी
बच्चा	बच्ची	मामा	मामी
मुर्गा	मुर्गी	बेटा	बेटी
चाचा	चाची	भतीजा	भतीजी
दादा	दादी	घोड़ा	घोड़ी
छोटा	छोटी	बकरा	बकरी

(३) कुछ आकारांत पुंल्लिग जिनमें 'अ' के स्थान पर 'इया' लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है—

पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री०
बेटा	बिटिया	काँटा	कँटिया
चूहा	चुहिया	बूढ़ा	बुढ़िया

(४) कुछ आकारांत पुंल्लिग शब्द, जिनमें अन्तिम 'अ' के स्थान पर 'ई' लगाने से स्त्रीलिंग बनते हैं—

पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री०
पुत्र	पुत्री	देव	देवी
दास	दासी	मानुष	मानुषी

(५) कुछ पेशेवाले आकारान्त, ओकारान्त और ईकारान्त पुलिंग नाम जो अन्तिम अ, आ और ई के स्थान में 'इन' लगाने से बनते हैं, जैसे—

पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री
नाई	नाइन	धोबी	धोबिन
तेली	तेलिन	माली	मालिन
जुलाहा	जुलहिन	लुहार	लुहारिन

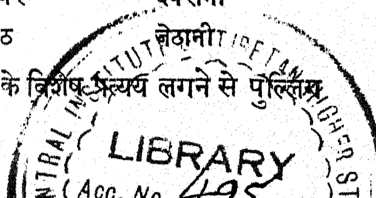
(६) कुछ पदवीवाचक शब्द के अन्त में 'आइन' लगाते ही स्त्रीलिंग होते हैं। जैसे—

पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री
चौबे	चौबाइन	लाला	ललाइन
ठाकुर	ठकुराइन	बाबू	बबुआइन
सुकुल	सुकुलाइन	मिसिर	मिसिराइन

(७) कुछ शब्दों के अन्त में भाषा के प्रयोगानुसार 'नी' या 'आनी' लगाने से पुंल्लिग रूप बनते हैं।

पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री०
खत्री	खत्रानी	हाथी	हथिनी
सेठ	सेठानी	देवर	देवरानी
सिंह	सिंहानी	जेठ	जेठानी

(८) कुछ स्त्रीलिंग शब्दों में हिन्दी के विशेष प्रत्यय लगने से पुंल्लिग रूप बनते है जैसे—



स्त्री०	पु०	स्त्री	पु०
ननद	ननदोई	राँड	रँडुआ
बहन	बहनोई	भैंस	भैंसा

(६) कुछ संस्कृत अकारान्त पुंल्लिग शब्दों में संस्कृत के अनुसरण पर 'अ' के स्थान पर आ लगाने से हिन्दी के स्त्रीलिंग रूप बनते हैं जैसे—

पु०	स्त्री०	पु०	स्त्री०
प्रिय	प्रिया	वैश्य	वैश्या
सुत	सुता	छात्र	छात्रा

इनके अतिरिक्त भी बहुत से शब्द संस्कृत तत्सम शब्दों के अनुसार हिन्दी में पुंल्लिग से स्त्रीलिंग बनकर प्रयुक्त होते हैं। जैसे—ब्राह्मण से ब्राह्मणी, गृही से गृहिणी, करी से करिणी आदि।

अभ्यास

(१) हिन्दी में कितने लिंग होते हैं ? प्रत्येक लिंग के दस-दस संज्ञा शब्द लिखो।

(२) नीचे लिखे शब्दों के लिंग बताओ :
विदुषी, पानी, खटमल, कछुआ, गिलहरी, जोंक, भेड़िया, कोयला, चिड़िया, मोती, नील, तितली, मधुमक्खी।

(३) नीचे लिखे पुंल्लिग शब्दों के स्त्रीलिंग बताओ :
मेहतर, ठाकुर, चमार, सोनार, बनिया, कोहार, दूबे, पंडित, बाघ, नाग।

[३]

वचन

बच्चो, संज्ञा में लिंग के अतिरिक्त वचन के कारण भी विकार या रूपान्तर होता है। व्याकरण में वचन संख्या को कहते हैं। वचन के ठीक-ठीक अर्थ को समझने के लिये नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो।

[१]	[२]
(क) छात्र पढ़ता है।	(क) छात्राएँ पढ़ती हैं।
(ख) बालक लिखता है।	(ख) बालिकाएँ लिखती हैं।
(ग) सोहन दौड़ता है।	(ग) लड़के दौड़ते हैं।
(घ) रामू सोता है।	(घ) सब लोग सोते हैं।

बालको, ऊपर के अंश [१] के वाक्य पर ध्यान दो। (क) भाग में कौन पढ़ता है ? छात्र पढ़ता है। यहाँ छात्र एक है। इसी तरह (ख) अंश में लिखनेवाला बालक एक है। (ग) भाग में दौड़नेवाला भी एक है और (घ) में सोनेवाला भी एक व्यक्ति है। अर्थात् अंश (१) की संज्ञाएँ एक-एक व्यक्ति का बोधन करती हैं। संज्ञा के इस एकत्व बोधन करनेवाले को एक वचन कहते हैं।

तात्पर्य यह कि जिस संज्ञा [या सर्वनाम] से वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्याकरण में एकवचन कहते हैं।

अब अंश [२] को देखो। [क] अंश के वाक्य में पढ़ने वाले अनेक हैं। इसी तरह से [ख] अंश में लिखनेवाली बालिकाएँ अनेक हैं। [ग] अंश में दौड़नेवाले अनेक हैं और [घ] अंश में सोनेवाले लोग भी बहुत से हैं। यहाँ संज्ञा-पदों द्वारा अनेक या बहुत से व्यक्तियों का बोध होता है। इनमें बहुत्व का बोध बहुवचन द्वारा हुआ है।

तात्पर्य यह कि जिस संज्ञा (या सर्वनाम) से अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं का बोध होता है, उसके वचन को बहुवचन कहते हैं।

लड़को, इन उदाहरणों को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि व्याकरण में संज्ञा के जिस रूप से संख्याविषयक एकता या अनेकता का ज्ञान होता है, उसे बचन कहते हैं। उसी एकता या अनेकता के अनुसार प्रायः एकवचन या बहुवचन का प्रयोग होता है। बहुधा एकवचन संज्ञा का ही रूप बदलकर बहुवचन बना लिया जाता है। जैसे—बच्चा-बच्चे, बहन-बहनें, बच्ची-बच्चियाँ, सखी-सखियाँ, बहू-बहुएँ आदि।

संस्कृत व्याकरण में यद्यपि तीन वचन—एकवचन, द्विवचन, बहुवचन—होते हैं, तथापि हिन्दी में दो ही वचन प्रचलित हैं—एकवचन, और बहुवचन (जो वस्तुतः अनेकवचन हैं, क्योंकि चाहे दो के लिए प्रयोग करना हो, चाहे बहुत के लिए, एक से अधिक होने पर इसका प्रयोग होता है)

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिये कि भाषा की प्रकृति के अनुसार कहीं-कहीं एक संख्या के लिये भी बहुवचन में प्रयोग हो जाता है। जैसे—सम्राट के बेटे आये हैं। राम प्रजा के प्यारे थे। तुम अभी लड़के हो। आप आए थे। वशिष्ठ मुनि बैठे थे। ऐसे प्रयोग में सम्मान अथवा आदर सूचित करने के लिये बहुवचन की सहायता ली जाती है।

बहुधा जातिवाचक संज्ञा ही बहुवचन में प्रयुक्त होती है। जैसे—लड़के, घोड़े, स्त्रियाँ, घड़े, बिल्लियाँ आदि। परन्तु व्यक्तिवाचक और भाववाचक संज्ञाएँ भी जब भिन्न-भिन्न प्रकार के व्यक्ति, गुण या भाव को सूचित करती हैं, तब उनका भी बहुवचन में प्रयोग हो जाता है। जैसे—

व्यक्तिवाचक—पुराणों में राम प्रसिद्ध हैं। बदरीनाथ धाम के मार्ग में अनेक प्रयाग मिलते हैं (रुद्रप्रयाग, देवप्रयाग आदि)।

भाववाचक—मनुष्य में अनेक वृत्तियाँ होती हैं। ब्रज में भगवान् की लीलाओं का अर्थ समझ में नहीं आता। हिन्दी में अनेक संज्ञाएँ बहुत्व की भावना के कारण प्रायः बहुवचन में आती हैं।
जैसे—

समाचार—वहाँ के समाचार नहीं आए हैं।

प्राण—घोड़े के प्राण बच गए।

दाम—इस फाउण्टन पेन के क्या दाम हैं?

दर्शन—आपके दर्शन बहुत दिनों पर मिले।

भाग्य—श्यामू के भाग्य खुल गये।

पैसा—रामू के पास पैसे नहीं हैं।

एकवचन से बहुवचन बनाने के कुछ नियम :

(१) पुंल्लिग आकारान्त संज्ञाओं के आ को ए या कभी-कभी ओ कर देने से बहुवचन हो जाता है। जैसे—

एकवचन	बहुवचन	विकारी रूप
लड़का	लड़के	(लड़कों)
घोड़ा	घोड़े	(घोड़ों)
घड़ा	घड़े	(घड़ों)
भतीजा	भतीजे	
भाञ्जा	भाञ्जे	
बच्चा	बच्चे	

(२) पुंल्लिग इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त शब्दों के रूप कभी-कभी दोनों वचनों में एक से ही रहते हैं। जैसे—

(क) एक कवि था। दो कवि थे।

(ख) एक आदमी है। दो आदमी हैं।

(ग) एक साधु आया। दो साधु आए।

(घ) एक डाकू रहता है। वहाँ दो डाकू रहते थे।

इसी तरह से आकारान्त पुंल्लिग शब्द के रूप भी अनेक स्थलों पर दोनों वचनों में एक से होते हैं। जैसे—वह बालक बैठा है, वे बालक बैठे हैं। वह छात्र पढ़ता है, वे छात्र पढ़ते हैं। पर, यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि अकारान्त, इकारान्त, ईकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त शब्दों के रूप कारक की रीति और प्रक्रिया के अनुसार बहुवचन में बदल भी जाते हैं।

मुनियों ने कहा है, मुनियों का आश्रम है। आदमियों का स्वभाव है, आदमियों ने बनाया है। डाकुओं ने लूटा है, डाकुओं का अड्डा है। साधुओं ने उपदेश दिया, साधुओं से भरा है। बालकों ने दिया है, बालकों के लिये हितकर है।

(३) स्त्रीलिंग अकारान्त शब्दों के 'अ' का 'ए' (ओ) हो जाता है। जैसे—

एकवचन	बहुवचन	
पुस्तक	पुस्तकें	(पुस्तकों)
कोयल	कोयलें	(कोयलों)
बहन	बहनें	(बहनों)
झील	झीलें	(झीलों)
नाव	नावें	(नावों)
गाय	गायें	(गायों)

(४) स्त्रीलिंग ईकारान्त शब्दों के 'ई' को इयाँ (इयों) कर देने पर एकवचन का बहुवचन हो जाता है। जैसे—

एकवचन	बहुवचन
लड़की	लड़कियाँ (लड़कियों)
लाठी	लाठी (लाठियों)
रस्सी	रस्सियाँ (रस्सियों)

(५) स्त्रीलिंग इकारान्त शब्दों में 'इयाँ (इयों) जोड़ने से बहुवचन बनते हैं। जैसे—

एकवचन	बहुवचन
तिथि	तिथियाँ (तिथियों)
नीति	नीतियाँ (नीतियों)
विधि	विधियाँ (विधियों)
रीति	रीतियाँ (रीतियों)

(६) स्त्रीलिंग अकारान्त शब्दों में दीर्घ अ को ह्रस्व करके 'एँ' या 'यें' (ओं) लगने से बहुवचन हो जाते हैं। जैसे—

एकवचन	बहुवचन
बहू	बहुएँ (बहुओं)
झाड़ू	झाड़ुयें (झाड़ुओं)

(७) एकारान्त और औकारान्त शब्द हिन्दी में बहुत कम हैं और उनके दोनो वचनों में प्रायः एक से रूप रहते हैं। जैसे—वह चौबे आया था, वे सभी चौबे आए थे।

यह बात याद रखनी चाहिए कि जब संज्ञा के रूप दोनों वचनों में एक-से होते है, तब वाक्यों में क्रिया के रूपों से संज्ञा के भी वचन का बहुधा पता चल जाता है। ऊपर के वाक्य में आया और आए को देखकर वचन की सूचना मिल जाती है।

विशेषण के विषय में आगे चर्चा होगी। यहाँ इतना स्मरण रहना चाहिए कि क्रिया में तो वचन का प्रभाव अधिक स्पष्ट रहता है, पर विशेषणों में कभी-कभी उसके परिमाण-वाचक आदि रहने पर तो उसपर प्रभाव स्पष्ट रहता है, किन्तु बहुधा विशेषणों का वचन एकवचन-सा ही रहता है। छोटे बच्चे बड़े मकान, बड़े पेड़, थोड़े आदमी, अच्छे छात्र, भले मनुष्य, उजले कपड़े आदि में बहुवचन रहता है, किन्तु सुन्दर खिलौने, लाल घोड़े आदि में विशेषण पर न तो लिंग का प्रभाव रहता है और न वचन का।

नोट—चाचा, बाबा, दादा, नाना, आजा, मामा, काका, लाला, पण्डा आदि शब्द अनेक वाक्यों में दोनों वचनों के लिए एक से ही रहते हैं। परन्तु बाप-दादा शब्द का बाप-दादा और बाप-दादे दोनों ही रूप होते हैं।

संस्कृत के अनेक शब्द, जैसे—आत्मा, देवता, योद्धा आदि भी—अनेक स्थानों पर दोनों वचनों में एक से प्रयुक्त होते हैं।

अभ्यास

(१) वचन शब्द से तुम क्या समझते हो ?
(२) वचन कितने प्रकार के होते हैं ? उनकी परिभाषाएँ लिखो।
(३) दस पुंल्लिग शब्दों के बहुवचन रूप बनाओ।
(४) नीचे लिखे शब्दों के बहुवचन रूप लिखो—
डिबिया, वस्तु, विद्वान्, रास्ता, घड़ी।



[४]

संज्ञा और कारकों के भेद

बच्चो,

पहले वाक्य का परिचय बताते हुए यह कहा जा चुका है कि उन्हीं शब्दों द्वारा वाक्य बनता है, जो परस्पर सम्बद्ध होकर अर्थात् अन्वित होकर अर्थ-बोध कराते हैं। संज्ञा के उन रूपों को जो वाक्य की क्रिया या उसके अन्य शब्दों से सम्बन्ध सूचित करते हैं, उन्हें कारक के रूप में माना गया है। इस बात को स्पष्ट करने के लिए उदाहरण स्वरूप कुछ वाक्यों को नीचे दे रहे हैं।

१—राम ने श्याम को व्याकरण पढ़ाया।
२—अध्यापक छात्रों से बातचीत कर रहा है।

पहले वाक्य में सम्बन्धों को समझाने के लिए नीचे के प्रश्नोत्तर सहायक होंगे।

प्रश्न—किसने पढ़ाया ?
उत्तर—राम ने पढ़ाया।
प्रश्न—किसको पढ़ाया ?
उत्तर—श्याम को पढ़ाया।

प्रश्न—क्या पढ़ाया ।

उत्तर—व्याकरण पढ़ाया ।

बालकों,

मुख्य वाक्य में तीन संज्ञा-शब्द हैं—राम, श्याम और व्याकरण । इन सबका 'पढ़ाया' क्रिया के साथ सम्बन्ध होता है, जो ऊपर के प्रश्नों और उत्तरों से सूचित किया गया है । क्रिया के साथ संज्ञा-शब्दों का (या सर्वनाम का) सम्बन्ध होने पर उनके रूपों में कुछ अन्तर हो जाता है । (कभी-कभी यह अन्तर स्पष्ट नहीं प्रतीत होता) राम का यहाँ **'राम ने'** प्रयोग है । श्याम का रूप **'श्याम को'** हो गया है । (व्याकरण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ ।)

वाक्य के शब्दों का परस्पर सम्बन्ध इन्हीं रूपों में समझा जाता है । ऊपर की संज्ञाओं का क्रिया के साथ सम्बन्ध उन्हीं बदले हुए रूपों के द्वारा ही प्रकट होता है । पढ़ाना क्रिया का कर्ता अर्थात् पढ़ानेवाला राम है । उसी क्रिया का कर्म अर्थात् पढ़ाया जानेवाला श्याम है और पाठ्य-वस्तु-रूप कर्म व्याकरण है । वाक्य का अर्थ ठीक-ठीक तभी समझ में आता है, जब इन सम्बन्धों को समझ लिया जाय ।

कहने का सारांश यह कि वाक्य का ठीक-ठीक अर्थ तभी समझ में आता है, जब संज्ञा या सर्वनाम के सम्बन्धों का, जो क्रिया के साथ होते हैं, हमें ज्ञान हो । केवल राम या श्याम कहने से उक्त प्रथम वाक्य में कोई अर्थ-बोधकता नहीं रहेगी । इसी प्रकार दूसरे वाक्य में संज्ञाओं के क्रिया सम्बन्धों को समझकर ही हम अर्थ-ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं । जिन रूपों से, ऊपर कहे हुए सम्बन्ध का बोध होता है, उनको कारक कहते हैं ।

अतः कारक की परिभाषा होगी—

संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप से उनका क्रिया या वाक्य के किसी दूसरे शब्द के साथ सम्बन्ध का ज्ञान होता है, उसे कारक कहते हैं ।

कारक के चिह्न को हिन्दी में प्रायः विभक्ति कहते हैं। हिन्दी में आठ कारक माने जाते हैं—

कर्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान, अधिकरण, सम्बन्ध और सम्बोधन।

नीचे के विवरण से यहाँ स्पष्ट हो जायगा।

कारक या विभक्ति	विभक्ति-चिह्न	उदाहरण
कर्ता	ने (कभी-कभी प्रयुक्त होता है, सर्वत्र नहीं।)	श्याम ने खाया। श्याम गया।
कर्म	को	राम को बता दो।
करण	से	रथ से गया।
सम्प्रदान	को (के लिए)	श्याम को दो।
अपादान	से	श्याम से विमुख है।
अधिकरण	में, पर	श्याम में विश्वास है।
सम्बन्ध	का, की, के	श्याम का भक्त है।
सम्बोधन	हे, अरे, ओ, अजी ओ	हे राम !

कारकों के प्रयोग

कर्ता कारक

१—श्याम पुस्तक पढ़ता है।

२—मोहन ने भोजन बनाया।

३—चतुर्भुज घर जायगा।

बच्चो, तुम देखते हो कि पहले वाक्य में, पुस्तक पढ़ने वाला श्याम है। दूसरे वाक्य में, भोजन बनाने वाला मोहन है। तीसरे वाक्य में, घर जानेवाला चतुर्भुज है। पढ़ना क्रिया श्याम द्वारा की जाती है। भोजन

बनाना मोहन द्वारा सम्पन्न हुआ जाना क्रिया करनेवाला चतुर्भुज है। अतः श्याम, मोहन और चतुर्भुज क्रिया के करनेवाला अर्थात् कर्ता हैं। कहने का सारांश यह कि संज्ञा (या सर्वनाम) के जिस रूप द्वारा वाक्य की क्रिया करनेवाले या होनेवाले का बोध होता है, उसे कर्ता कहते हैं।

कर्ता कारक में कभी तो कोई चिह्न नहीं लगता है और कभी 'ने' का चिह्न लगाया जाता है। ऊपर के प्रथम और तृतीय वाक्य में कोई विभक्ति चिह्न नहीं है। द्वितीय वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है।

'ने' लगाने के नियम ये हैं—

(क) सकर्मक क्रिया के कर्ता के अन्त में ने तब लगता है, जब वह भूतकाल विशेष प्रकार का वाक्य हो। अर्थात् लिया, दिया, किया, कहा, आदि क्रियापदों का जब प्रयोग होता है, तब ने लगता है। जैसे—राम ने श्याम को फल दिया। गोकुल ने मनोहर से कहा। उन्होंने भाषण सुना।
(अवर्णभूत और हेतुहेतुमद्भूत में ने का प्रयोग नहीं होता।)

(ख) भविष्यत् और वर्तमान काल के क्रियापदों के साथ ने का प्रयोग नहीं होता। जैसे—श्याम राम से कहता है। सोहन मोहन को देता है। मैं बात सुनूँगा।

(ग) अकर्मक क्रिया के कर्ता के साथ भूतकाल में भी ने नहीं लगता। जैसे—राम जागा, कृष्ण सोया।

(घ) लाना, भूलना और बोलना क्रिया से बनी सकर्मक क्रियाओं के साथ तथा चुकना, लगना, सकना आदि के प्रयोगवाली संयुक्त क्रियाओं के साथ कर्ता के अनन्तर 'ने' विभक्ति प्रयुक्त नहीं है। जैसे—

(क) वह भूला।
(ख) मैं बोला।
(ग) वह गया।
(घ) राम पढ़ चुका।
(ङ) श्याम लिख न सका।
(च) सोहन सोने लगा।

सारांश यह कि विभक्ति-चिह्न 'ने' केवल सकर्मक क्रियाओं के साथ और वह भी भूतकालीन कुछ विशेष रूपों के प्रयोग होने पर ही आता है। 'ने' के प्रयोग की सीमा की अपेक्षा प्रयोग न करने का क्षेत्र बहुत बड़ा है। (इसका ठीक-ठाक परिचय हिन्दी के विद्वानों की भाषा से ही प्राप्त करना चाहिए।

कर्म कारक

नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो—

(१) केशव पाठशाला जाता है।

(२) कृष्ण ने कंस को मारा।

(३) राम ने श्यास से कहा।

बालको, इन वाक्यों में जाता है, मारा और कहा—ये तीन क्रिया के रूप हैं और इन क्रियाओं के फलों को भोगने वाले या उनके भागी हैं, क्रमशः पाठशाला, कंस और श्याम। इन्हें व्याकरण में कर्म कहते हैं। अर्थात्—

जिस वस्तु या व्यक्ति पर क्रिया के व्यापार—काम का फल पड़ता है, उसे ही कर्म कहते हैं।

प्रथम वाक्य में कर्म है पाठशाला और द्वितीय वाक्य में कंस। द्वितीय में 'को' कर्म विभक्ति का चिह्न है। तीसरे वाक्य में मुहावरे के अनुसार 'श्याम को' के स्थान पर 'श्याम से' प्रयुक्त हुआ है। यहाँ को के अर्थ में से का प्रयोग मिलता है। पहले वाक्य के 'से' लुप्त है। पाठशाला को जाता है, भी कह सकते हैं, पर अधिक प्रयुक्त रूप 'पाठशाला जाता है' यही है। इसी तरह गाँव जाता है घर आता है, फल खाता है, रूपया देता है—आदि प्रयोग हैं, जिनमें कर्म बिभक्ति का चिह्न 'को' लुप्त है।

करण कारक

नीचे लिखे वाक्यों को देखो—

१—सारथी अश्व रस्सी से बाँधता है।

२—महेन्द्र पेन्सिल से लिखता है।

इन वाक्यों को देखने से पता चलता है कि अश्व को बाँधने की क्रिया रस्सी की सहायता से या रस्सी द्वारा या रस्सी रुप साधन से सम्पन्न होती है और लिखने का साधन भी कलम है। इसी अत्यन्त सहायक साधन को करण कारक कहते हैं।

अर्थात् करण कारक संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को कहते हैं, जिसकी सहायता से अथवा जिस साधन द्वारा कर्ता क्रिया को सम्पन्न करता है।

कहीं-कहीं 'से' के प्रयोग बिना भी करण कारक रहता है। जैसे—माँ ने अपने हाथों बच्चे को उठा लिया।

सम्प्रदान कारक

नीचे लिखे वाक्यों का मनन करो—

(१) कृष्ण कंस को मारने के लिए मथुरा गए।

(२) पिता पुत्र के लिए पुस्तक ले आया।

इन वाक्यों में यह पूछने पर कि कृष्ण क्यों गए, पिता पुस्तक किसके लिए ले आया, इनका क्रमशः उत्तर मिलता है (कंस को) मारने के लिए और पुत्र के लिए। इसी को सम्प्रदान कारक कहते हैं।

अर्थात् जिसके लिये काम होता है या किया जाता है, उसे सम्प्रदान कारक कहते हैं। सम्प्रदान क्रिया का वह रूप है जिससे क्रिया का व्यापार संज्ञा के वाक्य पदार्थ के लिये हुआ है।

सम्प्रदान शब्द वस्तुतः प्रदान या दान से बना है। दान या देना क्रिया का अर्थ पहले इसमें मुख्य रहा होगा। देना क्रिया का प्रयोग होने पर उसके फल के आश्रय दो और होते हैं, एक तो वह पदार्थ, जो दिया जाता और दूसरा वह, जिसको दिया जाता है। जैसे—

राम ने श्याम को पुस्तक दी।

यहाँ पुस्तक के दान को पाने वाला श्याम है। पर साथ ही दान की वस्तु पुस्तक है। देय वस्तु या जो पदार्थ दिया है, उसका प्रयोग कर्म कारक में होता है। पुस्तक कर्म कारक में है, किन्तु जिसको पुस्तक दी जाती है, वह श्याम सम्प्रदान कारक में है। यही संप्रदान 'के लिए' के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इसीलिए सम्प्रदान को भी कर्म का ही एक रूप कहा जा सकता है और हिन्दी में तो इस कारक के लिए अनेक स्थलों पर को का प्रयोग भी होता है। जैसे ऊपर के उदाहरण में 'श्याम को'।

आपादान कारक

नीचे लिखे वाक्यों को देखो :—

(१) पेड़ से पत्ते गिरते हैं।

(२) नेहरूजी विदेश से आए।

इन वाक्यों में गिरना पेड़ से होता है और आना विदेश से पहले वाक्य में पत्ते पेड़ से अलग होते हैं और दूसरे वाक्य में नेहरूजी का विदेश से अलग होना सूचित होता है। यही पृथक्त्व या अलगाव अपादान है। आपादान विभक्ति का इन उदाहरणों में प्रयोग है।

सारांश यह है कि संज्ञा के उस रूप को अपवाद कहते हैं, जिससे क्रिया के अलगाव (विभाग) की अवधि या सीमा (विभाग का स्थान पदार्थ या वस्तु) सूचित होती है।

साधारणतः संज्ञा का वह रूप अपादान कहा जाता है, जिससे पृथक्त्व का बोध होता है। ऊपर के वाक्यों में पेड़ से, विदेश से अपादान के रूप हैं।

नोट—यहाँ अध्यापक के लिए यह आवश्यक है कि करण और अपादान दोनों के 'से' चिह्न में जो अन्तर है, उसे छात्रों को स्पष्ट कर दें। यहाँ यह समझा देना चाहिए कि करण का 'से' व्यापार सम्पन्न करनेवाले साधन का सूचक और अपादान का 'से' चिह्न विभाग का सूचक है।

अपादान कारक का प्रयोग बहुधा नीचे लिखे स्थानों में होता है—

१—किसी कार्य के आरम्भ की समय-सीमा बताने के लिए—

यथा—गोकुल पाँच वर्षों से काशी में पढ़ रहा है।

वह सात दिनों से साइकिल चला रहा है।

२—पढ़ाने वाले का नाम बताने के लिए—

वह डॉ० गणेश से गणित पढ़ता है।

३—भिन्नता प्रकट करने के लिए—

वह बालक अपने भाइयों से भिन्न है।

४—विभाग या पृथकत्व सूचित करने के लिए—

योद्धा रथ से गिर पड़ा।

५—दूरी को सूचित करने के लिए—

प्रयाग से काशी ८० मील है।

६—उत्पत्ति स्रोत बताने के लिए—

(क) गंगा और जमुना हिमालय से निकलती हैं।

(ख) कर्ण का जन्म कुन्ती से हुआ था।

७—पीछे या बाद का अर्थ प्रकट करने के लिए—

वह इस वर्ष से चार वर्षों बाद बी० ए० पास करेगा।

८—जिससे किसी की रक्षा की जाय उसके लिए—

जैसे, श्याम ने खरगोस को कुत्ते से बचाया।

९—उससे जिससे कुछ छिपाकर किया जाय—

चोर पुलिस से छिपकर घर में घुसा।

१०—लज्जा के कारण के लिए—

देवदत्त उत्तीर्ण न होने पर सहपाठियों से लजाता है।

११—बड़ा, छोटा, बढ़कर. घटकर, आगे, पीछे आदि शब्दों के योग में—

जैसे,

लक्ष्मण राम से छोटे थे। बलराम कृष्ण से बड़े थे। श्यामू पढ़ने में राम से बढ़कर है। मैं किसी से घटकर नहीं हूँ। वह मुझ से आगे गया। राम श्याम से पीछे है।

१२—घृणा शब्द के साथ—

लोग झूठ बोलनेवालों से घृणा करते हैं।

अधिकरण कारक

नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो।

१—बच्चा घर में है।

२—पक्षी पेड़ पर बैठा है।

बच्चा कहाँ है का उत्तर होगा घर में है। पक्षी कहाँ बैठा है का उत्तर होगा, पेड़ पर। यहाँ घर और वृक्ष, बच्चे और पक्षी के आधार हैं। जो वस्तु आधार होती है, उसीको अधिकरण कहते हैं।

अर्थात् संज्ञा या सर्वनाम के उस रूप को, जिससे क्रिया के आधार पर होने का बोध होता है, अधिकरण कारक कहते हैं।

इसके अनुसार 'घर में' और 'वृक्ष पर' अधिकरण कारक के [illegible] हैं। स्थान या समय सूचित करनेवाले के लिए भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है जैसे—

उसने पाठशाला में अध्ययन किया। मोहन पन्द्रह मिनट में गङ्गा पार करता है।

जब किसी वर्ग या समुदाय के एक या अनेक व्यक्तियों या वस्तुओं की अन्य से विशेषता प्रकट की जाती है तब भी अधिकरण कारक का प्रयोग होता है। जैसे—

पक्षियों में कौवा बड़ा चालाक होता है। मनुष्यों में नापित सबसे अधिक धूर्त होता है।

अधिकरण कारक को सूचित करने के लिए बहुधा में या पर चिन्ह का प्रयोग किया जाता है।

अधिकरण 'में' के अर्थ प्राय: ये होते हैं—

(१) स्थित या अवस्था—वह ज्वर में भी पढ़ता रहता है।

(२) विषय—रामू की निन्दा में मोहन ने बहुत कुछ कहा।

(३) तुलना—अर्जुन सब भाइयों में वीर थे।

(४) साधन—अभिमन्यु ने एक बार घोड़े को काट दिया।

(५) कारण—कंस थोड़े ही अपराध में प्राणदण्ड देता था।

(६) देश—गोस्वामीजी काशी में रहते थे।

अधिकरण 'पर' द्वारा प्राय: नीचे लिखे अर्थ प्रकट होते हैं—

(१) काल—वह ठीक समय पर नहीं आया।

(२) दूरी—सात मील की दूरी पर गङ्गा बहती हैं।

(३) बाहरी सम्पर्क—डाल पर पक्षी हैं।

(४) अनुकूलता—सत्य पर डटे रहो।

इस प्रसङ्ग में एक बात याद रखनी चाहिए कि कभी-कभी अधिकरण चिन्ह के साथ-साथ अपादान और सम्बन्ध के चिन्ह लगे दिखाई देते हैं। जैसे—

'अलमारी में की पुस्तकें गायब हो गईं या घर में से पानी लाओ। परन्तु यहाँ विचार करने पर दिखाई देता है कि इन प्रयोगों में अधिकरण की विभक्ति गौण रहती है। उसके बिना भी काम चल सकता है। इन वाक्यों में अपादान और सम्बन्ध के अर्थ ही मुख्य और प्रधान होते हैं।

सम्बन्ध कारक

नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से मनन करो।

१ यह मोहन का घर है।

२—लोचन रमेश का नौकर है।

यहाँ यह प्रश्न उठने पर कि किसका घर है और किसका नौकर है, उत्तर होगा मोहन का घर है और रमेश का नौकर है। इन वाक्यों में मोहन का और रमेश का क्रमशः घर और नौकर के साथ सम्बन्ध सूचित होता है। ऐसे ही को सम्बन्ध कारक या सम्बन्ध विभक्ति कहते हैं।

कहने का अभिप्राय यह कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु या व्यक्ति का अन्य वस्तु या व्यक्ति से सम्बन्ध सूचित होता है, उसे सम्बन्ध विभक्त कहते हैं।

ऊपर के वाक्यों में मोहन का, रमेश का दोनों सम्बन्ध के रूप हैं।

राम दशरथ के बेटे थे। इस वृक्ष का यह फल है। वाक्यों में भी सम्बन्ध विभक्ति है।

पहले के दो वाक्यों में सम्बन्ध ऐसे हैं, जिनमें मोहन या रमेश स्वामी हैं। दूसरे दो वाक्यों में दशरथ जनक हैं, राम जन्य हैं, वृक्ष उत्पादक है फल उत्पाद्य है।

इस भाँति सम्बन्ध अनेक प्रकार के होते हैं, स्व-स्वामिभाव, सेव्य सेवक-भाव, जन्य-जनक-भाव, उत्पाद्य-उत्पादक-भाव आदि।

यहाँ एक बात और याद रखनी चाहिए कि ऊपर जिन छः कारकों का परिचय दिया गया है, उनमें कारकों का सम्बन्ध या अन्वय मुख्यतः क्रिया के साथ होता है; पर सम्बन्ध में यह स्थिति किसी संज्ञा या सर्वनाम की दूसरी संज्ञा या सर्वनाम के साथ रहती है।

एक बात और भी स्मरण रखनी चाहिए। पूर्वोक्त कारक-चिन्हों पर लिंग या वचन का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका सम्बन्ध क्रिया के साथ होता है। परन्तु सम्बन्ध-विभक्ति के चिन्ह एक वचन में भिन्न और बहुवचन में भिन्न और पुलिंग से स्त्रीलिंग में भिन्न होते हैं। व्याकरण में जिसके अनन्तर सम्बन्ध का चिन्ह आता है, उसे भेदक और जिसके पूर्व

आता है, उसे भेद्य कहते हैं इन चिन्हों का प्रयोग भेद्य के अनुसार होता है। जैसे, मोहन की लड़की, सोहन के बेटे। राम का घर, श्याम की पुस्तकें।

इन उदाहरणों में भेद्य अर्थात् जिसके पूर्व सम्बन्ध-चिन्ह लगाया गया है, उसके लिंग और वचन के अनुसार 'का, की, के' प्रयोग हुए हैं।

[नोट—का, की, के—इन तीनों के अतिरिक्त सर्वनाम में सम्बन्ध विभक्ति के और रूप भी प्रयुक्त होते हैं। जैसे, मेरा, मेरी, मेरे, तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, तेरा, तेरी, तेरे; हमारा, हमारी, हमारे; और अपना, अपनी, अपने।

तात्पर्य यह कि इन सर्वनाम के सम्बन्ध-रूपों में रा, री, रे, ना, नी, ने भी सम्बन्ध विभक्ति के चिन्ह मिलते हैं।]

सम्बन्ध कारक के प्रयोग बहुधा नीचे लिखे अर्थों में मिलते हैं—

नाम	वाक्य
स्वामित्व	राम का राज्य।
कार्य	घड़े की मिट्टी।
उपादान कारक	मिट्टी का घड़ा।
सामान्य सम्बन्ध	लोटे का पानी। घर का बच्चा।
आधेय	गिलास का दूध।
आधार	दूध का गिलास।
नाता	दशरथ का पुत्र। राम की माता।
मूल्य	पाँच रुपये की कलम।
गुण	बचपन की चंचलता। योद्धा की वीरता।
गुणी	मैदान की लम्बाई।

योग्यता	अध्यापन के योग्य ।
आधिक्य	सब के सब । झुण्ड का झुण्ड ।
शपथ	जन्मभूमि की शपथ । मां के दूध की शपथ ।

इनके अतिरिक्त भी सम्बन्ध के क्षेत्र का विस्तार बहुत बड़ा है। यह विभक्ति सबसे व्यापक है।

सम्बोधन

बच्चों, जब तुम्हें किसी को सचेत करने या पुकारने या अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए बोलना होता है, तब तुम कहते हो, अरे श्यामू, ओ बच्चों, हे मोहन, आदि। इस प्रकार के प्रयोग को सम्बोधन कहते हैं। अतः व्याकरण के अनुसार इन्हें सम्बोधन के रूप कहते हैं। सम्बोधन के 'हे ओ अरे' आदि चिन्ह संज्ञा के पूर्व लगते हैं, जब कि अन्य कारकों के चिन्ह संज्ञा के बाद। कभी-कभी हे, अा, ओ आदि बिना लगाए भी सम्बोधन के रूप का प्रयोग होता है।

अभ्यास

(१) अन्य कारकों और सम्बन्ध में क्या अन्तर है?

(२) कर्म, करण और अपादान कारकों के उदाहरण देकर अर्थ बताओ।

(३) अधिकरण कारक के 'में' के विभिन्न अर्थों के उदाहरण पाठ्य-पुस्तक से ढूँढ़कर लिखो।

चौथा पाठ

सर्वनाम

[१]

बच्चों,

विकारी शब्दों में दूसरा भेद सर्वनाम का बताया गया है। नाम का साधारण अर्थ संज्ञा होता है। सर्वनाम अर्थात् जो सबकी संज्ञा हो अर्थात् नियमानुसार जो किसी भी संज्ञा के लिए प्रयुक्त हो सके।

एक व्यक्ति का नाम सुरेश है। अध्यापक उससे पूछता है। तुम क्या पढ़ रहे हो ? वह कहता है मैं गद्य की पुस्तक पढ़ रहा हूँ। फिर वह ब्रजेन्द्र से पूछता है कि सुरेश गद्य की कौन-सी पुस्तक पढ़ रहा है ? ब्रजेन्द्र बताता है, वह बाल रामायण पढ़ रहा है।

ऊपर के प्रश्नोत्तर को देखने से पता चलता है कि एक ही सुरेश के लिए कहीं 'तुम' और कहीं 'मैं' और कहीं 'वह' आया है। इसी प्रकार वे शब्द रमेश, सोहन, मोहन या किसी भी व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो सकते हैं। 'वह' शब्द बालक के लिए भी काम में आता है, ऊँट और गधा के लिए भी बोला जाता है तथा मकान और समुद्र के लिए भी प्रयुक्त हो सकता है।

सारांश यह कि जो शब्द सब संज्ञाओं के लिए आए, उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे—मैं, तुम, हम, वह, तू आदि।

सर्वनाम के प्रयोग से संज्ञा शब्दों को बार-बार लिखना या बोलना नहीं पड़ता। 'वीरेन्द्र' कल घर गया। वह आज शहर लौट आएगा। यहाँ वीरेन्द्र के लिए वह का प्रयोग हुआ है। यदि वाक्य में बार-बार वीरेन्द्र शब्द का प्रयोग किया जाय तो वह भद्दा हो जाता है। सर्वनाम के प्रयोग द्वारा सुनने में वाक्य अच्छे हो जाते हैं और शब्दों की बारम्बार आवृत्ति भी बचती है।

सर्वनाम के भेद

सर्वनाम के प्रमुख भेद नीचे बताए जा रहे हैं।

(१) पुरुषवाचक, (२) निश्चयवाचक (३) अनिश्चयवाचक (४) सम्बन्धवाचक, (५) प्रश्नवाचक (६) निजवाचक।

(१) पुरुषवाचक—नीचे लिखे उदाहरणों पर ध्यान दो—

क—तुम क्या लिख रहे हो। ख—मैं पत्र लिख रहा हूँ? ग—वह पत्र लिख रहा है।

इन तीनों वाक्यों में जिससे बात पूछी जा रही है, उसके लिए 'तुम' आया है। कहनेवाले ने अपने लिए 'मैं' कहा है। रामू ने या किसी तीसरे व्यक्ति में किसी अन्य व्यक्ति के सम्बन्ध में जब बताया, तब वह का प्रयोग हुआ है। मैं, तुम और वह का प्रयोग पुरुष के लिए हुआ है। इन्हें ही पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं।

यहाँ तीन पक्ष दिखाई देते हैं—

(क) कहनेवाला, (ख) सुननेवाला और (ग) दोनों के अतिरिक्त अन्य जिसके विषय में बातचीत है। प्रथम प्रकार उत्तमपुरुष का सर्वनाम है। मैं, हम आदि। इसका प्रयोग वक्ता अपने लिए करता है। वक्ता जब श्रोता के लिए तुम आदि का प्रयोग करता है, तब उसे मध्यमपुरुष का सर्वनाम कहते हैं। वक्ता और श्रोता जब अपने से भिन्न अन्य के लिये 'वह' आदि का प्रयोग करते हैं। तब उसे अन्यपुरुष कहते हैं (वह, वे आदि अन्यपुरुष के सर्वनाम हैं)।

(१) निश्चयवाचक सर्वनाम—नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से देखो—

वह पढ़ता है। वे चलते हैं।

यह खाता है। ये बैठे हैं।

यहाँ यह, वह, ये और वे के द्वारा किसी या किन्हीं निश्चित संज्ञा या संज्ञाओं अथवा व्यक्ति या व्यक्तियों के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है।

किसी निश्चित संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम को **निश्चयवाचक सर्वनाम** कहते हैं।

यह, ये आदि निकटवर्ती व्यक्ति या वस्तु के बोधक होने से निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं और वह, वे आदि दूरवर्ती बोध कराने के कारण दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम कहे जाते हैं।

(३) अनिश्चयवाचक सर्वनाम—नीचे के वाक्यों पर ध्यान दो कोई पढ़ रहा है। कोई लिख रहा है।

इन वाक्यों में कौन पढ़ रहा है और कौन लिख रहा है। कुछ भी निश्चय नहीं है। ऐसे सर्वनाम 'अनिश्चयवाचक' कहे जाते हैं।

तात्पर्य यह कि जो सर्वनाम किसी अथवा किन्हीं अनिश्चित संज्ञा या संज्ञाओं के लिए प्रयुक्त होते हैं उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, ऊपर के वाक्यों में कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम हैं।

(४) सम्बन्धवाचक सर्वनाम—नीचे दिए वाक्यों का मनन करो।

(अ) जो सचाई से काम करेगा, वह जीवन में सफल होगा।

(आ) जो जैसा करता है वह वैसा भरता है।

इन दोनों वाक्यों में जो का सम्बन्ध वह से है। इसी प्रकार "ईश्वर उनकी सहायता करता है, जो अपने पाँवो पर चलते हैं। वाक्य में उनकी का सम्बन्ध 'जो' से है ऐसे सर्वनाम सम्बन्धवाचक कहे जाते हैं।

अर्थात् जो सर्वनाम वाक्यगत दूसरे सर्वनाम से सम्बन्ध रखते हैं, सम्बन्ध-वाचक कहलाते हैं। (जैसे, जो आदि)।

(५) प्रश्नवाचक सर्वनाम — नीचे के वाक्यों पर ध्यान दो—

(अ) वह क्या चाहता है ? (आ) कौन लिखता है ?

प्रथम वाक्य में 'क्या' द्वारा और द्वितीय में 'कौन' द्वारा प्रश्न का भाव सूचित हुआ है। ये दोनों प्रश्न सूचित करने के कारण प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं।

सारांश यह कि जिस सर्वनाम के प्रयोग से प्रश्न किया जाता है अथवा होता है, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे—क्या, कौन आदि।

(६) निजवाचक सर्वनाम—

जब आप या अपना वा अपने या आपही आप अथवा आप से आप आदि शब्द का प्रयोग सबके लिए होता है, तब वह भी सर्वनाम कहा जाता है। ऐसे सर्वनाम को निजवाचक सर्वनाम कहते हैं यथा—

रामू अपने गाँव गया। श्याम अपने आप कह उठा।

मैं आप से आप आ गया हूँ। तुम आप ही आप सोच लो।

इन वाक्यों में अपने, अपने आप निजवाचक सर्वनाम हैं।

ऊपर के उदाहरणों से यह भी स्पष्ट है कि निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है। यह याद रखना चाहिए कि निजवाचक 'आप' शब्द का प्रयोग कर्ताकारक में अकेला नहीं होता।

तुम के लिए प्रयुक्त होने वाला आप भी सर्वनाम है; पर वह पुरुष वाचक मध्यमपुरुष का सर्वनाम होता है। यथा; आप आइये; आप रहेंगे।

ऊपर लिखा हुआ विवरण पढ़ने से तुम्हें स्पष्ट हो गया होगा कि सर्वनाम छः प्रकार के होते हैं—

प्रकार	सर्वनाम
(१) पुरुषवाचक	
(क) उत्तम पुरुष	मैं, हम।
(ख) मध्यम पुरुष	तू, तुम।
(ग) अन्य पुरुष	वह, वे।

(२) निश्चयवाचक

(क) निकटवर्ती	यह, ये ।
(ख) दूरवर्ती	वह, वे ।
(३) अनिश्चयवाचक	कोई, कुछ ।
(४) सम्बन्धवाचक	जो, वह आदि ।
(५) प्रश्नवाचक	कौन, क्या ।
(६) निजवाचक	आप, अपने, अपनी आदि ।

अभ्यास

(१) सर्वनाम के भेदों को उदाहरण सहित लिखो ।

(२) मध्यमपुरुष और अन्य पुरुष के सर्वनाम का परिचय बताओ ।

(३) नीचे लिखे वाक्य में सर्वनाम को पहचानकर उनके नाम बताओ ।

वह एक दिन अपने-आप चेतेगा । मैंने तुम से कहा पर कोई मेरी सुनता नहीं । वह जो कहेगा, वह मैं करूँगा ।

●

(१)

सर्वनाम में पुरुष, लिंग, वचन और कारक

(१) पुरुष

(१) मैं पढ़ता हूँ । (उत्तमपुरुष)	पुरुषवाचक
(२) तुम पढ़ो । (मध्यम पुरुष)	
(३) वह पढ़ेगा । (अन्य पुरुष)	

(४) मैं आप पढ़ूँगा (उ० पु०)
(५) तुम आप पढ़ो । (म०.पु०) — निजवाचक
(६) वह आप पढ़ेगा । (अ० पु०)

इन उदाहरणों के देखने से ज्ञात होगा कि पुरुष वाचक और निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग तीनों पुरुषों में होता है ।

(१) यह जाता है । (निश्चय वाचक)
(२) कोई जा रहा है । (अनिश्चय वाचक)
(३) कौन खेलेगा । (प्रश्नवाचक)
(४) जो पढ़ेगा, वह पास होगा । (सम्बन्ध वाचक)

ऊपर जिन सर्वनामों के नाम दिए गए हैं, उनसे न तो कहने वाले का बोध होता है और न सुनने वाले का । अपितु जिसके विषय में बात होती है, उसका बोध होता है । अतः ये अन्य पुरुष होते हैं ।

(२) लिंग

(क)	(ख)
(१) हम लिखते हैं ।	(१) हम लिखती हैं ।
(२) तुम जाओगे ।	(२) तुम जाओगी ।
(३) कौन खोलता है ?	(३) कौन खोलती है ?
(४) कोई सुनेगा ?	(४) कोई सुनेगी ।
(५) यह लड़का है ।	(५) यह लड़की है ।

(क) समूह में जितने सर्वनाम आये हैं, उनका प्रयोग पुलिंग में हुआ है।

(ख) समूह में आये हुए सर्वनामों का प्रयोग स्त्रीलिंग में हुआ है। जिसकी पहचान क्रियाओं और संज्ञा से होती है ।

सारांश यह कि—

सर्वनामों का प्रयोग-दोनों लिंगों में होता है। उनके लिंग का निर्णय क्रियाओं और संज्ञाओं द्वारा किया जा सकता है ।

(३) सर्वनाम के वचन और कारक

वचन और कारकों के करण सर्वनामों के रूपों में जो परिवर्तन होते हैं, उनका तालिका से ज्ञान होगा :—सम्बोधन में सर्वनाम का रूप नहीं होता है।

उत्तम पुरुष 'मैं'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	मैं, मैंने	हम, हमने
कर्म	मुझको, मुझे	हमकों, हमें
कारक	एकवचन	बहुवचन
करण	मुझसे	हमसे
सम्प्रदान	मुझे, मेरे लिये	हमें, हमारे लिये
अपादान	मुझसे	हमसे
अधिकरण	मुझ में, मुझ पर	हम में, हम पर
सम्बन्ध	मेरा, मेरी, मेरे	हमारा, हमारी, हमारे

मध्यम पुरुष 'तू'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	तू, तूने	तुम, तुमने
कर्म	तुझको, तुझे	तुमको, तुम्हें
करण	तुझसे	तुमसे
सम्प्रदान	तुझे, तेरे लिये	तुम्हें, तुम्हारे लिये
अपादान	तुझसे	तुमसे
अधिकरण	तुझमें,	तुममें, तुम पर
सम्बन्ध	तेरा, तेरी, तेरे	तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे

अन्य पुरुष 'वह'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	वह, उसने	वे, उनने या उन्होंने
कर्म	उसको, उसे	उनको, उन्हें
करण	उससे	उनसे
सम्प्रदान	उसके लिए, उसे	उनके लिए, उन्हें
अपादान	उससे	उनसे
अधिकरण	उसमें, उस पर	उनमें, उन पर
सम्बन्ध	उसका—को—के	उनका—को—के

निश्चयवाचक 'यह'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	यह, इसने	ये, इनने या इन्होंने
कर्म	इसको, इसे	इनको, इन्हें
करण	इससे	इनसे
सम्प्रदान	इसके लिये, इसे	इनके लिये, इसे
अपादान	इससे	इनसे
अधिकरण	इसमें, इस पर	इनमें, इन पर
सम्बन्ध	इसका—की—के	इनका—की—के

प्रश्नवाचक 'कौन'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	कौन, किसने	कौन, किसने, किन्होंने
कर्म	किसको, किसे	किनको, किन्हें
करण अपादान	किससे	किनसे
सम्प्रदान	किसके लिये, किसे	किनके लिये, किन्हें
अधिकरण	किसमें, किस पर	किनमें, किन पर
सम्बन्ध	किसका-की-के	किनका-की-के

नोट—पृथकता का अर्थ सूचित करने के लिए एक ही स्थान पर बार कौन-कौन प्रयोग करना चाहिए।

सम्बन्ध वाचक 'जो'

कारक	एकवचन	बहुवचन
कर्ता	जो, जिसने	जो, जिनने, जिन्होंने
कर्म	जिनको, जिसे	जिनको, जिन्हें
करण, अपादान	जिससे	जिनसे
सम्प्रदान	जिनके लिये, जिसे	जिनके लिये, जिन्हें
अधिकरण	जिसमें, जिसपर	जिनमें, जिनपर
सम्बन्ध	जिसका-की-के	जिनका-की-के

नोट—पृथक्त्व के जो का दो बार प्रयोग होता है।

अनिश्चयवाचक 'कोई'

इसका प्रयोग एकवचन में होता है। कर्म, करण आदि कारकों में विभक्तियुक्त होने पर 'कोई' का 'किसी' हो जाता है। यथा :—

किसीने, किसीको, किसीसे, किसीमें आदि।

अनिश्चयवाचक 'कुछ'

इसका प्रयोग एकवचन में होता है। कर्ता और कर्म कारक में अधिकतर आता है।

प्रश्नवाचक 'क्या'

कर्ता और कर्म में 'क्या' के साथ विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। शेष कारकों में विभक्तियुक्त होने पर इसका रूप 'काहे' हो जाता है। यथा :—

काहे को, काहे से, काहे में। किन्तु आजकल काहे में, काहे पर के स्थान पर 'किसमें' 'किसपर' आता है। यथा :—

मैं 'किसमें' आम रक्खूँ ? तुम रस 'किसमें' लाओगे ?

नोट—ऊपर के विवरण से यह ज्ञात होता है कि सर्वनाम शब्दों के रूप विभक्तियुक्त होने पर बदल गये हैं और उनकी विभक्तियाँ प्रायः शब्दों में मिलाकर लिखी गई हैं।

अभ्यास

(१) नीचे लिखे वाक्यों में सर्वनाम को पहचानकर उनके भेद बताओ—

राम ने कहा—बेटा, मैं तेरे लिए पुस्तक ले आया हूँ। तू चल, मैं आता हूँ। जो दोगे वह पाओगे। मैं अपने आप सब ठीक कर लूँगा, आप घबरायें नहीं।

(२) अनिश्चय-वाचक सर्वनाम के रूपों का परिचय दो। पुरुष-वाचक सर्वनाम के विभिन्न रूप लिखो।



पाँचवाँ पाठ

विशेषण

[१]

बच्चों,

कक्षा में यदि तीस विद्यार्थी हों और उनमें से किसी एक के बारे में तुम कहो कि वहसबसे लम्बा छात्र मेरा भाई है, तो उस व्यक्ति की विशेषता बताकर अन्य छात्रों से उसे अलग किया जाता है। लम्बा या सबसे लम्बा विशेषता बताने वाला शब्द है। ऐसे शब्द विशेषण कहे जाते हैं।

तात्पर्य यह कि जिस शब्द के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम से वाच्य वस्तु या व्यक्ति की विशेषना का बोध होता है उसे विशेषण कहते हैं।

पर साथ ही यहाँ यह भी याद रखना चाहिए कि जिस सर्वनाम या संज्ञा की विशेषता बताई जाती है, उसे विशेष्य कहते हैं।

विशेषण के भेद

(१) गुण बोधक (२) परिमाण बोधक (३) संख्या वाचक (४) संकेतबोधक।

(१) गुण बोधक—नीचे लिखे शब्दों पर ध्यान दो—

(क) यह लाल साड़ी है। (ख) वह पीला पत्ता है।

(ग) यहाँ पके आम नहीं है।

इन वाक्यों में लाल, पीला, पके' शब्दों द्वारा साड़ी, पत्ता और आम की विशेषता का ज्ञान होता है। इन्हें गुण बोधक विशेषण कहते हैं।

गुणबोधक विशेषण—किसी वस्तु या व्यक्ति के गुण या स्थिति आदि की विशेषताओं को प्रकट करता है।

गुणों के अन्तर्गत नीचे लिखी कुछ प्रमुख विशेषताएँ भी आती हैं—

(अ) रस, स्वाद—मीठा सेव—खट्टा आम आदि।

(आ) रंग—हरा पेड़ पीला आम, श्यामल मेघ।

(इ) गुण—अच्छा मनुष्य, बुरा मालिक, वीर योद्धा आदि।

(ई) आकार-गोल टेबुल, चौकोर पीढ़ा, वर्गाकार पत्थर।

इन विशेषणों में सा, सी लगने पर प्रायः कुछ कमी का बोध होता है। जैसे—

पीला-सा रूमाल, हरी-सी साड़ी।

(२) परिमाणबोधक विशेषण—इसके द्वारा किसी वस्तु के परिमाण का होता है।

इसके दो भेद होते हैं (क) जहाँ परिमाण निश्चित होता है, उसे निश्चित परिमाणबोधक कहते हैं। यथा, दो गज लम्बा और एक गज चौड़ा, मन भर दूध, तीन दौरी गुड़।

परिमाण के अनिश्चित रहने पर विशेषण को अनिश्चित परिमाण बोधक कहते हैं। थोड़ा दूध, कुछ काला।

नोट—(रुई को छोड़कर प्रायः सभी अनिश्चित विशेषण संख्याबोधक भी होते हैं। पर उसका ठीक-ठीक ज्ञान प्रसंग की सहायता से होता है। अर्थात् जो चीज गिनकर जानी जाती है, उनके साथ प्रयुक्त होने पर ये विशेषण संख्याबोधक भी हो जाते हैं। जैसे, कुछ पानी, थोड़ी दाल में कुछ और थोड़ी परिमाणबोधक हैं।

कुछ नारंगियाँ और थोड़े पैसे दो। इस वाक्य में 'कुछ' और 'थोड़े' संख्या-बोधक हैं।

३—संख्या-बोधक-गिनती या संख्या बतानेवाले विशेषणों को ही संख्या-बोधक विशेषण कहते हैं। जैसे, सौ रुपये, दस मनुष्य आदि। इसके भी दो भेद हैं।

(क) निश्चित संख्या बोधक और (ख) अनिश्चित संख्याबोधक
(क) जिससे निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्याबोधक कहते हैं। जैसे, पचास छात्र, पाँच अध्यापक आदि।

(ख) जिससे अनिश्चित संख्या का बोध होता है, उसे अनिश्चित संख्याबोधक कहते हैं। जैसे, कुछ बैल, सब बकरियाँ आदि। यहाँ कुछ या सब किसी निश्चित संख्या के बोधक नहीं हैं।

४—संकेतबोधक-जिनके द्वारा किसी वस्तु की ओर संकेत किया जाता है उन्हें संकेतबोधक विशेषण कहते हैं। यथा—

यह पुस्तक, वह बगीचा, ऐसा काम, वैसी मजदूरी आदि। इन अंशों में यह, वह, ऐसा, वैसी आदि संकेतबोधक विशेषण हैं।

यहाँ यह ध्यान रखना चाहिए कि यह, वह आदि सर्वनाम के अन्तर्गत ऊपर आ चुके हैं। परंतु जब वे शब्द किसी संख्या के साथ उसके पहले प्रयुक्त होते हैं तब तो विशेषण होते हैं और जब किसी संज्ञा के स्थान पर आते हैं तब सर्वनाम होते हैं। यथा—

यह पेड़ हिल नहीं रहा है।
यहाँ 'यह' विशेषण होता है।
वह खाता है। यह बोलता है।
यहाँ 'यह' वह, सर्वनाम हैं।

अभ्यास

(१) विशेषण का परिचय दो।
(२) संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण इन दोनों की परिभाषा बताकर उदाहरणों द्वारा अन्तर स्पष्ट करो।
(३) अपनी पाठ्य पुस्तक में से संकेतवाचक विशेषण और सर्वनाम के पाँच-पाँच उदाहरण ढूँढ़कर लिखो।
(४) नीचे लिखे शब्दों का विशेषण के रूप में प्रयोग करो—कोस भर, छोटा, दोनों कुछ, यह, ऐसा।

●

(२)

विशेषण की बनावट

(१) मोहन सीधा विद्यार्थी है।
(२) उसे ठण्डा खाना मत दो।
(३) सोहन शहरी विद्यार्थी है।
(४) बेचन कलकतिया पान बेचता है।
(५) हरिहर समझदार लड़का है।
(६) तुम ऐसे दुकानदार हो।
(७) वह पका हुआ आम है।
(८) मैंने सदा उसे पढ़ते हुए पाया।

इन वाक्यों में मोटे अक्षर वाले अंश विशेषण हैं। इनमें (१) और (२) अंश के विशेषण स्वतः स्वतन्त्र शब्द हैं। शेष प्रायः विशेष रूप से बनाए गए हैं।

अंश (३) में 'शहरी' विशेषण, 'शहर' जातिवाचक संज्ञा में 'ई' प्रत्यय लगाकर बनाया गया हैं।

अंश (४) में 'कलकतिया' व्यक्तिवाचक संज्ञा में 'इया' प्रत्यय जोड़ा गया है।

अंश (५) में 'समझ' भाववाचक संज्ञा में 'दार' प्रत्यय लगाकर विशेषण बनाया गया हैं।

अंश (६) में 'ऐसा', सर्वनाम शब्द से विशेषण बना है।

अंश (७) में 'पकना' क्रिया से 'पका हुआ' विशेषण बना है।

अंश (८) में भी 'पढ़ना' से 'पढ़ते हुए' विशेषण बनाया गया है।

सारांश यह है कि कुछ विशेषण तो बने-बनाये हैं और कुछ संज्ञाओं, सर्वनाम और क्रिया से प्रत्यय लगाकर बनाए गये हैं।

नीचे के उदाहरणों से स्पष्ट समझ में आयेगा—

(१) जातिवाचक संज्ञा	प्रयत्य	विशेषण
देश	ई	देशी
पहाड़	ई	पहाड़ी
ग्राम	ईण	ग्रामीण
कुल	ईन	कुलीन
घर	एलू	घरेलू
बन	ऐला	बनैला
(२) व्यक्तिवाचक संज्ञा	प्रत्यय	बिशेषण
भारत	ईय	भारतीय
गुजरात	ई	गुजराती

(३) भाववाचक संज्ञा	प्रत्यय	विशेषण
सुख	ई	सुखी
गुण	ई	गुणी
बुद्धि	मान्	बुद्धिमान
शील	वान्	शीलवान्
प्रभाव	शाली	प्रभावशाली

नोट—अंश (१) के विशेषणों को जातिवाचक विशेषण, अंश (२) के के विशेषणों को व्यक्तिवाचक विशेषण और अंश (३) के विशेषणों को भाववाचक विशेषण के नाम से भी सम्बोधित कर सकते हैं।

(४) सर्वनाम	प्रत्यय	विशेषण
वह	सा	वैसा
यह	सा	ऐसा
किस	सा	कैसा
कोई	सा	कोईसा
कौन	सा	कौनसा
जो	सा	जैसा
यह	तना	इतना
वह	तना	उतना
कोई	तना	कितना
जो	तना	जितना

नोट—सर्वनाम स्वयं विशेषण हो जाते हैं। कुछ सर्वनाम सा, तना, प्रत्यय लगाने से बन जाते है। इन्हें सार्वनामिक विशेषण भी कह सकते हैं।

(५) क्रिया	प्रत्यय	विशेषण
लिलना	हुआ	लिखता हुआ
हँसना	हुआ	हँसता हुआ

घूमना	क्कड़	घुमक्कड़
पढ़ना	वैया	पढ़वैया

नोट—इन विशेषणों को क्रियावाचक विशेषण कहा जाता है।

(६)

अव्यय	प्रत्यय	विशेषण
कल	वाला	कलवाला
परसों	वाला	परसोंवाला

(७)

उपसर्ग	शब्द	विशेषण
सु	डौल	सुडौल
सत्	जन	सज्जन

(८) कुछ संस्कृत-शब्दों से विशेषण बनाने में पहले अक्षर में वृद्धि करके अन्त में इक प्रत्यय जोड़ देते हैं। उदाहरण सप्रयोग निम्नांकित हैं—

शब्द	प्रत्यय	विशेषण	प्रयोग
अर्थ	इक	आर्थिक।	उसकी आर्थिक दशा ठीक नहीं।
शरीर	इक	शारीरिक।	शारीरिक बल बढ़ाओ।

अभ्यास

(१) निम्नलिखित शब्दों के विशेषण बनाओ—दिन, अर्थ, नीति, वेद।

(२) साप्ताहिक, मासिक, पाक्षिक, वार्षिक—इन विशेषणों को विशेष्य के साथ लिखो।

(३) शब्द, अर्थ, धर्म संस्कृत-शब्दों को विशेषण-रूप में लिखो और अपने वाक्य में प्रयोग करो।

[३]

विशेषण के लिंग, वचन और कारक

[लिंग]

[१] उदार पुरुष जाता है। उदार स्त्री जाती है।

[२] वह दयालु राजा था। वह दयालु स्त्री थी।

यहाँ 'उदार', 'दयालु' विशेषण उसी लिंग में हैं, जिसमें उनके विशेष्य हैं।

[३] मोटा आदमी आ गया है। मोटी स्त्री आती है।

[४] काला बैल दौड़ता है। काली गाय दौड़ती है।

मोटा, काला विशेषणों के अन्त में 'आकार' है, स्त्रीलिंग में उनका 'इकार' हो गया है।

[५] वह बुद्धिमान लड़का है। वह बुद्धिमती लड़की है।

[६] राजा नल गुणवान था। दमयन्ती गुणवती थी।

[७] यह विद्वान पुरुष है। यह विदुषी महिला है।

ऊपर के वाक्यों में बुद्धिमान, गुणवान, विद्वान् पुल्लिग संस्कृत-शब्द का रूप स्त्रीलिंग में क्रमशः बुद्धिमती, गुणवती, विदुषी हो गया है। कहीं 'इणी' प्रत्यय भी लगाते हैं। यथा:—अधिकारी से अधिकारिणी।' कहने का भाव यह है कि विशेषणों का लिंग वही होता है, जो उनके विशेष्यों का होता है।

(२) वचन

एक वचन	बहुवचन
(१) अच्छा घोड़ा है।	अच्छे घोड़े हैं।
(२) मोटा सेठ आया।	मोटे सेठ आये।
(३) वह चतुर छात्र है।	वे चतुर छात्र हैं।

ऊपर के वाक्यों में घोड़ा, सेठ, छात्र एकवचन में हैं, तब अच्छा, मोटा, चतुर विशेषण एकवचन में ही प्रयुक्त हुए हैं। जब इनके विशेष्य बहुवचन में प्रयुक्त हुए, तब वे विशेषण बहुवचन में आये।

अर्थात् विशेषण उसी वचन में होंगे, जिस वचन में उनके विशेष्य होंगे।

(३) कारक

(१) दुबला बकरा चरता है।
(२) दुबले बकरे को मत मारो।
(३) दुबले गधे से काम न लिया करो।
(४) दुबले गधे पर बोझ डालना बुरा है।

यहाँ बकरा और गधा विशेष्य जिन कारकों में प्रयुक्त हैं, 'दुबला' **विशेषण** उन्हीं कारकों में आया है।

अर्थात् विशेषण उसी कारक में समझा जाता है, जिसमें उसका विशेष्य है।

ऊपर के विवरण से यह फल निकाला कि जो लिंग, वचन, कारक विशेष्य का होता है, वही लिंग, वचन, कारक उसके विशेषण का होता है।

नोट—(१) जब विशेषण विशेष्य रहित होता है, तब उसकी रूपावली संज्ञा की भाँति होती है। यथा:—विद्वानों का मत है। बहुतों ने कहा है। पंडितों से पूछो।

(२) विशेषण के विशेषण को अन्तर्विशेषण कहते हैं। यथा—हरिलाल बड़ा बुद्धिमान है। हीरा अधिक सुशील है। इन वाक्यों में 'बड़ा, 'अधिक, अन्तर्विशेषण कहे जायेंगे।

(३) जिस भाषा का विशेष्य शब्द हो, उसी भाषा का विशेषण शब्द रखना अच्छा प्रयोग कहा जाता है। यथा—शिष्ट मनुष्य। प्रसन्न चित्त। खुश-दिल आदि।

अभ्यास

(१) विशेषण की बनावट के कुछ उदाहरण देकर उनके विशेषता बताओ।

(२) विशेषण के लिंग का परिचय दो।

(३) विशेषण के कारकों का विशेषता समझाओ।



छठाँ पाठ

क्रिया-विचार

[१]

अकर्मक तथा सकर्मक क्रिया

बालको,

वाक्य के उस शब्द को क्रिया कहते हैं, जिसके द्वारा किसी का काम करने या होना या किसी व्यापार का घटना अथवा किसी पदार्थ का घटना अथवा किसी पदार्थ का अस्तित्व प्रकट होता है। नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दो।

(१) छात्र घर जाता है। (२) पेड़ होते हैं। (३) बच्चे पढ़ते हैं। (४) स्त्री सोती है।

इन वाक्यों में प्रथम अंश द्वारा जाना क्रिया प्रकट होती है। दूसरे वाक्य से होना प्रकट होता है, तीसरे से पढ़ने का बोध होता है। चौथे से सोने की सूचना मिलती है। अतः इन वाक्यों में जाता है, होता है, पढ़ते हैं और सोती है—ये क्रिया के रूप हैं।

जब क्रिया का व्यापार कर्ता पर ही समाप्त होता है, तब क्रिया अकर्मक कही जाती है। जैसे दूसरे और चौथे वाक्य में होना और सोना कर्ता तक

ही पहुँचते हैं। परन्तु जब क्रिया का व्यापार कर्ता पर न समाप्त होकर व्यापार के फल के आश्रय रूप कर्म तक पहुँचता है, तब क्रिया सकर्मक कही जाती है। जैसे, प्रथम वाक्य में जाना की समाप्ति कर्ता पर न होकर गाँव रूप कर्म तक पहुँच कर होती है। वाक्य का क्रिया सबसे मुख्य अंश है। विधेय अंश में क्रिया का रहना आवश्यक होता है। कारक के प्रकरण में यह बताया जा चुका है कि कर्ता, कर्म, करण आदि का अन्वय क्रिया के साथ ही होता है।

नोट—जिस शब्द के अन्त में ना हो और उससे किसी व्यापार का परिचय मिलता हो, वही क्रिया का साधारण रूप है। यथा—सोना, होना, आना, जाना आदि।

कुछ लोग इन्हें संज्ञार्थी क्रिया भी कहते हैं। ना के हटाने पर अवशिष्ट अंश को विद्वान लोग धातु कहते हैं।

अभ्यास

(१) क्रिया किसे कहते हैं ?

(२) सकर्मक क्रिया का अन्तर उदाहरण पर घटित करते हुए बताओ।

(३) कारक अन्वय क्रिया के साथ प्रदर्शित करो।

(४) पूर्ण क्रिया का अर्थ स्पष्ट करो।

[२]

द्विकर्मक क्रिया

नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो—

गुरुजी शिष्य को वेद पढ़ाते हैं। हरिश्चन्द्र ने विश्वामित्र को राज्य दे दिया।

प्रथम वाक्य में,क्या पढ़ाता है और किसे पढ़ाता है ? इनके उत्तर होंगे शिष्य को पढ़ाता है, वेद पढ़ाता है। शिष्य को प्रथम कर्म और वेद द्वितीय कर्म। दूसरे वाक्य में किसे दिया क्या दिया ? इनके उत्तर होंगे क्रमशः विश्वामित्र को दिया, पृथ्वी दी। पढ़ाना क्रिया का फल शिष्य और वेद दोनों पर पड़ता है। इसी प्रकार देना क्रिया का फलाश्रय विश्वामित्र और राज्य दोनों हैं।

ये दोनों ही दोनों वाक्यों की क्रियाओं के कर्म हैं। जिनके साथ 'को' लगा हुआ है, वे गौण कर्म हैं और बिना "क" वाले प्रधान कर्म है।

नोट—द्वितीय वाक्य में विश्वामित्र को यह अंश कभी-कभी सम्प्रदान के अर्थ से भी प्रयुक्त होता है। वैसी अवस्था में दूसरा उदाहरण यह वाक्य हो सकता है, अध्यापक ने छात्रों अर्थ समझाया। कभी-कभी कुछ विद्वान् त्रिकर्मक क्रिया की बात भी बताते हैं। जैसे, आचार्य ने शिष्यों को साहित्य का पाठ स्मरण करा दिया। यहाँ प्रथम कर्म शिष्यों को, द्वितीय कर्म साहित्य का पाठ और तृतीय कर्म स्मरण बताते हैं। परन्तु हिन्दी में यह एक प्रवृत्ति है, सोना न कहकर शयन करना कह देते हैं, खाना न कहकर भोजन करना कह देते हैं। यहाँ शयन और भोजन कर्म न होकर हिन्दी की अपनी क्रिया 'शयन करना भोजन करना' के अंश हैं।

अभ्यास

(१) प्रधान कर्म और गौण कर्म का अन्तर बताओ।

(२) अपनी पाठ्य-पुस्तक में से पाँच वाक्य ढूँढ़ो, जिनमें द्विकर्मक-क्रिया-पद का प्रयोग हुआ हो।



[३]

प्रेरणार्थक क्रिया

बच्चों, नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दो—

(क) छात्र पढ़ता है, (ख) अध्यापक छात्र से पुस्तक पढ़वाते हैं।

(ग) विद्यार्थी पुस्तक उठाता है। (घ) गुरूजी पुस्तक उठवाते हैं।

इन उदाहरणों के क और ग उदाहरणों में कर्ता स्वयं कार्य कर रहा है। परन्तु ख और घ उदाहरणों में अध्यापक और गुरुजी की प्रेरणा से कार्य किया जाता है।

ख और घ वाक्यों को पढ़वाना और उठवाना क्रियाएँ प्रेरणार्थक हैं। पढ़वाना या उठवाना क्रिया प्रेरणा द्वारा सम्पन्न होती हैं।

यहाँ अध्यापक या गुरूजी स्वयं व्यापार नहीं करते, किन्तु अन्य से कराते हैं। वस्तुत: देखा जाय तो प्रेरणार्थक क्रिया के दो कर्ता होते हैं। एक तो प्रेरक और दूसरा प्रेरित होकर कार्य करनेवाला। क्रमश: इन्हें प्रेरक कर्ता और प्रेरित कर्ता (प्रेर्यमाण कर्ता) कहते हैं। प्रेरित कर्ता करण कारक के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रेरक को प्रयोजक और प्रेरित को प्रयोज्य कहते हैं।

जिस क्रिया का कर्ता स्वयं कार्य न करके अपनी प्रेरणा से दूसरों से व्यापार कराता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक कहते हैं।

अभ्यास

(१) सामान्य क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया में क्या अन्तर है ?

(२) नीचे लिखी क्रियाओं के प्रेरणार्थक रूप वाक्यों में प्रयुक्त करो—

ढोना, खाना, पकाना- भेजना।

[४]

क्रिया के लिंग और बचन

(क) लिंग

[अ]

किसान खेत जोतता है ! उसकी स्त्री भी जोतती है।

बैल चरता है। गाय चरती है।

बायीं ओर के वाक्यों में क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार पुलिंग है। दाहिनी ओर के वाक्यों में कर्ता के अनुसार स्त्रीलिंग है।

अतः ऐसे वाक्यों में क्रिया का लिंग कर्ता के अनुसार होता है।

[आ]

पुत्र ने कहा। पुत्री ने कहा।

भाई ने सुना। बहन ने सुना।

इन वाक्यों में कर्ता के 'ने' चिन्ह-युक्त होने से और कर्म के लुप्त रहने से क्रिया का रूप पुलिंग में है।

सारांश यह है कि जब कर्म प्रयुक्त न हो और कर्ता 'ने' चिन्ह-युक्त हो, तब क्रिया का रूप पुलिंग का ही होता है।

परन्तु जब ऐसे वाक्यों में कर्म का प्रयोग होता है, वह लुप्त नहीं रहता, तब क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार हो जाता है। जैसे—

पुत्र ने बात कही। पुत्रों ने पत्र पढ़ा।

भाई ने बात सुनी। बहिन ने पत्र सुना।

इन वाक्यों में कर्ता के लिंग का विचार छोड़कर क्रिया का लिंग कर्म के अनुसार है। बात और पत्र इन वाक्यों में कर्म हैं।

[इ]

छात्र ने गुरू को प्रणाम किया। छात्र ने पुस्तक को देखा।

सुधा ने माँ को प्रणाम किया। भाई ने बहन को बुलाया।

इन वाक्यों में दिखाई पड़ता है कि क्रिया का लिंग न तो कर्ता के अनुसार है और न कर्म के अनुसार। कर्मानुसारी लिंग की बात ऊपर जो कही गई है, जब कर्म तो प्रकट रहे पर कर्म विभक्ति का चिन्ह को अप्रकट रहे और जहाँ 'को' प्रकट रहता है और 'ने' का भी प्रयोग रहता है, वहाँ क्रिया सर्वदा पुलिंग में ही होती है।

सारांश यह है कि जब वाक्य में कर्ता और कर्म दोनों अपने-अपने चिन्हों से युक्त हों; तब क्रिया पुलिंग में ही होती है।

[ख]

वचन

लिंग के समान वचन भी-कर्ता या कर्म के अनुसार बदलता है। नीचे लिखे वाक्य इसे स्पष्ट करेंगे।

(अ)

बालक खेलता है।	बच्चे खेलते हैं।
बालिका दौड़ती है।	बच्चियाँ दौड़ती हैं।

इन वाक्यों में कर्ता के अनुसार क्रिया के भी वचन हैं। जहाँ कर्ता एक-वचन है वहाँ क्रिया भी एकवचन है और कर्ता के बहुवचन होने पर क्रिया भी बहुवचन हो गई है।

सारांश यह कि 'ने' युक्त कर्तावाले वाक्यों से अतिरिक्त अन्यत्र प्रायः क्रिया का वचन कर्ता के अनुसार होता है।

परन्तु 'ने' युक्त वाक्यों में जहाँ लिंग कर्मानुसार होता है, वहाँ बचन भी

कर्मानुसार है और उसके अतिरिक्त 'ने' युक्त अन्य वाक्यों में वह एक वचन ही रहता है। यथा—

बच्चे ने कहा। बच्चों ने कहा। बच्चे ने रोटी खायी। बच्चों ने काम किया। बच्चों ने रोटियाँ खाईं। छात्र ने पुस्तक पढ़ी। लड़कों ने गुरु को प्रणाम किया। छात्र ने अन्य विद्यार्थियों को बुलाया।

(आ)

नीचे लिखे वाक्यों पर ध्यान दो—

सभापति आए। अध्यापकजी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। वशिष्ठजी उपदेश देते थे। इन वाक्यों में क्रियाओं के कर्ता आदरणीय जन हैं। अतः क्रियाएँ बहुबचन में हैं। सारांश यह, आदरणीय कर्ता की क्रियाएँ प्रायः बहुबचन में प्रयुक्त होती है।

(५)

क्रिया के पुरुष और काल

मैं पढ़ता हूँ।	मैं पढ़ती हूँ।
तू पढ़ता है।	तू पढ़ती हैं।
वह पढ़ता है।	वह पढ़ती है।
हम पढ़ते हैं।	हम पढ़ती हैं।
तुम पढ़ते हो।	तुम पढ़ती हो।
वे पढ़ते हैं।	वे पढ़ती हैं।

उदाहरणों के देखने से पता चलता हैं कि क्रिया के लिंग और बचन के समान ही पुरुष भी प्रायः कर्ता के अनुसार होते हैं।

नोट—'ने' युक्त वाक्यों में जहाँ क्रिया का लिग कर्मानुसारी होता है, वहाँ पुरुष भी कर्मानुसारी होता है।

'ने' युक्त वाक्यों में सामान्यतः क्रिया का प्रयोग अन्य पुरुष में ही रहता है। कर्ता और कर्म जब अपने अपने चिह्नों से युक्त रहते हैं, तब क्रिया अन्य पुरुष की होती है।

(६)

क्रिया के काल

(१) वह गया था। (२) वह जाता है। (३) वह जाएगा।
(४) मैं खाता था। (५) मैं खाता हूँ। (६) मैं खाऊँगा।

इन वाक्यों की क्रियाओं में प्रथम दो क्रियाएँ ऐसी हैं, जिनके होने का काल बीत चुका है।

दूसरी दो क्रियाएँ ऐसी हैं, जिनका कार्य चल रहा है, बीता नहीं है।

तीसरी दो क्रियाओं का समय अभी आने वाला है। न तो वह आया है, न वर्तमान है।

क्रियाओं के ये रूप उनके व्यापार होने का समय सूचित करते हैं। इसी को व्याकरण में काल कहते हैं।

कहने का सारांश यह कि क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय सूचित किया जाय उसे काल कहते हैं।

(अ)

ऊपर जिन क्रियाओं से व्यापार के होने का समय बीत जाना सूचित होता है, उन्हें भूत काल की क्रिया कहते हैं। यथा—

गया था। खाता था।

(आ)

द्वितीय प्रकार की क्रियाओं का व्यापार जारी है। उनका व्यापार वर्तमान समय में चल रहा है। उन्हें वर्तमान की क्रिया कहते हैं। जाता है और खाता हूँ, वर्तमान काल में हैं।

(इ)

तृतीय प्रकार की दोनों क्रियाओं से व्यापार का आगे चलकर भविष्य में होना सूचित होता है। इन्हें भविष्य काल की क्रिया कहते हैं। जाएगा और खाऊँगा, भविष्य काल की क्रियाएँ हैं।

अतः काल के तीन भेद हुए, (१) भूत, (२) वर्तमान और (३) भविष्य।

अभ्यास

(१) 'ने' युक्त कर्तावाले भूतकालीन वाक्यों में लिंग और वचन का प्रयोग कैसे होता है? उदाहरण देकर लिखो।

(२) नीचे लिखे वाक्यों में लिंग और बचन के प्रयोग की विधि बताओ—
सुधा ने रोटी खायी। इन्द्र ने आम खाया। मोहन ने सोहन को बुलाया। राम ने उपदेश दिया।

(३) निम्नलिखित वाक्यों में काल पहचानो—
वह पुस्तक ले गई। हाथी आया था। मैं पढ़ता हूँ। रामू पढ़ता था। कल हम लोग सारनाथ जाएँगे। उद्यान में गुलाब के फूल फूले हैं।

●

सातवाँ पाठ

काल-विचार

[१]

(अ)—भूतकाल के भेद

(१) दिनेश आया। रमेश गया। उमेश ने कहा।

(२) दिनेश आया है। रमेश गया है। उमेश ने कहा है।

(३) दिनेश आया था। रमेश गया था। उमेश ने कहा था।
(४) दिनेश आया होगा। रमेश गया होगा। उमेश ने कहा होगा।
(५) दिनेश बैठा था या बैठ रहा था। रमेश गया था या जा रहा था। उमेश कहता था या कह रहा था।

(६) (यदि) दिनेश आता (तो) रमेश जाता और उमेश मन की बात कहता।

ऊपर के वाक्यों में दी हुई सभी क्रियाएं भूतकाल की हैं। किंतु सबसे प्रकट होने वाले अर्थ में कुछ अन्तर दिखाई देता है। अंश (१) के वाक्य में प्रयुक्त आया, गया और कहा क्रियाएँ द्वारा निश्चित रूप से नहीं पता चलता कि वह कार्य अभी हुआ है अथवा अधिक समय पूर्व। इनसे सामान्य भूतकाल का ज्ञान होता है, विशेष का नहीं।

सारांश यह कि जिन क्रियाओं से सामान्य भूतकाल जाना जाय, (यह निश्चय न हो कि उनका व्यापार अभी समाप्त हुआ है या बहुत पहले) उनको सामान्य भूतकाल की क्रिया कहते हैं।

आया, गया, कहा, सुना आदि।

अंश २ की क्रियाएँ-आया है, गया है, कहा है, इनके कुछ ही पूर्व व्यापार के समाप्त होने का पता चलता है।

इन्हें आसन्न भूत की क्रिया कहते हैं। (आसन्न अर्थात् निकट)

सारांश यह कि जिनके द्वारा कुछ ही समय पूर्व व्यापार के समाप्त होने का ज्ञान होता है, उन्हें आसन्न भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यथा,

आया है, गया है, किया है आदि।

अंश ३ की क्रियाओं से बहुत पहले समाप्त हुए व्यापार का ज्ञान होता है, जो व्यापार समाप्त हो चुके हैं। इन्हें पूर्णभूत कहते हैं।

तात्पर्य यह कि जिन क्रियाओं से ज्ञात हो कि उनके व्यापार बहुत पहले समाप्त हो चुके हैं, उन्हें पूर्णभूत काल की क्रिया कहते हैं।

अंश ४ की क्रियाओं का भूतकाल में होना तो सूचित होता है, किन्तु काम होने में सन्देह पाया जाता है, इन्हें सन्दिग्ध भूत कहते हैं।

अभिप्राय यह कि जिनसे भूतकाल का पता तो चलता है, किन्तु उनके व्यापार के होने में सन्देह बना रहता है, उन्हें सन्दिग्ध-भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यथा,

आया होगा, गया होगा।

अंश ५ की क्रियाओं से उनके व्यापार का प्रारंभ होना भूतकाल में ज्ञात रहता है, किन्तु उनकी समाप्ति का पता न चलने से उन्हें अपूर्ण भूत कहते हैं।

सारांश यह कि जिनसे ज्ञात हो कि व्यापार का आरम्भ तो भूतकाल में हो गया है, किन्तु समाप्ति कब हुई यह ज्ञात न हो, उन्हें अपूर्ण भूतकाल की क्रिया कहते हैं। यथा,

बैठता था, उठ रहा था, जा रहा था, खाता था।

अंश ६ की क्रियाओं से जाना जाता है कि वे भूतकाल की हैं, किन्तु काम का सिद्ध होना दूसरे पर निर्भर रहता है। यदि सुरेश आता तो ही रमेश जाता। इन्हें हेतुहेतुमद्भूत की क्रिया कहते हैं।

तात्पर्य यह कि जिनसे जाना जाय कि एक व्यापार का होना दूसरे व्यापार के होने पर निर्भर है, उन्हें हेतुहेतुमद्भूत काल की क्रिया कहते हैं। तथा,

यदि आता तो जाता। यदि पढ़ता तो लिखता आदि।

हेतुहेतुमद्भूत के भेद

(क) रमेश आता तो मैं जाता ।

(ख) रमेश आया हो तो उसे खिला देना ।

(ग) रमेश आया होता तो मैं उससे कहता ।

(घ) रमेश आया होता तो अच्छा रहता ।

अंश 'क' वाक्य में आता, जाता हेतुहेतुमद्भूत की क्रियाएँ तो हैं, किन्तु निश्चित समय का ज्ञान नहीं होता अतः इनको सामान्य हेतुहेतुमद्भूत कहते हैं। अंश 'ख' में 'आया हो' में हेतुहेतुमद्भूत की निकटता प्रकट होती है। अतः इसे आसन्न हेतुहेतुमद्भूत कहते हैं। अंश 'ग' में आया होता से दूरी का भाव व्यक्त होता है, अतः इसे अन्तरित हेतुहेतुमद्भूत कहते हैं। अंश 'घ' से भूत का बोध होता है, पर उसमें अपूर्णता रहती है। अतः इसे अपूर्ण हेतुहेतुमद्भूत कहते हैं।

इस भाँति हेतुहेतुमद्भूत के चार भेद हुए—(१) सामान्य हेतुहेतु-मद्भूत, (२) आसन्न हेतुहेतुमद्भूत, (३) अन्तरित हेतुहेतुमद्भूत और (४) अपूर्ण हेतुहेतुमद्भूत।

भूतकाल के छः भेद हुए—(१) सामान्य भूत, (२) आसन्न भूत, (३) पूर्ण भूत, (४) अपूर्ण भूत, (५) संदिग्ध भूत और (६) हेतुहेतुमद्भूत।

अभ्यास

(१) भूतकाल के भेदों के नाम लिखकर अपनी पाठ्य पुस्तक में से उनके उदाहरण दो।

(२) पूर्ण भूत और अपूर्ण भूत में क्या अन्तर है ? लिखो।

(३) हेतुहेतुमद्भूत के भेद और उनके उदाहरण का परिचय दो।

[२]

(आ) वर्तमान काल के भेद

(क) बसन्त भात खाता है।	वासन्ती सोती है।
(ख) बसन्त भात खा रहा है।	वासन्ती सो रही है।
(ग) बसन्त भात खाता होगा।	वासन्ती सोती होगी।
(घ) यदि बसन्त भात खाता होगा। तो खाने दो।	यदि वासन्ती सोती हो। तो सोने दो।

वाक्य (क) में खाता है, सोती है, क्रियायें हैं। इनके रूपों से ज्ञात होता है कि ये काम वर्तमान में हो रहे हैं, किन्तु कोई निश्चित समय नहीं जाना जाता। केवल वर्तमान का सामान्य रूप प्रकट होता है। कोई विशेष बात नहीं।

जिन क्रियाओं के रूपों से वर्तमान काल का केवल सामान्य रूप प्रकट होता है, उनको सामान्य वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यथाः—खाता है, सोती है।

वाक्य (ख) 'खा रहा है, सो रही' क्रियाओं के रूपों से प्रकट होता है कि इन क्रियाओं के व्यापार का होना इसी समय (तत्काल) निश्चित है।

जिन वर्तमान की क्रियाओं के रूपों से यह प्रकट हो कि उनका व्यापार तत्काल हो रहा है, उनको तात्कालिक वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यथाः—खिला रहा है, सो रही है।

वाक्य (ग) में 'खाता होगा, सोती होगी, क्रियायें हैं।

इन रूपों से प्रकट होता है कि क्रिया वर्तमान काल में है, किन्तु उनके व्यापार के होने में संदेह पाया जाता है।

जिन वर्तमान काल की क्रिया के रूपों से प्रकट हो कि उनके व्यापार के होने में संदेह है, उनको संदिग्ध वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यथा—खाता होगा, सोती होगी।

वाक्य (घ) में 'खाता हो, सोती हो' क्रियायें हैं।

ये ऐसी क्रियायें हैं। जिनके होने पर दूसरी क्रियायें 'खाने दो, सोने दो,

निर्भर हैं। अर्थात् 'खाने दो, सोने दो' क्रियाओं के कारण (हेतु) खाता हो, सोती हो' क्रिया में हैं।

जिन वर्तमान काल की क्रियाओं के रूपों से जाना जाय कि उनके होने पर दूसरी क्रियाओं का होना निर्भर है, उनको हेतुहेतुमद्वर्तमान काल की क्रिया कहते हैं। यथा—खाता हो, खेलती हो।

इस प्रकार वर्तमान की क्रिया चार प्रकार हुई। नाम स्मरण करो।

अभ्यास

(१) वर्तमान काल की क्रियायें कितनी हैं ?

(२) निम्नलिखित वाक्यों में वर्तमान काल के भेदों को पहिचानो—
मैं प्रयाग जा रहा हूँ। तुम मथुरा जाते हो, तो मेरे लिए पेड़ा लेते आना। श्याम पुस्तक पढ़ता है। राम पत्र पढ़ता होगा। सोनार हार बनाता होगा। दर्जी कुरता सी रहा है।

●

[३]

भविष्यत् काल के भेद

(क) मोहन पढ़ेगा। सोहन लिखेगा।

(ख) (यदि) मोहन पढ़े तो सोहन लिखे।

(ग) सम्भव है, मोहन पढ़े, कदाचित् सोहन लिखे।

देखो वाक्य (क) में 'पढ़ेगा', 'लिखेगा' ऐसी क्रियायें हैं, जिनका व्यापार भविष्य में होनेवाला है।

जिन भविष्यत् काल की क्रियाओं के रूपों से यह जाना जाय कि उनका व्यापार आगे आनेवाले समय (भविष्य) में आरम्भ होगा, उनको सामान्य भविष्यत काल की क्रिया कहते हैं। यथा—पढ़ेगा, लिखेगा।

वाक्य (ख) की क्रियायें पढ़े और लिखे हैं। एक क्रिया की समाप्ति पर दूसरी क्रिया का व्यापार निर्भर है।

जिन भविष्यत् काल की क्रियाओं के होने पर दूसरी क्रियाओं का होना निर्भर होता है, उनको हेतुहेतुमद्भूत भविष्यत् काल की क्रिया कहते हैं। यथा—पढ़े, लिखे।

वाक्य (ग) में 'पढ़े, लिखे' क्रियाओं से उनके काम के होने की सम्भावना पाई जाती है।

जिस भविष्यत् काल की क्रियाओं से काम के होने की सम्भावना प्रकट हो उनको सम्भाव्य भविष्यत् काल की क्रिया कहते हैं। पढ़े, लिखे।

इस प्रकार भविष्यत् काल की क्रियायें तीन प्रकार की हुई—(१) सामान्य भविष्यत्, (२) हेतुहेतुमद्भूत भविष्यत् और (३) संभाव्य भविष्यत्।

अभ्यास

(१) सामान्य भविष्यत् काल की तीन क्रियायें लिखो।

(२) निम्नलिखित में भविष्यत् काल की क्रियाओं के भेद पहिचानो—सिंह कूदेगा। गाय खेत चरेगी। बकरी दूध देगी। यदि रामू आवे तो बहुत काम निकले। सम्भव है, गाय दूध दे। तुम प्रातःकाल उठोगे तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। सम्भवतः सुधा प्रातः उठे। यदि मोहन कहे तो मैं आऊँ।

●

[४]

क्रिया के रूप

(क) धातु और सामान्य रूप

(१) रमेश चलता है। (२) सुरेश चलता था। (३) दिनेश चलेगा।

ऊपर के वाक्यों में क्रिया के रूपों पर विचार करो—

'चलता है' क्रिया 'चल+ता है' से बनी है।

'चलता था' क्रिया 'चल + ता था' से और 'चलेगा' क्रिया 'चले + गा' से निर्मित हुई है।

ऊपर की क्रियाओं में चल मूल क्रिया के भिन्न-भिन्न प्रत्ययों के प्रयोग से तीनों काल की क्रियायें बन गई हैं। इस मूल क्रिया को 'धातु' कहते हैं।

'चल' धातु है। इसके आगे 'ता है', 'ता था', 'एगा' 'प्रत्यय' जुड़कर काल को सूचित करते हैं। इन प्रत्ययों कालसूचक प्रत्यय कहते हैं।

'चल' धातु के आगे 'ना' जोड़ने से 'चल' क्रिया बनती है। यह क्रिया का सामान्य रूप है।

आना, खोना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्रिया के सामान्य रूप हैं। इनसे काम जाना जाता है। अर्थात्

जिस शब्द के अन्त में 'ना' हो और उससे कोई व्यापार बोधित होता हो, उसे क्रिया का सामान्य रूप कहते हैं।

[नोट—किन्तु कोना, चूना, लोना (मिट्टी का), सोना (धातु) संज्ञा हैं, क्योंकि उनसे व्यापार का बोध नहीं होता।]

(ख) क्रियार्थक संज्ञा

जाना, सोना, पढ़ना लिखना आदि क्रिया के समान्य रूप हैं, इन्हें क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा की भाँति इसका भी प्रयोग सम्बोधन को छोड़ कर शेष सातों कारकों में होता है—

(१) मोहन का 'बोलना अच्छा है (कर्ता)

(२) मैं सोहन का 'बैठना' देखता हूँ। (कर्म)

(३) वह 'लिखने' से अधिक प्रसिद्धि पाता है। (करण)

(४) मैं 'लिखने' के लिए यहाँ आया हूँ। (सम्प्रदान)

(५) तुम 'पढ़ने' से जी चुराते हो। (अपादान)

(६) उसके 'बोलने' में दोष हैं। (अधिकरण)

(७) राम के 'बोलने' की शैली सुन्दर है। (सम्बन्ध)

(ग) धातु के भेद

(१) जाना, रोना, पढ़ना, लिखना, क्रिया के सामान्य रूप हैं।

(२) जा, रो, पढ़, लिख धातु हैं ('ना' दूर कर दिया है)।

(घ) सामान्य भूतकाल की क्रिया बनाने का नियम

स्वरान्त धातु के आगे 'या' चिन्ह बढ़ाने और व्यंजनान्त धातु के आगे 'आ' लगाने से सामान्य भूत, एकवचन, पुलिंग की क्रिया बन जाती है। यथा: आया, खोया, पढ़ा, लिखा आदि। बहुवचन पुलिंग में 'आकार' का 'एकार' कर देते हैं। यथा :—

'आये' खोये, पढ़े, लिखे, आदि।

स्त्रीलिंग एकवचन में 'आई, खोई, पढ़ी लिखी' रूप होगा।

स्त्रीलिंग बहुवचन में, आईं, खोईं, पढ़ीं लिखीं' रूप होगा।

'करना, जाना, लेना, देना, होना, के रूप सामान्य भूतकाल में इस नियम से नहीं बनते, जैसा कि नीचे की तालिका से ज्ञात होगा।

सामान्य रूप	धातु	एकवचन		बहुवचन	
		पुलिंग	स्त्रीलिंग	पुलिंग	स्त्रीलिंग
करना	कर	किया	की	किये	की
जाना	जा	गया	गई	गये	गईं
लेना	ले	लिया	ली	लिये	लीं
देना	दे	दिया	दी	दिये	दीं
होना	हो	हुआ	हुई	हुए	हुईं

(ङ) सामान्य भूत की सहायता से बननेवाली क्रियायें :—

नीचे दी हुई तालिका से ज्ञात हो जायेगा कि सामन्य भूतकाल की क्रिया के आगे किन चिन्हों के लगाने से किस काल की क्रिया बन जायगी।

'आना' या क्रिया का रूप अन्य पुरुष में

भूतकाल	पुंलिग		स्त्रीलिंग	
	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
सामान्य भूत	आया	आये	आई	आईं
आसन्न भूत	आया है	आये हैं	आई है	आई हैं
पूर्ण भूत	आया था	आये थे	आई थी	आई थीं
संदिग्ध भूत	आया होगा	आये होंगे	आयी होगी	आई होंगी
आसन्न हेतुहेतुमद्भूत	आया हो	आये हों	आई हो	आई हों
अंतरित हेतुहेतुमद्भूत	आया होता	आये होते	आई होती	आई होतीं

उत्तम और मध्यम पुरुषों में सामान्यभूत पूर्णभूत, अन्तरित हेतुहेतुमद्भूत में अन्य पुरुष सा ही रूप होता है। आसन्न भूत संदिग्ध भूत और आसन्न हेतुहेतुमद्भूत में कुछ परिवर्तन हो जाता है। यथाः—

आसन्न भूत { मैं आया हूँ, मैं आई हूँ। हम आये हैं, हम आई हैं।
तू आया है, आई है। तुम आये हो, आई हो।

	एकवचन		बहुवचन	
	पुंलिग	स्त्रीलिंग	पुंलिग	स्त्रीलिंग
संदिग्ध भूत	मैं आया हूँगा,	आई हूँगी,	हम आये होंगे,	आई होंगी
	तू आया होगा,	आई होगी,	तुम आये होगे,	आई होगी।
आसन्न हेतु०	मैं आया हूँ,	आई हूँ,	हम आए हों,	आई हों।
	तू आये हो,	आई हो,	तुम आये हो,	आई हो।

(च) हेतुहेतुमद्भूत काल की क्रिया का रूप

धातु के आगे ता, तीं, ते, तीं लगाने से हेतुहेतुमभूद्त काल की क्रिया क्रमशः पु०, स्त्री०, एकवचन और बहुवचन में बन जाती है। यथा:—

धातु	चिन्ह	पुंलिग		स्त्रीलिंग	
		एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
आ	ता	आता	आते	आती	आतीं

हेतुहेतुमद्भूत की सहायता से बननेवाली क्रियाओं की तालिका अन्य पुरुष के एकवचन, बहुवचन, पुंलिग और स्त्रीलिंग में निम्नांकित है:—

'आता' हेतुहेतुमद्भूत (एकवचन, अन्य पुरुष)

कालों का नाम	पुंलिग		स्त्रीलिंग	
	एकवचन	बहुवचन	एकवचन	बहुवचन
अपूर्ण भूत	आता था	आते थे	आती थी	आती थीं
अपूर्णहेतुहेतुमद्भूत	आता होता	आते होते	आती होती	आती होतीं
सामान्य वर्तमान	आता है	आते हैं	आती है	आती हैं
संदिग्ध वर्तमान	आता होगा	आते होंगे	आती होगी	आती होंगी
हेतुहेतुमद्वर्तमान	आता हो	आते हों	आती हो	आती हों

उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष में कुछ रूप सामान्य वर्तमान संदिग्ध वर्तमान हेतुहेतुमद्वर्तमान में बदला जाता है।

सामान्य वर्तमान (उ० पु०) मैं आता हूँ—आती हूँ
हम आते हैं—आती हैं
(म० पु०) तू आता है—आती है
तुम आते हो—आती हो

नोट—अपूर्ण भूतकाल का एक रूप यह भी होता है :—'जाना' का धातु 'जा'। रहा था, चिन्ह लगाने से—जा रहा था, जा रहे थे, जा रही थी, जा रही थीं। तात्कालिक वर्तमान में—जा रहा हूँ, जा रहे हैं। जा रही है। जा रही हूँ।

(छ) भविष्यत् काल में रूप

सामान्य भविष्यत्

पुरुष	एकवचन	बहुवचन
	पु०—स्त्री०	पु०—स्त्री०
उत्तम पुरुष	मैं आउँगा, आऊँगी	हम आवेंगे, आयँगी
मध्यम पुरुष	तू आयेगा, आयेगी	तुम आओगे, आओगी
अन्य पुरुष	वह आयेगा, आयेगी	वे आयेंगे, आयेंगी।

हेतुहेतुमद्भविष्यत् बनाने में गा, गे, गी, दूर कर देना पड़ता है। सम्भाव्य भविष्यत् में हेतुहेतुमद्भूत काल की भाँति रूप होता, किन्तु प्रारम्भ में 'सम्भव है', 'कदाचित्' शब्द लगाकर लिखा और बोला जाता है। तथा :—सम्भव है, मैं आऊँ। कदाचित् वह आये।

क्रिया के अन्य दो भेद

(१) विधि

(१) छात्र को गुरु का कहना मानना चाहिये।
(२) तुम गुरु का आदेश मानो।
(३) आप यहाँ विराजिये।

ऊपर की क्रियाओं पर विचार करो—वाक्य (१) में मानना चाहिये' क्रिया से किसी कार्य के करने का विधान जाना जाता है। 'करना' अथवा 'न करना' करनेवाले की इच्छा पर निर्भर करता है। वाक्य (२) में 'मानो' क्रिया से कोई कार्य करने की आज्ञा स्पष्ट झलकती है। वाक्य (३) में 'विराजिये' क्रिया से 'प्रार्थना' प्रकट होती है।

(१) जिस क्रिया से किसी कार्य की विधि आज्ञा अथवा प्रार्थना जानी जाती है, उसे विधि क्रिया कहते हैं।

अतः मानना चाहिए, मानो, विराजिये, विधि की क्रिया है। इनका सम्बन्ध भविष्यत् काल से है।

ऊपर की क्रियाओं पर पुनः विचार करने से ज्ञात होगा कि विधि क्रिया तीन प्रकार की हो सकती है।

(१ (जिस क्रिया से किसी कार्य के करने का विधान जाना जाता है, उसे सामान्य विधि क्रिया कहते हैं। यथा :—

मुझे कहना चाहिये। तुम्हें सोना चाहिए। उसे समझना चाहिए।

(२) जिस विधि क्रिया से किसी कार्य के करने की आज्ञा जानी जाती है, उसे आज्ञा-विधि, कहते हैं। यथा :—

तुम मानो, सुनो, कहो, समझो। तू समझना। तू आना आदि।

(३) जिस विधि क्रिया से प्रार्थना का ज्ञान होती है, उसे प्रार्थना विधि कहते है। यथा :—आप जाइये, कीजिये।

इन उदाहरणों के देखने से तुम विधि क्रिया के भेदों को बता सकते हो।

जब विधि-क्रिया का कर्ता तू हो तो क्रिया का धातु ही आज्ञा विधि का काम देता है ! यथा :—तू बैठ, चल, पढ़।

'तुम कर्ता के होने पर ओ लगा देते हैं। यथा :—

तुम चलो। तुम पढ़ो। कहीं-कहीं क्रिया का सामान्य रूप ही विधि का काम देता है। यथा :—कल तुम आना। घर पर पढ़ना अवश्य। आदि।

जब 'आप' कर्ता रहे तो धातु के अन्त्य 'ई' ह्रस्व करके 'ए' लगा देते हैं। यथा—उठिये, बैठिए, पढ़िए।

नोट—विधि क्रिया का कर्ता अधिकतर गुप्त रहता है। यह मध्यम पुरुष 'तू' या 'तुम' होता है, प्रार्थना विधि में 'आप' होता है। कहीं-कहीं विधि क्रिया का कर्ता उत्तम पुरुष और अन्य पुरुषों का काम भी करता है। ऐसी अवस्था में सामान्य भविष्यत् काल का गा, गी, गे, चिह्न दूर कर देते हैं। मैं बोलूँ हम बोलें, वह बोला, वे बोलें।

(२) पूर्वकालिक क्रिया

(१) श्यामू खाकर जाता है। (२) लड़के खाकर जाते हैं।

(३) लड़की खाकर जाती है। (४) लड़कियाँ खाकर जाती हैं।

ऊपर के वाक्यों में बड़े शब्दों में लिखी क्रियाओं के रूप देखने से ज्ञात होता है कि इन पर लिंग, वचन, पुरुष का प्रभाव नहीं है। वे एक प्रकार से अव्यय-सी जँचती है।

वाक्य [१] में मुख्य क्रिया 'जाता है'। इसे समापिका क्रिया भी कहते हैं। 'जाता है के पूर्व 'खाकर, क्रिया समाप्त होती है। अर्थात्, 'खाकर' क्रिया की सिद्धि मुख्य क्रिया की सिद्धि से पहले समाप्त हो जाती है। ऐसी क्रिया को 'पूर्वकालिक' कहते हैं।

जब दो क्रियाओं में से एक क्रिया की सिद्धि मुख्य क्रिया की सिद्धि के पूर्व ही पाई जाय तो पहली क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं।

पूर्वकालिक क्रिया उसी काल में समझी जाती है, जिस काल में समापिका या मुख्य क्रिया होती है।

पूर्वकालिक क्रिया 'धातु' के आगे 'कर, करके' लगा देने से बनती है। यथा—जाकर, पढ़के, सोकर, सोके, सो करके आदि।

अभ्यास

(१) भविष्यत्काल से सम्बन्ध रखनेवाली क्रियाओं को बताओ।

(२) विधि क्रिया कितने प्रकार की हो सकती है? प्रत्येक के लक्षण बताओ।

(३) पूर्वकालिक क्रिया किसे कहते हैं?

(४) निम्नलिखित क्रियाओं में विधि और पूर्वकालिक क्रियायें ढूँढ़कर बताओ—

चलिये गुरुजी! कहिये, क्या आज्ञा है? तुम पढ़ो, समय नष्ट न करो। वह अभी सोकर उठा है, तू बैठ। सुनो, बहुत मत बोलो। आप कहिए, क्या आज्ञा है?

(ज) संयुक्त क्रिया

(क)	(ख)
(१) श्याम घर से खाकर आया ।	(१) श्याम घर से खा आया ।
(२) श्याम उठकर बैठा है ।	(२) श्याम उठ बैठा है ।

ऊपर के दोनों समूह को क्रियाओं की बनावट और अर्थ पर विचार करोगे तो तुम्हें ज्ञात होगा कि (क) समूह के वाक्य नं० १ की क्रिया 'आया' पहिली क्रिया 'खाने' के पश्चात् सिद्ध हुई है। वाक्य नं० २ में भी श्याम उठने के बाद बैठा है। 'आया' और 'बैठा' अकेली क्रियायें हैं। किन्तु (ख) समूह के वाक्य नं० १ की 'खा आया' क्रिया 'खाता और आना' दो क्रियाओं से बनी है और दोनों मिलकर एक क्रिया बनकर एक नवीन अर्थ प्रकट कर रही हैं।

इस प्रकार वाक्य नं० २ की ' उठ बैठा है' क्रिया भी उठना और बैठना, क्रियाओं से मिलकर पहली क्रिया के अर्थ में विशेषता लाती हैं और एक क्रिया बन गई है। ऐसी क्रियाओं को संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त क्रिया का अर्थ है—'मिली हुई क्रिया'।

जब दो या दो से अधिक क्रियायें आपस में मिलकर एक क्रिया बन जाती हैं और नवीन अर्थ प्रकाशित करती हैं, तब उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं।

अतः खा आया, और 'बैठा है' संयुक्त क्रियायें हैं। फिर इन क्रियाओं पर विचार करो।

'खा आया' में पहिली क्रिया 'खाना' सकर्मक है और 'आना' अकर्मक है। इन दोनों क्रियाओं में 'खा आया' संयुक्त क्रिया सामान्य भूतकाल की बन गई है। पहिली क्रिया सकर्मक होने से 'खा आया' संयुक्त क्रिया सकर्मक कही जायगी, क्योंकि यही मुख्य क्रिया है। 'उठ बैठा' संयुक्त क्रिया में पहली क्रिया अकर्मक है। इसलिए 'उठ बैठा है' संयुक्त क्रिया अकर्मक है।

इससे यह फल निकाला कि संयुक्त क्रिया में पहली अर्थात् आदि की क्रिया सकर्मक या अकर्मक होने पर संयुक्त क्रिया सकर्मक या अकर्मक होता है।

सामान्य क्रिया की भाँति पुरुष, लिंग, वचन में इसका भी रूप चलता है। यह भी स्मरण रखने योग्य है कि 'होना', 'रहना' क्रिया से युक्त क्रियायें नहीं होती। इन क्रियाओं को 'सहायक क्रिया' या कालसूचक कहते हैं। इनका प्रयोग काल बनाने के लिए होता है। निम्नलिखित क्रियायें संयुक्त क्रियायें नहीं हैं।

मोहन उठा होगा। सोहन पढ़ रहा है। गोपाल सो रहा है। केशव कह रहा था। मैं लिख रहा हूँ आदि।

नोट—संयुक्त क्रिया के सम्बन्ध में और बातें आगे के भाग में बतलाई जायेंगी।

(झ) वाच्य

(१) कर्तृवाच्य	(२) कर्मवाच्य
(क)	(ख)
(१) धोबी कपड़ा धोता है।	(१) धोबी से कपड़ा धोया जाता है।
(२) बहेलिया ने हिरण मारा।	(२) बहेलिये से हिरण मारा गया।
(३) मैं पुस्तक पढ़ूँगा।	(३) मुझसे पुस्तक पढ़ी जायगी।

ऊपर के दोनों समूह की क्रियायें उसी काल में हैं, जिस काल में (क) अंश की क्रियायें हैं, किन्तु उनके रूपों में भेद है। (क) अंश के वाक्य (१) की क्रिया 'धोता है, का कर्ता 'धोबी है और कर्म 'कपड़ा' है। (ख) अंश के के वाक्य (१) की क्रिया 'धोया जाता है' का कर्ता बताओ। तुम कहोगे कर्ता 'धोबी' है, किन्तु वह करण कारक में है। इससे व्यापार का फल 'कपड़ा' कर्म पर गिरता है।

देखो, क्रिया के जिस रूप से यह प्रकट हो कि उसका असल कर्ता, कर्ताकारक में रक्खा गया है या करण कारक में उस रूप को वाच्य कहते हैं।

(क) अंश की क्रियाओं के कर्ता प्रकट हैं अर्थात् 'धोता है, मारा, पढ़ूंगा' के कर्ता क्रमशः 'धोबी, बहेलिए ने और मैं' कर्ता कारक में हैं। अतः ऐसी क्रियाओं को कर्तृवाच्य कहते हैं।

जिस वाक्य में कर्तृवाच्य की क्रिया पाई जाय, उसे कर्तृप्रधान वाक्य कहते हैं। (क) अंश के वाक्य कर्तृप्रधान वाक्य हैं। (ख) अंश की क्रियाओं के कर्ता करण कारक' में हैं। कर्म 'कपड़ा' 'हिरण' 'पुस्तक' हैं। यही कर्ता-कारक में रक्खे गये हैं। अत: ये क्रियायें कर्म वाच्य की कही जायेंगी और उस वाक्य को कर्मप्रधान वाक्य कहेंगे।

तुम कह सकते हो कि वाच्य के विचार से सकर्मक क्रियायें दो प्रकार की होती हैं:—(१) कर्मवाच्य, (२) कर्तृवाच्य।

जिस क्रिया का कर्ता, कर्ताकारक में हो उस क्रिया को कर्तृवाच्य क्रिया कहते हैं। यथा—

जिस क्रिया का असली कर्ता तो करण कारक में हो और उसका कर्म ही कर्ता का स्थान ग्रहण कर ले, उस क्रिया को कर्मवाच्य क्रिया कहते हैं। यथा—

धोया जाता है, मारा गया, पढ़ी जायगी।

ऊपर के उदाहरणों पर पुनः विचार करोगे तो तुम्हें ज्ञात हो जायगा कि कर्तृवाच्य की क्रिया कैसे बन गई। 'धोया जाता है' 'मारा गया, 'पढ़ी जायगी' क्रियाओं में 'धोया, पढ़ी' सामान्य भूतकाल की क्रिया के आगे 'जाना' का वही रूप जोड़ दिया गया है। जो काल, लिंग, वचन में कर्तृवाच्य की क्रियायें थीं।

[५]

भाववाच्य

(क)	(ख)
(१) मैं जागता हूँ।	(१) मुझसे जागा जाता है।
(२) तुम सोते होगे।	(२) तुम से सोया जाता होगा।
(३) वह उठेगा।	(३) उससे उठा जायगा।

तुम कहोगे कि 'जागता हूँ, सोते, उठेगा क्रियायें कर्तृवाच्य की हैं, क्योंकि इनके कर्ता ज्ञात हैं।

किन्तु 'जागा जाता है, सोया जाता होगा', 'उठा जायगा' अकर्मक क्रियाओं का असली कर्ता करण कारक में है। इसमें कर्म नहीं है। इस कारण कर्ता कारक में कोई शब्द नहीं है। ऐसी क्रिया को भाववाच्य क्रिया कहते हैं। जिस अकर्मक क्रिया का असली कर्ता करण कारक में हो और कारक में कोई शब्द नहीं रहता, उसे भाववाच्य की क्रिया कहते हैं और उस वाक्य को भाव प्रधान वाच्य कहते हैं। यथा:—

उस बुड्ढे से रात भर नहीं जागा जाता। बुढ़िया से अब नहीं रोया जायगा। लड़के से अब नहीं उठा जाता। मोटे अक्षरवाली क्रियायें भाववाच्य भी हैं। इस क्रिया का प्रयोग नहीं शब्द या इसी प्रकार निषेधात्मक शब्दों के साथ वाक्य में किया जाता है।

ऊपर के उदाहरणों पर जरा भी विचार करोगे तो तुम्हें ज्ञात हो जायगा कि कर्मवाच्य की भाँति भाववाच्य की क्रिया भी 'जाना' के रूपों के प्रयोग से बन जाती है। अन्तर केवल इतना ही है कि कर्मवाच्य की क्रिया 'सकर्मक क्रिया' से बनती है और 'भाववाच्य' की क्रिया 'अकर्मक' से। इसे यों भी कह सकते हो कि अकर्मक क्रिया के सामान्यभूत के आगे 'जाना' क्रिया के रूपों का प्रयोग करने से भाववाच्य की क्रिया बन जाती है।

भाववाच्य की क्रिया सदा पुलिंग और एकवचन में रहती है।

जब वाक्य में 'जाना' क्रिया मुख्य होती है, तब उसका सामान्य भूत 'जाया' बनता है। यथा:—मुझसे वहाँ नहीं जाया जाता।

[नोट—वाच्य-विचार में अभी हिन्दी में बड़ा मतभेद है। वाच्य की समस्या विचारणीय है।]

वाच्य परिवर्तन

कर्तृवाच्य	कर्मवाच्य
(१) मैं लड़कों को देखता हूँ।	(१) मुझसे लड़के देखे जाते हैं।
(२) वह रोटी खाता था।	(२) उससे रोटी खाई जाती थी।
कर्मवाच्य	**कर्तृवाच्य**
(१) लड़के से पुस्तक पढ़ी गई।	(१) लड़के ने पुस्तक पढ़ी।
(२) पहलवान से व्यायाम किया गया।	(२) पहलवान ने व्यायाम किया।
कर्तृवाच्य	**भाववाच्य**
(१) वह आता होगा।	(१) उससे आया जाता होगा।
(२) तू दौड़ता है।	(२) तुमसे दौड़ा जाता है।
भाववाच्य	**कर्तृवाच्य**
(१) किसान से जाया जाता है।	(१) किसान जाता है।
(२) बुड्ढा से सोया जायेगा।	(२) बुड्ढा सोयेगा।

इस प्रकार कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य या भाववाच्य बनाने अथवा कर्मवाच्य या भाववाच्य से कर्तृवाच्य में बदलने को वाच्यपरिवर्तन कहते हैं।

अभ्यास

(१) वाच्य क्रिया कितने प्रकार की होती है? प्रत्येक का उदाहरण दो।

(२) कर्मवाच्य और भाववाच्य में क्या अन्तर है? सोदाहरण लिखो।

आठवाँ पाठ

अव्यय

बच्चों,

अभी तक तुम्हें विकारी शब्दों के बारे में—अर्थात् संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया के विषय में बताया गया है। तुमने यह देखा होगा कि लिंग, वचन कारक या पुरुष और काल के कारण विकारी शब्दों के रूप बदलते रहते हैं। पर अविकारी शब्द का रूप लिंगों, वचनों, विभक्तियों आदि के प्रभाव से विकृत नहीं होता।

नीचे लिखे वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ो—

१—रामभरोसे आज रहेगा। २—वह कल जायेगा।
३—वह घोड़ा चलने में तेज है। ४—अरबी घोड़े तेज होते हैं।
५—श्यामू कहाँ गया ? ६—मेरे पास पैसे हैं।
७—सोहन और मोहन दौड़ रहे हैं। ८—अरे, तुम नहीं गये ?

इन वाक्यों में आज, तेज, पास और अरे आदि शब्द ऐसे हैं, जो कि सभी अवस्थाओं में एक-से ही रहते हैं। इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अतः इन्हें अविकारी शब्द या अव्यय कहते हैं।

सारांश यह कि जिन शब्दों में किसी अवस्था में परिवर्तन नहीं होता, एक-सा ही रूप होता है, उन्हें अव्यय कहते हैं।

अव्यय के भेद

इसके मुख्यतः चार भेद होते हैं—

[१] क्रिया विशेषण अव्यय, [२] सम्बन्धबोधक अव्यय,
[३] समुच्चयबोधक अव्यय और [४] विस्मयादिबोधक अव्यय

[१] क्रियाविशेषण अव्यय—वे शब्द, जो क्रिया के अर्थ में विशिष्टता

सूचित करके व्यापार की स्पष्टता में सहायक होते हैं, क्रिया विशेषण अव्यय कहे जाते हैं।

विशेषण द्वारा संज्ञा या सर्वनाम के अर्थ की विशेषता व्यक्त होती है, पर इस अव्यय द्वारा क्रिया या व्यापार के अर्थ की स्पष्टता में सहायता प्राप्त होती हैं। इस अव्यय के भेद भी मुख्यत: चार होते हैं—

[क] कालवाचक—जिनसे क्रिया के काल की विशिष्टता प्रकट हो। जैसे—अभी, पहले, बाद, आज, कल, अब, तक, फिर।

[ख] स्थानवाचक—जिनसे क्रिया का स्थान सूचित होता है। जैसे—यहाँ, वहाँ, कहाँ, जहाँ आदि।

[ग] रीतिवाचक—जिनसे क्रिया की रीति या विधि प्रकट हो। यथा-जैसे—ऐसे, धीरे, यथा आदि।

[घ] परिमाणवाचक—जिनसे क्रिया का परिमाण जानने में सहायता मिले। जैसे—थोड़ा, बहुत, अत्यन्त, पूर्णतः, बिलकुल आदि।

इनके अतिरिक्त स्वीकारवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक—आदि भी क्रिया विशेषण अव्यय के भेद कहे जाते हैं। हां, जी हाँ, अवश्य न नहीं, जी नहीं, क्या, क्यों, कब आदि इनके उदारहण दिए जाते हैं। परन्तु कोई-कोई इनसे रीतिवाचक के अन्तर्गत मान लेते हैं।

क्रिया विशेषण अव्यय के कुछ तो स्वतंत्र शब्द होते हैं। जैसे—आज, कल आदि कुछ। दो विशेषणों के योग से बनते हैं। जैसे—धीरे-धीरे, यत्र-तत्र, आज-कल। कुछ क्रिया विशेषण ही के योग के बनते हैं। जैसे-आज ही, ज्योंही आदि। कुछ संज्ञाओं से बन जाते हैं। जैसे—महीनों तक, दिन-रात, बात की बात में आदि। कुछ विशेषण या क्रिया से बनते हैं। यथा—ऐसा, बैठे-बैठे आदि। कुछ शब्द अथवा शब्दांश के योग से बनते हैं। जैसे—कृपापूर्वक, तदनुसार; मुख्यतः आदि। कुछ उपसर्ग के योग से भी बनते हैं। जैसे—निस्सन्देह; आजन्म आदि। इनके अतिरिक्त भी क्रियाविशेषण अव्यय जहाँ-तहाँ अन्य प्रकार से बने मिलते हैं।

(२) सम्बन्धवाचक अव्यय

जो अव्यय संज्ञा या सर्वनाम का सम्बन्ध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से बताते हैं, उन्हें सम्बन्धवाचक कहते हैं।

इनमें कुछ ऐसे भी हैं, जिनके पूर्व सम्बन्धवाचक विभक्ति आती है और कुछ ऐसे भी हैं, जिनमें विभक्ति नहीं आती। घर के सामने और उसके आगे इन अंशों में 'के' विभक्ति आई है। किन्तु पुस्तक सहित में विभक्ति नहीं है।

कुछ सम्बन्ध वाचक अव्ययों के बाद भी विभक्ति लग जाती है जैसे—मेरे सामने की बात, आरपार की तैराकी।

कुछ उदाहरण—

नियम के अनुसार—मन के अनुकूल—मकान के सामने—घर के आसपास—पेड़ के ऊपर—उनकी ओर—गाँव के बाहर—दैत्य के समान—रुपये के बदले—मेरे विरुद्ध—दस रुपये के लगभग—भाई समेत आदि।

[नोट—(१) इस वर्ग के कुछ अव्यय क्रियाविशेषण अव्यय के प्रतिरूप भी होते हैं। जैसे—ऊपर, नीचे, पास आदि। प्रयोग द्वारा दोनों का अन्तर समझना चाहिए। 'घर के ऊपर में ऊपर सम्बन्ध-वाचक अव्यय हैं, किन्तु ऊपर उड़ना या ऊपर में जाना में वही क्रियाविशेषण अव्यय हो गया है।

(२) साथ, कारण आदि शब्दों का प्रयोग कभी-कभी संज्ञा के समान भी होता है। जैसे—यह कारण उचित नहीं या दुष्ट का साथ ठीक नहीं।]

(३) समुच्चय बोधक अव्यय

जो शब्दों या वाक्यांशों व वाक्यों के आशय को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं, उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। यथा—

(क) रामू और श्यामू खेलते हैं। (ख) आप कहें तो मैं वहाँ जाऊँ। (ग) राम कल घर से आया और आज गया।

(क) अंश में और दो शब्दों को जोड़ता है। (ख) अंश में 'तो' दो वाक्यांशों को जोड़ता है। (ग) अंश में 'और' दो वाक्यों को जोड़ता है।

समुच्चय बोधक अव्यय के सात भेद माने जाते हैं। (क) संयोजक, (ख) वियोजक, (ग) उद्देश्यवाचक, (घ) विरोध दर्शक, (ङ) संकेतवाचक, (च) परिणाम दर्शक, (छ) व्याख्या वाचक।

(क) संयोजक—जो दो शब्दों या वाक्यों के अर्थों को जोड़ते हैं। जैसे - और, तथा भी, व आदि।

(ख) वियोजक—जो दो शब्दों के अर्थों को एक दूसरे से अलग करते हैं।—यथा या, वा अथवा, चाहे आदि।

(ग) उद्देश्यवाचक—जो उद्देश्य को प्रकट करे। कि जो आदि।

(घ) विरोध दर्शक—जिनके द्वारा पिछले वाक्य के अर्थ का निषेध करके विरोध प्रकट किया जाता हो। यथा—पर, किन्तु, वरन् परन्तु, लेकिन मगर आदि।

[ङ] संकेतवाचक—जो संकेत करते हो। तथा—यद्यपि, जो, तो आदि।

[च] परिणामदर्शक—जिनसे परिणाम व्यक्त किया जाय। यथा—इसलिए, अतएव, अतः, क्योंकि आदि।

[छ] व्याख्यावाचक—जिनसे पता चलता है कि पिछला वाक्यांश या वाक्य पहले की केवल व्याख्या है। यथा—अर्थात्, यानी, जो कि आदि।

(४) विस्मयादिबोधक अव्यय

जिनके द्वारा विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि के भाव प्रकट होते हैं और जिनका विशेषण सम्बन्ध वाक्य के अन्य शब्दों से नहीं होता, उन्हें विस्मयादि बोधक अव्यय कहते हैं इसके अनेक भेद हो सकते हैं। कुछ प्रमुख प्रकार नीचे दिए जा रहे हैं।

[१] विस्मयादिबोधक [या आश्चर्य सूचक]—यथा—अरे, भला, अहो, क्या आदि ।

[२] हर्षसूचक—यथा—वाह-वाह, शाबास, धन्यवाद आदि ।

[३] शोकसूचक—यथा—हाय, अरे, राम, ओह, बाप रे, मैया रे आदि

[४] निरादर सूचक या घृणासूचक—यथा—राम-राम छिः छि, छि-थू, धिक्कार आदि ।

इनके अतिरिक्त गर्वसूचक, स्वीकार बोधक, आशीषबोधक आदि के नाम भी लिए जाते हैं । इन अव्ययों के साथ विस्मयादिबोधक चिह्न भी प्रायः सदा ही लगाया जाता है ।

विशेष—नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़ो—

[१] जब मैं कक्षा में आता हूँ तब तुम चले जाते हो । जबतक मैं पढ़ता हूँ तबतक तुम ध्यानपूर्वक पढ़ते हो । ज्यों ही स्टेशन पर गाड़ी आई त्यों ही रामू उस पर जा बैठा ।

इन उदाहरणों में जब-तक, जब तक-तब तक और ज्यों ही-त्यों ही नित्य सम्बन्ध-सूचक हैं और ये कालवाचक क्रियाविशेषण है ।

(२) जहाँ-जहाँ गाय जाती है वहाँ-वहाँ बछड़ा भी जाता है । जहाँ माँ बैठी थी वहाँ साथ में बच्चा भी बैठा था ! जिधर मूस भागा उधर बिल्ली दौड़ी ।

इन वाक्यों में जहाँ-जहाँ वहाँ-वहाँ, जहाँ-वहाँ, इधर-उधर स्थानवाचक नित्य सम्बन्धी शब्द हैं ।

[३] इसी प्रकार जैसे-वैसे, ज्यों-ज्यों-त्यों-त्यों आदि शब्द भी वाचक नित्य सम्बन्धी शब्द हैं । जो और तो वा यदि और तो यद्यपि और तथापि, चाहे-चाहे न आदि समुच्चयबोध नित्य सम्बन्धी शब्द हैं ।

इन शब्दों में प्रायः एक का प्रयोग रहने पर दूसरे का प्रयोग भी अवश्य होता है । यही इनका नित्य सम्बन्ध है । यह अवश्य है कि कहीं-कहीं वाक्य के किसी अंश में नित्य सम्बन्धी शब्दों में एक का ही प्रयोग रहता है दूसरा लुप्त रहता है । जैसे—

आप कहें तो मैं चला जाऊँ—इस वाक्य में यदि लुप्त है। प्रयुक्त न होने पर भी उसका अर्थ आक्षिप्त रहता है। ये शब्द अव्ययों के किसी-न-किसी भेद के अन्तर्गत आते हैं। कभी क्रियाविशेषण भी हो सकते हैं, कभी सम्बन्धबोधक वा समुच्चयबोधक भी।

अभ्यास

१—अव्यय के प्रमुख भेदों के नाम बताओ ?

२—समुच्चय-बोधक और सम्बन्ध-बोधक अव्यय के उदाहरण देकर उनकी परिभाषा लिखो ?

३—क्रियाविशेषण अव्यय की अन्य अव्ययों से विशेषता दिखाओ ?

४—नीचे लिखे वाक्यों में अव्यय को पहचानकर उसका विशेष परिचय दो—

वह लँगड़ा एवं लूला है। राम पढ़ता नहीं, वरन् खेलता है। श्याम ने अपराध किया, इसलिए उसे दण्ड मिला। बुद्धू ने सब चौपट कर दिया। अरे ! तुम आज ही आ गए।



नवाँ पाठ

समास

समास के विषय में गतवर्ष संक्षेप में परिचय दिया जा चुका है। उसका सारांश यह है—

दो या अधिक शब्दों के सम्बन्ध बतानेवाले जो प्रत्यय या शब्दांश होते हैं, उनका लोप होने पर, दो या अधिक

शब्दों के योग से जो स्वतन्त्र शब्द बनता है, उसे समस्त पद (या सामाजिक शब्द) कहते हैं और उन दो या अधिक शब्दों के संयोग को समास कहा जाता है।

उदाहरण—(१) जलनिधि। (२) क्षीर-सागर। (जलनिधि, क्षीर-सागर)। इनके वैकल्पिक रूप होंगे—जल की निधि, क्षीर का सागर। उनमें 'की' 'की' विभक्ति-चिह्न का लोप होकर समस्त पद होते हैं।

[नोट—यह यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि जो समस्त पद हिन्दी में संस्कृत से आते हैं, उनमें तो संधि होती है—जैसे—रामाधारशिवेन्द्र आदि, पर जो हिन्दी के अपने समस्त पद होते हैं, उनमें प्रायः संधि नहीं होती, जैसे राम आसरे आदि।]

समास के मुख्यतः चार भेद होते हैं—

(१) तत्पुरुष—जिसमें (प्राय:) उत्तर पद का अर्थ प्रधान हो।
उदाहरण—(सं०) जलनिधि, रमानाथ, प्रेमसागर।
(हिन्दी)—रसोई-घर, घुड़दौड़, सिरपेंच।

(२) अव्ययीभाव—जिसमें पहले पद का अर्थ प्रायः प्रधान होता है, तथा बहुधा पूरा शब्द अव्यय-सा हो जाता है—
उदाहरण—(सं०) प्रतिदिन, यथानियम आदि।
(हि०) निडर, भरपेट, अनजाने आदि।

(३) द्वन्द्व—जिसमें पूर्वपद और उत्तरपद–दोनों के ही अर्थ प्रायः प्रधान रहते हैं।
उदाहरण—(सं) रामकृष्ण, सीताराम, माता-पिता आदि।
(हि०) भाई-बहिन, घरबार, गाय बैल आदि।

(४) बहुब्रीहि—जिसमें अन्य पद प्रधान रहता है।
(सं०) पीतांबर, जितक्रोध, जितेंद्रिय आदि।
(हि०) "बारहसिंघा, मिठबोल, दुधमुहाँ आदि।"

तत्पुरुष समास के अनेक भेद होते हैं—

कर्म-तत्पुरुष—जिसमें पूर्वपद कर्म-विभक्ति के अर्थवाला होता है, जैसे—पाकेट, गिरहकट, सुखदाता, शिक्षा-प्रद आदि ।

करण-तत्पुरुष—जिसमें पूर्वपद करण-कारक की विभक्ति का अर्थ सूचित करे यथा—ईश्वर-प्रदत्त, चिन्ताकुल, कपड़छान आदि ।

सम्प्रदान-तत्पुरुष—जिसके पूर्व पद के साथ-साथ 'के लिए' का अर्थ भी सूचित हो, यथा—बाढ़पीड़ित-चन्दा, शिक्षाकर ।

[**नोट**—इनके तत्पुरुष सम्बन्ध तत्पुरुष के भी प्रायः उदाहरण होते हैं ।]

अपादान-तत्पुरुष—जिसके पूर्वपद से अपादान विभक्ति का अर्थ सूचित हो—पदच्युत, आदर्श-पतित, देशनिकाला ।

संबंध-तत्पुरुष—जिसका पूर्वपद संबंध-विभक्ति का अर्थ सूचित करता हो, जैसे—राजपुरुष, गुरुसेवक, कृपासागर आदि । (इसके उदाहरण सबसे अधिक मिलते हैं ।)

अधिकरण तत्पुरुष—जिसके पूर्वपद से अधिकरण विभक्ति का अर्थ सूचित होता हो, यथा—शरणागत, ग्राम-वास, नरोत्तम, मनमौजी आपबीती आदि ।

कर्मधारय और द्वन्द्व को भी तत्पुरुष का भेद मानते हैं ।

कर्मधारय—जिस समास से विशेष्य-विशेषण भाव या उपमानोपमेय भाव सूचित होता है, उसे कर्मधारय समास कहते हैं, यथा—महात्मा, नीलाम्बुज, पुण्डरीकाक्ष, कर-कमल आदि ।

[**नोट**—(१) कभी विशेषण पूर्वपद रहता है; जैसे—महाजन, महात्मा आदि में और कभी उत्तरपद रहता है, जैसे—नराधम, देशान्तर आदि में ।]

(२) कभी-कभी दोनों पद विशेषण रहते हैं, जैसे—श्याम-श्वेत, भला-बुरा । (ये द्वन्द्व के समान जान पड़ते हैं ।)

(३) कु, दुर, सु से बननेवाले समास कर्मधारय होते हैं—कुसंग, दुर्जन, सुवाक्य, सुनाम आदि ।

(४) उपमेयोपमेय भाव में भी कभी उपमेय पहले आता है और कभी पीछे, जैसे—वज्र-देह (वज्र-सी देहवाला), वज्र-वाग (वज्र के समान वचनवाला) ।]

द्विगु—संख्यापूर्वक तत्पुरुष को द्विगु समास कहते हैं। यथा पंचमेवा, त्रिफला, त्रिलोकी आदि ।

अभ्यास

(१) समास के भेद बताओ ?

(२) तत्पुरुष के भेदों के नाम और उनके उदाहरण लिखो ?

(३) अव्ययीभाव के हिन्दी उदाहरण लिखो ?



दसवाँ पाठ

अलङ्कार

मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो अपने जीवन के सब क्षेत्रों में सुन्दरता सजावट और आकर्षण चाहता है। अपने घर, कपड़े और बाल-बच्चे—सभी को यथाशक्ति सजाना और सुन्दर बनाना चाहता है। अपनी बात को भी वह आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से कहना चाहता है।

उसके साधारण जीवन से जो सौन्दर्यप्रियता प्रकट होती है वही कुछ और मनोहर ढंग से उसके साहित्यिक जीवन में दिखाई पड़ती है। कवि या लेखक अपनी कविता या अपने साहित्य को मनोरम, आकर्षक और प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत करना चाहता है।

अपनी वाणी को सजाने, मनोरम, आकर्षक, अलंकृत और प्रभावशाली बनाने के लिए वह अनेक प्रकार के साधनों को अपनाता है। जिस प्रकार

बनिता को आभूषणों और अलंकारों से सुसज्जित किया जाता है, उसी प्रकार कवि या साहित्यक भी अपनी रचना को अलंकृत करते हैं। जिस प्रकार गहनों या आभूषणों से वनिता की शोभा में वृद्धि होती है, उसी तरह काव्य की शोभा उढ़ानेवाले धर्मों को अलंकार कहते हैं।

काव्य के निर्माण में दो मुख्य तत्व काम में आते हैं। वे हैं, शब्द और अर्थ। इन दोनों को सुन्दर, कानों और मन के अनुकूल तथा अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए अलंकृत किया जाता है, जिन विधियों से ध्वनियों या शब्दों को अलंकृत किया जाता है, उन्हें शब्दालंकार कहते हैं।

जिन विधियों से अर्थों में सुन्दरता आती है और कहने का ढंग अधिक प्रभावशाली हो जाता है, उन्हें अर्थालंकार कहते हैं।

शब्दालंकार

शब्दालंकार के तीन मुख्य भेद हैं, (१) अनुप्रास, (२) यमक और (३) श्लेष। इन तीनों अलंकारों के द्वारा अपने-अपने ढंग से वाक्यगत शब्दों की ध्वनियों में आकर्षक चमत्कार उत्पन्न होता है।

तात्पर्य यह कि इन अलंकारों द्वारा रचना में शब्द-सम्बन्धी चमत्कार उत्पन्न होता है।

(१) अनुप्रास

अनुप्रास के तीन भेद होते हैं, [क] छेकानुप्रास, [ख] वृत्यानुप्रास और (ग) लाटानुप्रास। अनुप्रास शब्द का अर्थ होता है, ध्वनियों का बारम्बार आना। जिस रचना में स्वरों की भिन्नता होने पर भी व्यंजन अनेक बार आते हैं उसे अनुप्रास कहते हैं।

क—छेकानुप्रास—जहाँ अनेक वर्णों की एकबार आवृति हो उसे छेकानुप्रास कहते हैं। यथा—

धवल धाम मनि पुरट सुघटि नाना भाँति।
सिय-निवास सुन्दर सदन शोभा किमि कहि जाति॥

यहाँ ध, म, प, द, क, की एक बार आवृत्ति हुई है। अतः यह छेकानुप्रास है।

ख—वृत्यानुप्रास—जहाँ एक या अनेक वर्णों की अनेक बार आवृत्ति हुई हो, वहाँ वृत्यानुप्रास होता है। यथा—

बन्दौं गुरु-पद-पद्म परागा। सुरुचि सुवास सरस अनुरागा ॥

यहाँ प और स की आवृत्ति अनेक बार हुई। अतः यहाँ वृत्यानुप्रास है।

ग—लाटानुप्रास—यह आजकल व्यर्थ सा अनुप्रास हो गया इसका प्रयोग शब्द-क्रीड़ा के प्रेमी ही करते हैं, काव्य-प्रेमी नहीं। इसमें शब्दों की आवृत्ति तो समान अर्थ में होती है, किन्तु अन्वय आदि के कारण अर्थ भिन्न हो जाते हैं। यथा—

राम नाम जे जपत नहि, भव-बन्धन भय ताहि।
राम नाम जे जपत नहि, भव-बन्धन भय ताहि ॥

इसके अतिरिक्त श्रुत्यानुप्रास और अत्यानुप्रास भी होते हैं। श्रुत्यानुप्रास में श्रुतियों की आवृत्ति होती है और अन्त्यानुप्रास में छन्द या चरण के अन्तिम एक या अनेक अक्षरों की आवृत्ति होती है। जैसे, ही, हे, चौपाई आदि में।

(२) यमक

जहाँ सार्थक शब्द होने पर उसकी अनेक बार आवृत्ति हो और अर्थ भिन्न २ हों, वहाँ यमक अलंकार होता है। पर साथ ही ऐसा भी होता है कि आवृत्ति ध्वनि-समूह के खण्ड होने के कारण कभी एक अंश और कभी अनेक अंश सार्थक नहीं होते। यथा—

(क) कनक कनक ते सौगुनी, मादकता अधिकाय।
वह खाए बौरात है, यह पाए बौराय ॥

यहाँ कनक शब्द की आवृत्ति हुई है, किन्तु दोनों के अर्थ भिन्न हैं।

(ख) भजन बिना नहि सरन है, भज न सकौं दुख दोस।

ऊपर के (क) उदाहरण में पद के बिना भंग होने से उसे अभंग-पद

यमक कहते हैं और दूसरे [ख] उदाहरण में दो अंशों को मिलाकर आवृत्ति हुई है, अतः इसे भंगपद यमक कहते हैं।

इसके अतिरिक्त भी यमक के अन्य भेद—पादादि यमक, पादान्त यमक आदि होते हैं, किन्तु वे इनके अन्तर्गत आ जाते हैं।

(३) श्लेष

जहाँ किसी भी एक बार प्रयुक्त शब्द के अनेक अर्थ हों, वहाँ श्लेष-अलंकार होता है। यथा—

चरन धरत चिन्ता करत, चहत न नेकहु ओर।
सुबरन को खोजन फिरत, कवि व्यभिचारी-चोर।।

इन उदाहरणों में 'चरन' के दो अर्थ तथा 'सुबरन' के तीन अर्थ हैं।

अर्थालङ्कार

अर्थ के कारण जहाँ उक्ति में चमत्कार या रमणीयता होती है, वहाँ अर्थालंकार माना जाता है।

उपमा

जहाँ दो भिन्न वस्तुओं में साधर्म्य द्वारा समानता दिखायी जाय, वहाँ उपमालंकार होता है। जैसे—

कृष्ण का शरीर श्यामल नीरद के समान मनोहर था।

इस उदाहरण में कृष्ण के शरीर की उपमा श्यामल नीरद की मनोहरता के साथ दी गई है।

इस उदाहरण के देखने से स्पष्ट होता है कि उपमा के चार अंग होते हैं।

[क] उपमेय—जिसका वर्णन करते हुए समान धर्म बताया जाय ऊपर के उदाहरण में कृष्ण का शरीर उपमेय है।

[ख] उपमान—जिससे उपमा दी जाय। उक्त उदाहरण में श्यामल नीरद उपमान है।

[ग] साधारण धर्म—जो गुण या धर्म उपमान और उपमेय दोनों के समानता प्रदर्शन का आधार होता है। उक्त उदाहरण में मनोहर साधारण धर्म है।

[घ] वाचक शब्द—उपमा को प्रकट करनेवाला शब्द वाचक कहा जाता है। उपरोक्त उदाहरण में समान वाचक शब्द है।

जहाँ उपमा के इन सभी अंगों की उपस्थिति होती है, उसे पूर्णोत्तमा कहते हैं और जहाँ इनमें से कुछ का प्रयोग नहीं होता; उसे लुप्तोपमा कहते हैं।

रूपक

जहाँ बिना निषेध के उपमेय को उपमान मान लिया जाता है या उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। यथा—

मुखचन्द्र, नेत्रकमल।

यहाँ मुख और नेत्र में क्रमशः चन्द्र और कमल का आरोप किया गया है।

उपमान और उपमेय को जहाँ अभिन्न रूप से प्रदर्शित करते हैं अर्थात् जहाँ दोनों में अभेद दिखाया जाता है, वहाँ अभेद रूपक होता है और जहाँ उपमेय उपमान से भिन्न होने पर उपमान रूप में वर्णित होता है, वहाँ तद्रूप रूपक होता है।

अभ्यास

[१] अलंकार किसे कहते हैं ?

[२] शब्दालंकार के भेद बताओ और अनुप्रास के भेदों के उदाहरण पाठ्य-पुस्तक में ढूँढ़कर लिखो ?

[३] उपमालंकार का परिचय दो ?

●

ग्यारहवाँ पाठ

सन्धि

संधि ध्वनियों की मिलावट को संधि कहते हैं। दो निर्दिष्ट वर्णों के पास आने के कारण (उच्चारण की सुविधा के विचार से) उनका मेल होने पर जो विकार (परिवर्तन) होता है, उसे संधि कहते हैं।

हिन्दी में तो वस्तुतः संधि प्रायः नहीं की जाती, परन्तु संस्कृत के जो संधि वाले शब्द हिन्दी में प्रयुक्त होते हैं, उनको समझने के लिए संधि और उसके नियमों को जान लेना आवश्यक होता है।

बच्चों, एक बात और याद रखो। संधि और संयुक्ताक्षरों में अन्तर यह है कि संयोग में भी वर्ण मिलते हैं और संधि में भी, किन्तु संयोग में वर्णों के मिलने पर भी वर्ण बने रहते हैं, पर संधि में नियमानुसार दो वर्णों की संधि होकर उनके स्थान पर प्रायः विकार होता है।

संधि के भेद

संधि मुख्यतः तीन प्रकार की होती है (१) स्वरसंधि, (२) व्यंजन-संधि और (३) विसर्ग संधि। अब क्रमशः हम इन्हें पढ़ेंगे।

(१) स्वर संधि

दो स्वरों के पास-पास आने पर उनके मेल से जो संधि होती है, उसे स्वरसंधि कहते हैं। स्वरसंधि के मुख्यतः पाँच भेद होते हैं—दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण् और अयादि।

दीर्घसंधि—ह्रस्व या दीर्घ 'अ' या 'आ' के पश्चात् 'अ' या 'आ' के आने पर दोनों के स्थान में 'आ' हो जाता है—

अ+अ=आ—धन + अर्थी=धनार्थी

अ + आ = आ—रत्न + आकर = रत्नाकर

आ + अ = आ—विद्या + अर्थी = विद्यार्थी

आ + आ = आ—वार्ता + आलाप = वार्तालाप

इसी प्रकार ह्रस्व या दीर्घ इकार या उकार के बाद क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ इकार-उकार के आने पर दोनों के स्थान में क्रमशः ई उ होता है—

इ + इ = ई—गिरी + इन्द्र = गिरीन्द्र

इ + ई = ई—गिरि + ईश = गिरीश

ई + इ = ई—नदी + इन्द्र = नदीन्द्र

ई + ई = ई—नदी + ईश = नदीश

उ + उ = ऊ—भानु + उदय = भानूदय

उ + ऊ = ऊ—भानु + ऊर्ध्व = भानूर्ध्व

ऊ + उ = ऊ—बधू + उपालंभ = वधूपालंभ

ऊ + ऊ = ऊ—भू + उर्ध्व = भूर्ध्व

गुणसंधि—यदि 'अ' या 'आ' के पश्चात् 'इ' या 'ई' रहे तो दोनों के स्थान पर 'ए, होता है और यदि 'अ' या 'आ' के पश्चात् 'उ' या 'ऊ' रहे तो दोनों के स्थान पर 'ओ' होता है। [इसे गुणसंधि कहते हैं।] 'अ' या 'आ' के पश्चात् 'ऋ' रहे तो दोनों के स्थान में अर् होता।

उदाहरण—

अ + इ = ए—देव + इन्द्र = देवेन्द्र

अ + ई = ए—सुर + ईश = सुरेश

आ + इ = ए—महा + इन्द्र = महेन्द्र

आ + ई = ए—रमा + ईश = रमेश

अ + उ = ओ—वेद + उक्त = वेदोक्त

आ + उ = ओ—महा + उत्सव = महोत्सव

अ + ऊ = ओ—जल + ऊर्मि + जलोर्मि

—राज + ऋषि = राजर्षि

आ + ऊ = ओ—गंगा + उर्मि = गंगोर्मि

वृद्धिसंधि—'अ, या 'आ' के बाद 'ए' या 'ऐ' के आने पर दोनों स्थान में 'ऐ' होता है 'ओ' 'औ' या 'औ' के आने पर दोनों स्थान में 'औ' होता है—

अ + ए = ऐ—एक + एक = एकैक ।

अ + ऐ = ऐ—मत + ऐक्य = मतैक्य ।

आ + ए = ऐ—सदा + एव = सदैव ।

आ + ऐ = ऐ—महा + एश्वर्य = महैश्वर्य्यं ।

अ + ओ = औ—जल + ओघ = जलौघ ।

अ + ओ = औ—महा + ओज = महौज ।

अ + औ = औ—परम—औषध = परमौषध ।

यण्संधि—ह्रस्व वा दीर्घ इकार, उकार के बाद कोई असवर्ण स्वर आवे तो इ ई के बदले य्, उ, ऊ के बद्ले व् होता है। इस विकार को यण् कहते हैं जैसे—

(क) इ + अ = यदि + अपि = यद्यपि । इ + आ = या—इति + आदि = इत्यादि । इ + उ = यु—प्रति + उपकार = प्रत्युपकार । इ + ऊ = यू—नि + ऊन = न्यून । इ + ए = ये—प्रति + एक = प्रत्येक । ई + अ = य—नदी + अर्पण = नद्यर्पण । ई + उ = यु—सखी + उचित = सख्युचित ।

(ख) उ + अ = व—मनु + अंतर = मन्त्रंर । उ + आ = वा—सु + आगत = स्वागत । उ + इ = वि—अनु + इत = अन्वित । उ + ए = वे—अनु + एषण = अन्वेण ।

अयदिसंधि—ए, ऐ, ओ, वा, औ के आगे कोई भिन्न स्वर हो तो इनके स्थान में यथानुक्रम अव्, अब्, आय्, वा आव् होता है जैसे—

ने + अन = न् + ए + अ + न = न् + अय् + अ + न = नयन ।

गै + अन = ग् + ऐ + अ + न = ग् + अय् + अ + न = गायन ।

गौ + ईश = ग् + ओ + ई + श = ग् + अव् + ई + श = गवीश ।

नौ + इक = न् + औ + इ + क = न् + आव् + इ + कना = विक ।

(२) व्यंजनसंधि

जब व्यंजन के साथ व्यंजन का (और कभी-कभी स्वर का भी) मेल होता है, तब उसे व्यंजन-संधि कहते हैं—

(१) क्, च्, ट्, प् के आगे अनुनासिक को छोड़कर कोई श्वर हो, य्, र्, ल्, व्, हो, अथवा ग्, घ्, ज्, झ्, ड्, ढ्, द्, ध्, ब्, भ् वर्णों में से कोई वर्ण हो तो उसके स्थान में क्रम से वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है, जैसे—

दिक् + गज = दिग्गज । वाक् + ईश = वागीश ।

षट् + रिपु = षड्रिष । षट् + आनन = षडानन ।

अप् + ज = अब्ज अच् + अंत = अजंत ।

(२) किसी वर्ग के प्रथम अक्षर से परे कोई अनुनासिक वर्ण हो तो प्रथम वर्ण के बदले उसी वर्ग का पंचम अनुनासिक हो जाता है, जैसे—

वाक् + मय = वङ्मय । षट् + मास = षट्मास ।

अप् + मय = अम्मय । जगत् + नाथ = जगन्नाथ ।

(३) त् के आगे कोई स्वर, ग्, घ्, द्, ध्, ब्, भ्, अथवा य्, र्, व् रहे तो त् के स्थान में द् होगा, जैसे—

सत् + आनन्द = सदानन्द, जगत् + ईश = जगदीश ।

उत् + गम = उद्गम; सद् + धर्म = सद्धर्म ।

भगवत् + भक्ति = भगवद्भक्ति; तत् + रूप = तद्रूप ।

[४] 'त्' वा 'द्' के आगे 'च्' वा 'छ्' हो तो 'त्' वा द्' के स्थान में 'च्' होता है, 'ज्' वा 'झ्' हो तो 'ज्' 'ट्' वा 'ठ्' हो तो 'ट्' 'ड्' वा 'ढ्' हो तो 'ड्' और 'ल्' हो तो ल् होता है जैसे—

उत् + चारण = उच्चारण । शरत् + चन्द्र = शरच्चंद्र

महत् + छत्र = महच्छत्र । सत् + जन = सज्जन ।

विपद् + जाल = विज्जाल । तत् + लीन = तल्लीन ।

[५] त् वा द् के आगे श् हो तो श् वा त् के बदले च् और श् के बदले

छ होता है, और त् वा द् के आगे ह हो तो त् वा द् के स्थान में द् और ह के स्थान में ध् होता है; जैसे—

सत् + शास्त्र = सच्छास्त्र। उत + हार = उद्धार।

[६] छ् के पूर्व स्वर हो तो छ के बदले च्छ् होता है, जैसे—

आ + छादन = आच्छादन। परि + छेद = परिच्छेद।

[७] म् के आगे स्पर्श वर्ण हो तो म् के बदले विकल्प से अनुस्वार अथवा उसी वर्ग का अनुनासिक वर्ण आता है, जैसे—

सम् + कल्प = संकल्प या संकल्प।

कित् + चित् = किंचित् या किञ्चित्।

सम् + तोष = संतोष या सन्तोष।

सम् + पूर्ण = सम्पूर्ण या सम्पूर्ण।

म् के आगे अतस्थ[2] या ऊष्म[3] वर्ण हो तो म् अनुस्वार में बदल जाता है जैसे—

किम् + वा — किंवा। सम् + हार = संहार।

सम् + योग = संयोग। सम् + वाद् = संवाद।

(३) विसर्ग-संधि

यदि विसर्ग के आगे च् वा छ् हो तो विसर्ग का श् हो जाता है, ट् वा ठ् हो तो ष् त् वा थ् हो तो स् होता है; जैसे—

नि: + चल = निश्चल। धनु: + टंकार = धनुष्टंकार।

नि: + छिद्र = निश्छिद्र। मन: + ताप = मनस्ताप।

२—विसर्ग के पश्चात् श् ष् वा स् आवे तो विसर्ग जैसा का तैसा रहता है अथवा उसके स्थान में आगे का वर्ण हो जाता है, जैसे—

दु: + शासन = दु:शासन वा दुश्शासन।

नि: + सन्देह = नि:सन्देह वा निस्सन्देह।

नोट—१. क् से लेकर म् तक पाँचों वर्ग के पचीस अक्षरों को 'स्पर्श' करते हैं।
२. अन्वस्थ य्, र्, ल्, व ३. ऊष्म श, ष् स]।

३—विसर्ग के आगे क्, य् वा प्, फ् आवे तो विसर्ग का कोई विकार नहीं होता, जैसे—

रजः+कण = रजःकण । पयः+पान=पयःपान

[हि० पयपान]

[अ] यदि विसर्ग के पूर्व इ वा उ हो और आगे क् ख् वा प् फ् हो तो विसर्ग के ष् होता है; जैसे—

निः+कपट=निष्कपट । दुः+कर्म=दुष्कर्म ।

निः+फल=निष्फल । दुः+प्रकृति=दुष्प्रकृति ।

४—यदि विसर्ग के पूर्व 'अ' हो और आगे ह्, य्, व्, र् ल् या किसी वर्ग का पंचम को चतुर्थ या तृतीय वर्ण हो विसर्ग (अः) के बदले 'ओ' हो जाता है—

अधः+गति=अधोगति । मनः+योग=मनोयोग ।

वयः+वृद्ध=वयोवृद्ध । मन+अर्थ=मनोरथ ।

इसकी विशेषता पर प्रकाश डालना है ।

[मनोकामना अशुद्ध है । मनः कामना होता है ।]

५—यदि विसर्ग के पहले अ, आ को छोड़कर और कोई स्वर हो और आगे ह् य् व् र् ल् या वर्ग के पंचम या चतुर्थ या तृतीय वर्णों में से कोई वर्ण हो तो विसर्ग के स्थान पर 'र्' होता है—

निः+आशा=निराशा । दुः+उपयोग=दुरुपयोग ।

वहिः+मुख=वहिर्मुख । निः—दोष=निर्दोष ।

६—यदि विसर्ग के आगे 'र्' हो तो 'र्' का लोप हो जाता है और उसके पूर्व का स्वर दीर्घ हो जाता है—

निः+रस=नीरस । निः+रोग=नीरोग ।

अभ्यास

(१) संधि किसे कहते हैं ?

(२) संधि के कौन-कौन से मुख्य भेद हैं ।

(३) नीचे लिखे शब्दों में संधि के स्वरूप दिखाओ—
दिगन्त, दिग्पाल, वाग्दत्त, अब्ज, उन्मत्त, सदाचार, उद्योग, उद्घाटन, उल्लास, उद्धृत, विच्छेद, संयम, संवाद, संसार।

(४) व्यंजन-संधि के मुख्य भेदों को लिखो।

(५) स्वर-संधि और व्यंजन-संधि का अन्तर बताओ।

●

बारहवाँ पाठ

पदव्याख्या या पदनिरुक्ति (पार्जिंग)

बच्चों, पिछले पाठों में पदों के अनेक भेदों के बारे में (संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आदि के विषय में) पढ़ा और वाक्य का भी परिचय हमें मिल चुका है।

पिछले पाठों में आए हुए वाक्यों पर यदि ध्यानपूर्वक विचार किया जाय तो दिखाई पड़ेगा कि साधारणतः वाक्य-रचना में क्रिया अन्त में रहती है और उस क्रिया का कर्ता आरम्भ में रहता है। इससे सम्बन्ध रखने वाले वाक्य के अन्य शब्द, क्रम से कर्ता के बाद तथा क्रिया के पूर्व रखे जाते हैं। साधारणतः वाक्य रचना की यही विधि है।

साधारणतः रचनायें दो प्रकार की होती हैं (१) गद्य और (२) पद्य। वाक्य की साधारण रचना के विषय में मैंने ऊपर जो कुछ कहा है वह गद्य के बारे में लागू होता है, क्योंकि व्यवहार की रचना गद्य ही है। प्रतिदिन की बोलचाल में उसी का प्रयोग होता है। सभी पढ़ने लिखने वालों को गद्य लिखना ही पड़ता है। पद्य में कविता लिखने वाले को कवि कहते हैं। कविता करना गद्य की रचना की अपेक्षा अधिक कठिन होता है।

पर बच्चों, कविता भी जब तुम्हारी कक्षा में पढ़ाई जाती है अन्वय

के द्वारा उसको गद्य के रूप में ही रखकर समझाया जाता है। वाक्य-रचना का जो पद-क्रम ऊपर बताया गया है, वह वाक्य का अर्थ समझने में बहुत महत्व का होता है, क्योंकि पदों के अन्वय बिना अर्थ ठीक-ठीक समझना कठिन होता है।

'केशव जागा।' इस वाक्य में 'केशव' व्यक्तिवाचक संज्ञा है। एक वचन है। पुलिंग है। अन्य पुरुष है। कर्ता और 'जागा' क्रिया का उद्देश्य है। इसी प्रकार उक्त वाक्य 'जागा' अकर्मक क्रिया है, वह भूतकाल में है, पुलिंग है। एक वचन है। अन्य पुरुष है। इसका उद्देश्य 'केशव' व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कर्तृवाच्य में इसके लिंग, वचन, पुरुष का प्रयोग उद्देश्य के अनुसार हुआ है।

ऊपर के वाक्य में आये हुए पदों की परिचयात्मक विशेषताएँ व्याख्या द्वारा बताई गई है। उन पदों के रूप आदि के जानने से उनका परस्पर सम्बन्ध में आता है। इस प्रकार की व्याख्या को पद्व्याख्या (या समझ और अन्वय हमें ज्ञात होता है जिससे वाक्य का ठीक-ठीक अर्थ पदान्वय वा पदनिरूक्ति भी) कहते हैं।

संज्ञा की पद्व्याख्या—बच्चों, संज्ञा की पदव्याख्या में आगे लिखी छः बातें बतानी आवश्यक है—(१) संज्ञा का प्रकार, (२) लिंग, (३) वचन, (४) पुरुष, (५) कारक या विभक्त और (६) अन्य पदों के साथ संबंध।

क्रिया की पद्व्याख्या—क्रिया की पदव्याख्या में भी छः बातें बतानी चाहिए—(१) क्रिया का भेद, (२) काल, (३) लिंग, (४) वचन, (५) पुरुष और (६) वाक्य में अन्य शब्दों के साथ सम्बन्ध।

सर्वनाम की पद्व्याख्या—सर्वनाम की पदव्याख्या में भी प्रायः वे ही बातें बतानी चाहिए, जो संज्ञा की पदव्याख्या में बताई जाती हैं—(१) सर्वनाम का प्रकार, (२) लिंग, (३) वचन, (४) पुरुष, (५) कारक या विभक्ति और (६) वाक्य के पदों के साथ सम्बन्ध तथा किस संज्ञा के लिए सर्वनाम आया है।

विशेषण की पद्व्याख्या—एक वाक्य देखो—काली गाय घास चर रही

है' इस वाक्य में 'काली' 'गाय' का विशेषण है—शब्दों की पदव्याख्या में आगे बताई विशेषताओं का निर्देश करना चाहिए—(१) विशेषण का भेद, (२) लिंग, (३) वचन और सम्बन्ध।

अव्यय की पद्व्याख्या—(१) जेब में पैसे हैं। (२) बैल धीरे-धीरे चलता है। इन वाक्यों में 'में' और 'धीरे-धीरे—ये अव्यय हैं। 'मैं' द्वारा 'जेब' और 'पैसे' का सम्बन्ध ज्ञात होता है। 'धीरे-धीरे' कहने से चलने के ढंग का पता चलता है। पहला समुच्चयबोधक अव्यय है, दूसरा क्रिया विशेषण। अतः अव्यय की पद्व्याख्या में (१) अव्यय का वह कौन-सा भेद है, यह बताना चाहिए और (२) उसका किस उपयोग के लिए हुआ है—यह भी बताना चाहिए।

पदव्याख्या या निरुक्ति—लेखन की पद्धति के उदाहरणस्वरूप एक वाक्य के पदों की व्याख्या नीचे दी जा रही है—

शंकरजी को करोड़ों धन्यवाद देता हूँ, जिसने मेरी प्रार्थना सुनी।

शंकरजी—व्यक्तिवाचक संज्ञा, एकवचन, पुलिंग कर्मकारक, देता क्रिया का कर्म।

करोड़ों—संख्याबोधक विशेषण, उसका विशेष्य 'धन्यवाद' है।

धन्यवाद्—भाववाचक संज्ञा, बहुवचन, पुलिंग, कर्मकारक, देता हूँ का कर्म।

देता हूँ—सकर्मक क्रिया, कर्तृवाच्य, एकवचन, पुलिंग, उत्तम पुरुष सामान्य वर्तमान काल, 'मैं' कर्ता लुप्त।

जिसने—सम्बन्धवाचक सर्वनाम, एकवचन, पुलिंग, कर्ताकारक 'सुनी' क्रिया का कर्ता।

मेरी—पुरुषवाचक, सर्वनाम, उत्तम पुरुष, एकवचन स्त्रीलिंग, सम्बन्धकारक, इसका सम्बन्ध 'प्रार्थना, से है।

प्रार्थना—भाववाचक संज्ञा, एकवचन, स्त्रीलिंग, कर्मकारक, 'सुनी' क्रिया का कर्म।

सुनी—सकर्मक क्रिया, एकवचन, स्त्रीलिंग, कर्तृवाच्य, सामान्य भूतकाल इसका कर्ता है—'जिसने' और कर्म है 'प्रार्थना'!

अभ्यास

(१) वाक्य रचना की सामान्य पद्धति क्या हैं ?
(२) पद्व्याख्या किसे कहते हैं ?
(३) क्रिया और विशेषण के पदान्वय में क्या-क्या बताना आवश्यक है ?
(४) पाठ्यपुस्तक के किसी गद्य पाठ के किन्हीं पाँच वाक्यों को लेकर किन्हीं बीस शब्दों की पद्व्याख्या करो।

●

तेरहवाँ पाठ

विराम चिन्ह

बच्चों, किसी को जब बोलते या पढ़ते तुम देखते हो तो यह भी अवश्य देखा होगा कि बोलनेवाला (वक्ता) किसी वाक्य या वाक्यांश को बोलने या पढ़ने के बाद कुछ ठहर जाता है। इसी ठहरने को विराम कहते हैं। लिखी हुई भाषा में जब ठहरने के स्थान को सूचित करना होता है, तब ऐसे स्थानों पर चिन्ह लगा दिए जाते हैं। इन्हीं चिन्हों को लिखित भाषा में विराम चिन्ह कहते हैं। इनके द्वारा प्रश्न और विस्मयादि भी सूचित किए जाते हैं। इनके कुछ प्रमुख प्रकार नीचे दिए जा रहे हैं—

पूर्ण विराम—(।) गद्य लिखने में जो खड़ी पाई लिखी जाती है, उसे पूर्ण विराम कहते हैं। पद्यों में कभी एक पाई (।) और कभी-कभी दो पाई (॥) द्वारा पूर्ण विराम प्रकट किया जाता है इसके आने पर पूर्णतः कुछ देर विश्राम किया जाता है।

अल्प विराम—(,) अल्प विराम वहाँ होता है, जहाँ वक्ता या पाठक थोड़ा रुकता है, जैसे 'चन्द्रशेखर, तुम कल घर चले जाना।' यहाँ पर 'चन्द्रशेखर'

कहने के बाद थोड़ा रुका जाता है। अत: यहाँ अल्प विराम का चिन्ह (,) लगता है।

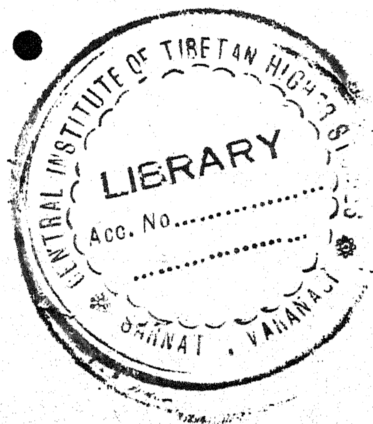
प्रश्न सूचक चिन्ह—(?) जहाँ वक्ता का आशय प्रश्न करना होता है, वहाँ वाक्यांश में पूर्ण विराम के स्थान पर यह चिन्ह (?) लगता है; जैसे; तुम क्या लिख रहे हो ?

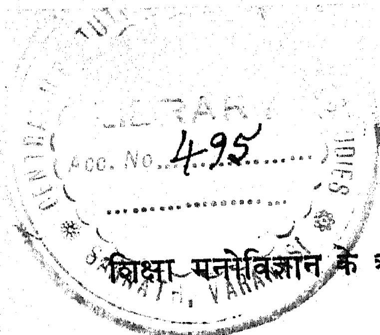
विस्मयादि-बोधक चिन्ह—(!) यह चिन्ह विस्मयादि-सूचक शब्दों या वाक्यों के बाद आता है, जैसे—''अरे ! वह चला गया !''

अभ्यास

(१) विराम-चिन्ह किसे कहते हैं ?

(२) विराम-चिन्हों के प्रमुख भेद सोदाहरण लिखो।





शिक्षा मनोविज्ञान के आधुनिकतम प्रयोगों पर लिखी

प्रचारक

की नार्मल स्कूल शिक्षोपयोगी पाठ्य-पुस्तकें

कमीशन +

संक्षिप्त शिक्षा-सिद्धान्त	—श्री उमाशंकर 'शास्त्री' (शिक्षा-विभाग द्वारा स्वीकृत)	१.००
शिक्षा-सिद्धान्त	—श्री उमाशंकर शास्त्री (बृहद् संस्करण)	३.००
बाल मनोविज्ञान प्रवेशिका	—श्री साधुशरण मल्ल एम० ए०, एल० टी०	१.५०
भाषा कैसे पढ़ावें	—पं० योगेन्द्रनाथ शर्मा एम० ए०, बी० ए० (आनर्स) एल० टी० (अपठित काव्य, व्याकरण आदि)	२.००
भाषा शिक्षण-विधि	—श्री उमाशंकर 'शास्त्री'	२.००
शिक्षालयों का संगठन	—श्रीनवलकिशोर श्रीवास्तव, एम० एस-सी०, एल० टी० तथा श्री बैजनाथलाल	२.००
मांटेसरी शिक्षा-पद्धति	—श्रीमती पद्मारानी वैश्य पं० बंशीधरजी	१.००

प्राप्तिस्थान

हिन्दी प्रचारक प्रतिष्ठान

सी० के० ३८/८ आदिविश्वनाथ

वाराणसी-१